खण्ड-192, अंक-7
सोमवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(10 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 192 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० मार्च, १९५८ ई०

(विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य (३०६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेश कुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईन्दी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदा सिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पन्नर राम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेंजनराम, श्री
बेंजनराम गुप्त, श्री
बेंगीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भंडारीलाल, श्री
भंवरसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री

मदन पांडेय, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुना सिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा

ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुखधनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरी सिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

माल उपमंत्री, श्री परमात्मानन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १० मार्च, १९५८ ई०

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश-बिहार शुगर केन बोर्ड की बैठक न हो सकना

**१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार शुगर केन बोर्ड की वार्षिक बैठक किन-किन कारणों से गत वर्ष सन् १९५७ ई० के जुलाई, अगस्त, सितम्बर आदि मासों में नहीं बुलवाई जा सकी?

वित्त मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)—उत्तर प्रदेश बिहार शुगर केन बोर्ड की मीटिंग आमतौर से उस समय बुलाई जाती है जब आने वाले सीजन के लिये शुगर पालिसी (sugar policy) और उससे अगले सीजन के लिये गन्ने का मूल्य

निर्धारित करने की बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा मत (opinion) मांगा जाता है। गत वर्ष १९५७ के सितम्बर मास में केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस विषय में मत भेजने के लिये जो समय दिया था उतने समय में इस बोर्ड की बैठक बुलाना संभव नहीं था।

**२--श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)--क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त बोर्ड के क्या-क्या विशेष कार्य और फंक्शन्स हैं जिन पर वह अपनी वार्षिक बैठक में विचार कर निर्णय लेता है और सुझाव देता है?

श्री धर्मसिंह--इस बोर्ड का कार्य उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा ४ में उल्लिखित विषयों के संबंध में परामर्श देना है जो यह हैं --

(१) चीनी की फैक्टरियों के निमित्त गन्ने की खरीद तथा पूर्ति के विनियमन से सम्बद्ध विषय में,

(२) गन्ने के विभेद जो चीनी की फैक्टरियों में प्रयोग के लिये उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त हों,

(३) फैक्टरियों के अध्यासियों (occupiers of factories) अथवा प्रबन्धकों, गन्ना उत्पादकों, गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति, गन्ना विकास परिषद् (Cane Development Councils) तथा खरीदारी एजेंटों के बीच समुचित संबंध बनाये रखना, और

(४) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायें।

**३--श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)--क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि जो बैठक बोर्ड की १९५७ में नहीं हो सकी उसकी बैठक जल्दी ही कराने का विचार करेंगे?

श्री धर्मसिंह--अभी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--केंद्रीय सरकार ने कोई समय दिया था कि कानून के अनुसार कितने समय के अन्दर कमेटी की मीटिंग बुलाना आवश्यक है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--केंद्रीय सरकार ने अक्तूबर की आखिरी तारीख या उससे एक दिन पहले की तारीख दी थी जब कि उनका खत आया था और उन्होंने लिखा था कि नवम्बर की १५ तक जवाब पहुंच जाय और उस में कमेटी के जो मेम्बरान हैं बिलखसूस बिहार के वह मवाजियात के रहने वाले हैं इसलिये उनको उस जमाने में इत्तला देकर मीटिंग करना मुमकिन नहीं था। इसलिये सरकार ने इस आवश्यकता को सामने रखते हुए कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को जल्द फैसला करना है, अपनी राय यहां से भेज दी थी।

श्री गेंदासिंह--क्या कानून में कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिये १४ दिन का समय साधारणतौर पर और समय कम होने पर ३ दिन के भीतर तार द्वारा मीटिंग की सूचना देकर बुलाने का प्राविजन है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--प्राविजन तो है लेकिन किसी चीज को अमली-तौर पर भी देखा जाता है कि उतने जमाने में वहां पर पहुंचा भी जा सकता है या नहीं।

श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर कुछ जवाब आना आवश्यक है, इसलिए पांच मिनट का क्वैश्चन आवर का समय† बढ़ा दिया जाय।

श्री उग्रसेन--यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कई दफा चर्चा हो चुकी है।

नोट नं० १--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १-३ श्री रामदास आर्य ने पूछे।

†नोट नं० २--प्रश्न कर्ता की अनुपस्थिति के कारण प्रश्न १-३ प्रश्नोत्तर काल के अन्त में लिए गये थे।

श्री उग्रसेन---तो आध घंटे का विवाद दे दिया जाय, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष---विवाद करने के लिए आप मुझे लिखें ।

पोलीटेक्निक लखनऊ से उत्तीर्ण रेडियो मेकैनिकों को नौकरी मिलने में कठिनाई

**४---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पोलीटेक्निक लखनऊ, स्कूल में रेडियो मैकेनिक के दो वर्ष के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर उन विद्यार्थियों के अप्रेंटिसशिप के लिये उसने क्या व्यवस्था की है ?

श्री धर्मसिंह---चूंकि गवर्नमेंट पोलीटेक्निक, लखनऊ में रेडियो मैकेनिक के दो वर्ष के पाठ्यक्रम में थ्योरी व प्रैक्टिकल दोनों सिखा दिये जाते हैं इसलिये पासशुदा विद्यार्थियों के लिये कोई अलग से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत आयी है कि यह पोलीटेक्निक के विद्यार्थी जहां नौकरी के लिये जाते हैं वहां उनसे कहा जाता है कि तुमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है इसलिए उन्हें सर्विस मिलने में दिक्कत होती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार इसको सूचना मानकर इसके बारे में जांच करवायेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जांच तो बहुत मुश्किल है । कोई उसमें हो भी नहीं सकती है । लेकिन मैं वहां जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे यह मालूम कर सकता हूं वह इस मामले में बहुत कुछ बता सकते हैं । परसनली मैं उनको बुलाकर उनसे बात कर लूंगा ।

इलाहाबाद में चुंगी बढ़ जाने के विरोध में स्वायत्त शासन मंत्री से शिष्टमंडल की भेंट

**५---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के व्यापारियों का एक डेपुटेशन इलाहाबाद के बढ़े हुए चुंगी के रेट के संबंध में तारीख १४ फरवरी, १९५७ को स्वायत्त शासन मंत्री से मिला था ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जी हां ।

**६---श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतलावेगी कि जो रेट वहां के व्यापारियों ने मंत्री महोदय के सामने रखे उनके मानने में सरकार को कठिनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां, कठिनाई है । कठिनाई यह है कि नगरपालिका की आमदनी काफी घट जायगी ।

**७---श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)---क्या सरकार को पता है कि इलाहाबाद में बढ़ा हुआ चुंगी कर रेट १७ फरवरी से लागू हो गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां, बढ़ी चुंगी की दरें २२ फरवरी, १९५८ से लागू हो गई हैं ।

शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष का पद रिक्त होना

**८---श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष का स्थान किस तारीख को रिक्त हुआ था और उसे डेढ़ महीने से ज्यादा होने पर भरे न जाने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष का पद ३० दिसम्बर, १९५७ से रिक्त हुआ था । जिलाधीश को रिक्त पद को भरने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां पर नये चेयरमन का चुनाव १७ मार्च को होने जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन हो रहा होगा, डी० एम० ने ऐक्शन लिया होगा।

श्री जरगाम हैदर (जिला बहराइच)—जब ३० दिसम्बर से जगह खाली हुई थी तो इस चुनाव में इतनी देर क्यों हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसमें भूल शायद यह हुई कि डी० एम० ने यहां लिखा जो कि आवश्यक नहीं था और यहां से जबाव जाने में भी कुछ देर हुई।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश को यह आदेश कब दिये गए हैं और उसमें कोई तारीख भी निश्चित की गयी है चुनाव के सम्बन्ध में ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरा खयाल है कि यह सूचना छः-सात दिन पहले गयी थी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जिलाधीश भूल न कर सकें और लेटेस्ट कानून की जानकारी उनको रहे इसके लिए साल में किसी वक्त उनको बुलाकर के ट्रेनिंग दी जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसमें भूल करने का सवाल ज्यादा नहीं था। यह सौभाग्य था कि नये चुनाव होने जा रहे थे, इसलिए जिलाधीश ने शायद यह उचित समझा कि पूछ लिया।। यजक चुनाव कराया जाय या न कराया जाय।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि आगामी चुनाव की नामजदगी शुरू अप्रैल में होने वाली है इस बात को सामने रखते हुए इस चुनाव को न कराये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अब तो आदेश जा चुके हैं कि चुनाव हो जाय।

पंजाब शुगर मिल, घुघली, जिला गोरखपुर द्वारा क्षेत्र के बाहर का गन्ना खरीदना

**९—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब शुगर मिल, घुघुली, जिला गोरखपुर इस वर्ष अपने जोन के बाहर का गन्ना खरीद रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह—जी हां, गोरखपुर जिले की पंजाब मिल, घुघली, गन्ने की कमी के कारण अपने जोन के बाहर का गन्ना खरीद रही है।

**१०—श्री अमरनाथ—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त चीनी मिल ने चालू सीजन में जोन के बाहर का कितना गन्ना खरीदा ?

श्री धर्मसिंह—इस मिल ने वर्तमान सीजन के दिनांक २५ फरवरी, १९५८ तक अपने जोन के बाहर से लगभग ५६,७०८ मन गन्ना खरीदा।

**११—श्री अमरनाथ—क्या उद्योग मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चीनी मिल उपरोक्त गन्ने का क्या मूल्य दे रही है ?

श्री धर्मसिंह—इस मिल द्वारा जोन के बाहर का गन्ना गेट पर खरीदे जाने के कारण उसकी कीमत का भुगतान १ रुपये ४४ नये पैसे प्रति मन के हिसाब से किया जा रहा है।

श्री अमरनाथ—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार जोन से बाहर का गन्ना खरीदने के लिये सरकार से उक्त मिल ने कोई आदेश लिया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गन्ने को दूसरी जगह से खरीदने के लिये सरकार से कोई आदेश लेने की विशेष आवश्यकता नहीं होती ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतायेगी कि पिछली बार जब प्रश्न हुआ था उसके ऊपर तो उत्तर म कहा गया था कि इस मिल ने कोई जोन से बाहर या नैपाल से गन्ना नहीं लिया है और इस समय सरकार यह कह रही है कि उसने जोन से बाहर से गन्ना खरीदा है, तो यह कब से गन्ना खरीदा गया और दोनों उत्तरों में से कौन सा सही उत्तर है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जरूर किसी जमाने का डिफरेंस है जो पहले जबाब में यह कहा गया। मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे मित्र ने जो इरशाद किया है तो यकीनन होगा । तो यकीनन उसमें जमाने का डिफरेंस होगा जिसको मैं बगैर देख बता नहीं सकता हूं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जब जोन का रिजर्वेशन किया जाता है तो उसमें मिल की कपेसिटी का ध्यान रखा जाता है ? इसलिये जो गन्ना बाहर से लिया गया है उसके कारण उस क्षेत्र के किसानों का गन्ना लिये जाने का जो क्रम था उसका व्यतिक्रम हुआ है और उसकी बदौलत उनको असुविधा पहुंची है ? यदि हां, तो सरकार उसको दूर करने का उपाय बतायेगी ?

श्री अध्यक्ष—आपने प्रश्न बहुत बड़ा कर दिया है । एक-एक हिस्सा पूछिये ।

श्री मदन पांडेय—जब किसी मिल का जोन रिजर्व होता है तो मिल की कैपेसिटी का ध्यान रखा जाता है । इस लिहाज से जो गन्ना बाहर से लिया गया है वह क्या उसकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता और क्या इसके करण किसानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंची ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—किसी मिल को किसी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा गन्ना ले लेने का तो कोई इमकान हो नहीं सकता । बाकी मुअज्जिज मेम्बर साहब को एक शायद गलत बात मालूम है कि जो एरिया रिजर्व किया जाता है तो वह तो जहां मुमकिन हो, फिजिकली पासिबिल हो, और वहां उतना गन्ना मिलता हो तब तो वह बात हासिल हो सकती है । और अगर कोई जगह ऐसी हो उसमें रिजर्व एरिया से इतना गन्ना नहीं आ सकता जितनी मिल की कैपेसिटी है तो लामुहाला मिल को फ्रीडम है कि किसी और एरिया से ले ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर में यह कहा गया है कि गन्ने की कमी के कारण इस मिल को गन्ना बाहर से लेना पड़ा और जो गन्ना बाहर से लिया गया है वह ५६,७०८ मन बताया गया है, तो क्या सरकार को पता है कि उस जिले में गन्ने की समस्या अधिक उपज होने के कारण बहुत भीषण हो जाती है, फिर गन्ने की कमी क्यों पड़ी ? क्या सर्वे ठीक से नहीं किया गया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अब आप सवाल जिले का कर रहे हैं । लेकिन इस वक्त जो मामला है वह तो सिर्फ एक फैक्टरी का है कि उस फैक्टरी को जिस एरिया से गन्ना आ सकता हो उतने का मामला है । उसकी निस्बत कहता हूं कि जहां तक मेरी मालूमात थीं वह इस जबाव में मौजूद हैं ।

फैजाबाद जिले के विकास-क्षेत्र

**१२—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि फैजाबाद जिले में इस समय कितने और किस-किस प्रकार के विकास क्षेत्र चल रहे हैं ? जिले के शेष भाग में किन-किन वर्षों से प्रसार खंड चालू होंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—फैजाबाद जिले में इस समय बीकापुर में एक नार्मलाइज्ड ब्लाक, जलालपुर में एक प्रगाढ़ विकास क्षेत्र और मसोधा, सिटी, दांडा, और बस्खरी में चार राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड चालू हैं। भविष्य में इस जिले में किस-किस समय और कहां-कहां ब्लाक खुलेंगे यह अभी तय नहीं हुआ है।

झांसी जिले के भूतपूर्व जमींदारों को पुनर्वास अनुदान न मिलना

**१३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि भूतपुर्व जमींदारों को पुनर्वास अनुदान देने के सम्बन्ध में उसे झांसी जिले से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए लगभग छः मास हो चुके हैं? यदि हां, तो उनका भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)—जी नहीं, झांसी जिले से सरकार को कोई ऐसे प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुए हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उन्होंने वहां पर इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के लिये कोई आदेश भेजा था? यदि हां, तो कब?

श्री परमात्मानन्दसिंह—इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के लिये कोई आज्ञा की जरूरत नहीं है। इस बात के लिये नियम नियमावली के पंचम अध्याय में दिये हुए हैं और जो पुनर्वास अनुदान के अधिकारी हैं उनके पास ही इसकी अर्जी दी जाती है।

श्री गेंदासिंह—इस जिले में पुनर्वास अनुदान देने के लिये पिछले वर्ष जो रकम निर्धारित की गयी थी वह पुनर्वास अनुदान क्या दे दिया गया?

श्री परमात्मानन्दसिंह—इतनी सूचना तो इस अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के सिलसिले में एकत्रित नहीं की गयी है। माननीय सदस्य अगर नोटिस दें तो बतलाया जा सकता है।

डिस्ट्रिक्ट जजों को कथित एक्सटेन्शन

**१४—श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पिछले साल में उसने कुछ डिस्ट्रिक्ट जजों को एक्सटेन्शन दिये हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी नहीं। अतः दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

**१५—श्री नवल किशोर—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उनकी उम्र क्या क्या है और वह किन-किन तिथियों पर रिटायर होने वाले थे?

श्री सैयद अली जहीर—प्रश्न नहीं उठता।

श्री नवल किशोर—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सन् ५८ के शुरू में कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेज को एक्सटेंशन दिया गया? मेरा असली मंशा अप्रैल से अप्रैल तक का था। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे ऐसा लगता है कि मैं सन् ५७ तक की बात पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—कब तक का जवाब है, आप यह बतला दीजिये।

श्री सैयद अली जहीर—एक्सटेंशन का जहां तक सवाल है वह न तो सन् ५७ में दिया गया और न सन् ५८ में ही दिया गया।

वाराणसी जिले के उद्योगों के संबंध में जानकारी

**१६—श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला वाराणसी)—क्या उद्योग मन्त्री को पता है कि जिला वाराणसी में वाराणसी नगर के प्रमुख बनारसी जरी तथा बनारसी सिल्क व

वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने के निमित्त सरकार द्वारा नियंत्रित दर पर रेशम वितरण न होकर कार्डहोल्डरों को मिलने के स्थान पर काले बाजार में व्यापारियों के हाथ बिक रहा है ? अगर हां, तो सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—(क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**१७—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग कमीशन की ओर से कोई सघन क्षेत्र योजना वाराणसी जिले में चालू की गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां चालू की गई ?

श्री धर्मसिंह—(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

**१८—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में अब तक कितने उद्योगों का सर्वे कराया गया और किन-किन को सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—वाराणसी जिले में विभिन्न लघु तथा कुटीर उद्योगों का सामान्य सर्वे कराया जा रहा है । औद्योगिक विकास के लिये अनुदान देने की रकम जिलेवार निश्चित नहीं है ।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बनारस जिले में चन्दौली तहसील में खादी ग्रामोद्योग के सिलसिले में दो सघन क्षेत्र चल रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गेंदासिंह—अगर जिलेवार कोई फेहरिस्त तैयार नहीं की है तो क्या बनारस जिले में कुछ लोगों ने सहायता प्राप्त की है ?

श्री धर्मसिंह—मुझे इस प्रकार की कोई इत्तला नहीं है, जिलेवार के बारे में ।

रजा टेक्सटाइल मिल, रामपुर में सी-शिफ्ट बन्द होने से मजदूरों की बेकारी

**१९—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को यह मालूम है कि रजा टेक्सटाइल मिल, रामपुर की एक शिफ्ट बन्द कर दी गयी है और उसके विरोध में तीन मजदूर भूख-हड़ताल कर रहे हैं ?

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—सेवायोजक और श्रमिकों के बीच २ फरवरी, १९५८ ई० को 'सी' शिफ्ट के बन्द करने का एक समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप यह शिफ्ट १० फरवरी, १९५८ ई० को बन्द कर दी गयी ।

३ श्रमिकों ने क्रमशः ८-२-५८, १०-२-५८ तथा १२-२-५८ से भूख-हड़ताल की । १३-२-५८ को ये लोग जेल भेज दिये गये और तत्पश्चात् उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दी ।

**२०—श्री चन्द्रजीत यादव—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मिल की एक शिफ्ट क्यों और कब से बन्द है ? उसके फलस्वरूप कितने मजदूर बेकार हुए हैं और सरकार शिफ्ट बन्दी रुकवाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सेवायोजक और श्रमिकों के हित में 'सी' शिफ्ट का चलना लाभकर होने की आशा पूर्ण न होने के कारण, दोनों पक्षों में उसको बन्द करने के समझौते के अनुसार, उसे १०-२-५८ से बन्द कर दिया गया। इसके फलस्वरूप कुल २३१ श्रमिक बेकार हुए। प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि शिफ्ट-बंदी श्रमिकों की सम्मति से एक समझौते के अन्तर्गत हुई।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रमिकों की ओर से किन लोगों ने सेवा आयोजकों से समझौता किया और उस समझौते के क्या आधार थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—रजा टेक्साटाइल के श्रमिकों की ३ रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। उन तीनों श्रमिकों की संस्थाओं और उनके मालिकों ने यह समझौता किया। जहां तक समझौते की शर्तों का सम्बन्ध है उसमें "सी" शिफ्ट के जितने परमानेंट सब्स्टीट्यूट वर्कर्स थे वह तो सब "ए", "बी" शिफ्ट में रख लिये गये और २३१ श्रमिक जो २४० दिन से कम के मजदूर थे उन्हें नौकरी से पृथक कर दिया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि "सी" शिफ्ट में उस समय कितने मजदूर काम कर रहे थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—८४८।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन २३१ मजदूरों को अलग कर दिया गया उन्हें सेवा योजकों की तरफ से किसी प्रकार के कम्पेंसेशन दिलाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—नियमानुकूल जो कुछ पैसा उन श्रमिकों को मिलना चाहिए था उसके मिलने की व्यवस्था है।

श्री गेंदासिंह—इस शिफ्ट को बन्द करने के लिये क्यों लाचार होना पड़ा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह लाचारी मालिक और मजदूर दोनों ने महसूस की और उसका हल खुद निकाला। हल निकालने के बाद हमें यह मालूम हुआ कि यह लाचारी यहां आ कर अटक रही है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार को जानकारी है और उसने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि यह वाकई बनावटी लाचारी है या क्या बात है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मालिक और मजदूर जब दोनों एक राय पर आ जायं तो उससे ज्यादा सच्ची परिस्थिति कभी नहीं रहती।

सहकारी सूती मिल

२१—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर सहकारी सूती मिल खोलने की योजना विचाराधीन है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अभी इस बात का निर्णय नहीं किया गया है कि राज्य में कितनी और कहां-कहां सहकारी सूती मिलें खोली जायं।

ओ० के० इन्टर कालेज, लार, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य की हृदयगति रुकने से मृत्यु

**२२—श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ओ० के० इन्टर कालेज, लार (देवरिया) के प्रधानाचार्य श्री महबूब हसन की मृत्यु जो रहस्यमय ढंग से दिनांक १६।१७ फरवरी, १९५८ ई० की रात को हो गयी उसके विवरण पर प्रकाश डालेगी तथा इस संबंध में की गयी कार्यवाही बतायेगी?

गृहमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्री महबूब हसन की हृदयगति बन्द हो जाने से तारीख १७ फरवरी, १९५८ को रात्रि में ८ बजे अचानक मृत्यु हो गयी। जांच से पता चला कि मृत्यु से पहले वह टहल कर आये थे। कहा जाता है कि वह उच्च रक्तचाप के पुराने मरीज थे तथा समय-समय पर डाक्टरों से इस विषय में सलाह लेते थे। उनकी मृत्यु में रहस्यमयी कोई बात नहीं है और उनके पुत्रों तथा अन्य संबंधियों के बयान से सिद्ध है कि उनकी मृत्यु हृदयगति बंद होने से हुई। इस संबंध में सम्बन्धित डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने मौके पर जाकर स्वयं तहकीकात की थी।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में सरकारी गाड़ियों के प्रयोग के संबंध में कथित आदेश

**२३—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एलेक्शन कमीशन से ऐसा कोई पत्र आया है जिसमें मंत्री मंडल के सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में सरकारी कारें न प्रयोग करने के लिये आग्रह किया गया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला बोर्ड के चुनाव यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ के अन्तर्गत हो रहे हैं। इन चुनावों से निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है।

श्री छैलबिहारी श्रीवास्तव मंत्री नान गजटेड कर्मचारी संघ की कथित भूख हड़ताल

**२४—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री छैलबिहारी श्रीवास्तव, मन्त्री, नान-गजेटेड कर्मचारी संघ, संघ की मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं? यदि हां, तो वह मांगें क्या हैं और सरकार का उनके प्रति क्या रुख है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

**२५—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री छैल बिहारी श्रीवास्तव ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्य मंत्री से मिलने की प्रार्थना की थी परन्तु उनसे मिलने से इन्कार किया गया? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। ऐसी कोई प्रार्थना मेरे पास नहीं आयी।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नान गजटेड एम्पलाईज एसोसिएशन की तरफ से सरकार से मिलने की उसके प्रतिनिधि मंडल ने कोशिश की, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया? अब इस बात पर पुनः विचार करके सरकार उस प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुनेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार को इस नान-गजटेड कर्मचारी संघ नामक किसी संस्था का पता नहीं।

श्री अध्यक्ष—जबाब में कहा गया है कि ऐसी कोई प्रार्थना मेरे पास नहीं आयी। तो जब इनकार हो रहा है तो यह सवाल नहीं उठेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को पता है कि नान-गजटेड कर्मचारी संघ का जो उत्सव हुआ था उसका उद्घाटन राज्यपाल ने किया था और उसका सभापतित्व श्री राजनारायण ने किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री राजनारायण ठीक ही कहते होंगे और ऐसा जरूर हुआ होगा जब वह कहते हैं ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि श्री सम्पूर्णानन्द जी को उस सभा में बुलाया गया था और उन्होंने जाने से इन्कार कर दिया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नान-गजटेड कर्मचारियों की ओर से, उनकी किसी संस्था की ओर से, उनके सम्मुख कोई मांगे आयी हैं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने निवेदन किया कि जहां तक मैं जानता हूं उनकी कोई संस्था ही नहीं है, तो मांगें आतीं किसकी ओर से ?

श्री राजनारायण---क्या सरकार को यह मालूम है कि श्री छैलबिहारी ने कभी भी भूख हड़ताल की थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका उत्तर तो बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि इस समय नहीं कर रहे हैं, मगर इसी लखनऊ में भूख हड़ताल हुई थी, उस पर कामरोको प्रस्ताव भी सदन में आया था । इसलिये मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि श्री छैल बिहारी ने कभी भी भूख हड़ताल की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक हमको मालूम है उन्होंने कभी भी कोई भूख हड़ताल नहीं की ।

तारांकित प्रश्न

औद्योगिक सहकारी समिति योजना का उद्योग विभाग को हस्तान्तरण

*१---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा संचालित कौन-कौन सी योजनायें चालू हैं और कब से ?

श्री धर्म सिंह---१-हैण्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटीज योजना १९४८ से ।

२---औद्योगिक सहकारिता योजना १९५१ से ।

*२---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज स्कीम १९४७ से सहकारी विभाग में प्रारम्भ हुई है और १९४८ में उद्योग विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई थी ?

श्री धर्म सिंह---जी हां, सहकारी विभाग ने १९४८ में उद्योग विभाग को औद्योगिक सहकारी समिति योजना ट्रान्सफर की जिसके अन्तर्गत अधिकतर बुनकर समितियां थी ।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि उद्योग विभाग की क्वालिटी मार्किंग स्कीम जो मुख्यतः औद्योगिक सहकारी समितियों के उत्पादन को गुणांक करती है और जो वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज स्कीम के प्रारम्भ होने के कुछ वर्ष पश्चात् स्वीकृत हुई वह स्थायी कर दी गयी ?

श्री धर्म सिंह—क्वालिटी मार्किंग योजना के अन्तर्गत केवल हस्तकर्घा वस्त्रों पर ही गुणांकन नहीं किया जाता बल्कि अन्य वस्तुओं पर भी गुणांकन किया जाता है। क्वालिटी मार्किंग योजना, १९४८ में चालू की गयी और वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज स्कीम भी १९४८ में। क्वालिटी मार्किंग योजना के अन्तर्गत कुछ कर्मचारियों को १-४-५७ से स्थायी कर दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज स्कीम, १९४७ को उद्योग विभाग को हस्तान्तरित करने का कारण क्या था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उद्योग विभाग में ट्रांसफर करने की खुली हुई वजह थी। उद्योग विभाग उद्योग का काम करने वाला महकमा है और वह भी उद्योग का काम करने वाली स्कीम थी, लिहाजा उनको एक जगह होना चाहिए था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग में इस सोसाइटी के आने के बाद पुरानी सोसाइटी और अबकी सोसाइटी के कामों में या उसके फैलाव में क्या फर्क हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अब, हुजूर मुख्तलिफ सोसाइटी हैं, मुख्तलिफ जगहों की सोसाइटी हैं और मुख्तलिफ वक्तों की बनी हुई सोसाइटी हैं। मैं कहां तक बयान करूं कि क्या-क्या फर्क हुए हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १९५७ से कितने कर्मचारी स्थायी किये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—फेहरिस्त इस वक्त मेरे पास है नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितने कर्मचारी इसमें हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कुल की भी इसमें तादाद नहीं है।

विद्युत् विभाग में ऐपरेंटिस इंजीनियरों की नियुक्ति

*४—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिजली विभाग में कितने ऐपरेंटिस इंजीनियर कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं और उनको कितना स्टाइपेन्ड दिया जाता है और किस आधार पर वे रखे जाते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—विद्युत् विभाग में इस समय ४१ ऐपरेन्टिस इंजीनियर ट्रेनिंग पा रहे हैं। इनमें से—

(१) अगस्त १९५७ से ४,
(२) सितम्बर १९५७ से २८,
(३) अक्तूबर १९५७ से ४,
(४) नवम्बर १९५७ से ४, और
(५) जनवरी १९५८ से १।

इनमें से ६ को भारत सरकार का १५० रुपया मासिक का स्टाइपेंड (stipend) मिल रहा है और १४ को उत्तर प्रदेश सरकार का कुल १२५ रु० मासिक का स्टाइपेंड दिया जाता है जिसमें २५ रुपये मंहगाई भत्ता भी शामिल है ।

ये ऐपरेन्टिस इस आधार पर रक्खे जाते हैं कि उस कालेज से जिसमें उन्होंने पढ़ा है कुछ जानकारी प्राप्त की जाती है और महकमे की एक कमेटी विशेषज्ञों की बैठती है । वह इन्टरव्यू करती है । इस प्रकार इसका अन्दाजा किया जाता है कि इंजीनियरी में कैसी लियाकत है, आम जानकारी कैसी है और स्वास्थ्य कैसा है ।

*५--श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनका Provisional appointment किस आधार पर किया जाता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उनका असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रावीजनल ऐप्वइंटमेंट (Provisional appointment) उनकी अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा विभाग में ट्रेनिंग काल में उनके कार्य और व्यवहार तथा कौशल के आधार पर किया जाता है ।

*६-८--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

*९-१०--श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--[सदस्य की प्रार्थना पर १७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११-१३--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

*१४--श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

*१५--श्री लोकनाथ सिंह--[२४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६-१७--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--[परिवहन मंत्री से संबंधित दसवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७५-७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१८-१९--श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)--[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

*२०-२१--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--[७ फरवरी, १९५८ को प्रश्न संख्या ५८-६० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*२२--२४--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बस्ती)-- [सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

*२५--२६--श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)--[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

खाण्डसारी शीरे को कर-मुक्त करने की मांग

*२७--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत वित्तीय वर्ष में शीरे से कुल कितना सेल्स-टैक्स वसूल हुआ और खाण्डसारी शीरे से केवल कितना ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--गत वित्तीय वर्ष में शीरे पर बिक्री-कर से २,३८,६३७ रुपये की कुल धनराशि वसूल हुई थी, जिसमें से खांडसारी शीरे से ७१,०८९ रुपये वसूल हुए थे ।

*२८—श्री जगदीश शरण अग्रवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास यू० पी० खाण्डसारी ऐसोसिएशन की ओर से ऐसी मांग आयी है कि खाण्डसारी शीरा को कर-मुक्त कर दिया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार के पास कुछ इस तरह की मांगें इस ऐसोसिएशन से आई थीं। उन पर सरकार ने सावधानी से विचार करने के पश्चात् १ फरवरी, १९५७ से खांडसारी शीरे पर टैक्स की दर आधी कर दी। तब से इस प्रकार की कोई मांग सरकार के पास नहीं आई है।

*२९—श्री रामजी लाल सहायक (जिला मेरठ)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*३०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*३१—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

१०० रु० से कम वेतन पाने वालों का मंहगाई भत्ता

*३२—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता कितना मिलता है ?

श्री धर्मसिंह—१०० रुपये प्रति मास तक पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता निम्न दरों से मिलता है:

वेतन वर्ग	मंहगाई भत्ता
५० रुपये प्रतिमास तक	२५ रुपये प्रति मास
५१ रुपये से ७० रुपये तक	३० रुपये प्रतिमास।
७१ रुपये से ७४ रुपये तक	१०० रुपये प्रतिमास से जितना वेतन-कम पड़ता हो।
७५ रुपये से १०० रुपये तक	२५ रुपये प्रतिमास।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बतायेगी कि जैसे ७१ से ७४ रुपये तक १०० रु० प्रतिमास से जितना कम वेतन पड़ता है उतना भत्ता दिया जाता है तो ५० से ७० रुपये तक तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को इसी आधार पर भत्ता क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री धर्मसिंह—वह तो जैसे उत्तर में निवेदन किया है वही आधार है जिसके अनुसार दिया जाता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन् उत्तर से ही सम्बन्धित प्रश्न था कि एक जगह सरकार ने यह आधार बनाया है कि ७१ से ७४ तक १०० रुपये प्रतिमास से जितना कम वेतन पड़ता है उतना भत्ता दिया जाता है तो मैंने यह प्रश्न किया कि ५० से ७० रुपये तक जो वेतन पाते हैं उनके भी मंहगाई भत्ते का सिद्धान्त यही क्यों नहीं रखा गया ?

श्री धर्मसिंह—मंहगाई भत्ता रखने का जिस ढंग से प्रयत्न किया गया वह मैंने उत्तर में निवेदन किया। यह मंहगाई भत्ता उसी पर आधारित है और उसके आधार पर ही यह दिया जाता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह आधार क्या है जिसके आधार पर यह दर तय की गयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह पे कमेटी की रिपोर्ट है। उसको पढ़ कर मेम्बर साहबान मालूम कर सकते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष ५ रुपये की मजीद इम्दाद जो दी गई थी वह भी इस मंहगाई भत्ते में शामिल है?

श्री धर्मसिंह—वह इसमें सम्मिलित नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि गत वर्ष बजट भाषण में माननीय वित्त मन्त्री ने यह कहा था कि ६० रुपये से ऊपर भत्ते को मिलाकर १०० रुपये तक होने के लिये जितनी कमी होगी उसका एक तिहाई गवर्नमेंट आफ इंडिया देगी तो उस एक तिहाई की भारत सरकार की सहायता को क्यों अवेल नहीं किया गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं तो हजूर मुख्तसर तौर पर यह अर्ज करूंगा कि जो कुछ मैंने अर्ज किया उस पर अमल कर लिया गया है।

प्रादेशिक सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता

*३३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई का भत्ता प्रति मास किस रेट से मिलता है?

श्री धर्मसिंह—मंहगाई भत्ते की दरें निम्न प्रकार हैं:—

वेतन वर्ग			मंहगाई भत्ता
५० रुपये तक	..	..	२५ रुपये प्रतिमास
५१ रुपये से ७० रुपये तक	..	..	३० रुपये प्रतिमास
७१ रुपये से ७४ रुपये तक	..	..	१०० रुपये प्रतिमास से जितना वेतन कम पड़ता हो।
७५ रुपये से १०० रुपये तक	..	..	२५ रुपये प्रतिमास
१०१ रुपये से १५० रुपये तक	..	..	३० रुपये प्रतिमास
१५१ रुपये से ४५० रुपये तक	..	..	३५ रुपये प्रतिमास
४५१ रुपये से ४८४ रुपये तक	..	..	४८५ रुपये प्रतिमास से जितना वेतन कम पड़ता हो।

श्री ऊदल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा आश्वासन इस सरकार को दिया था कि जो महंगाई भत्ते में कमी है वह अलग से केन्द्रीय सरकार देने के लिये तैयार है तो सरकार ने उसको लेने के लिये कौन-सा कदम उठाया है?

श्री धर्म सिंह—इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि गत वर्ष माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में स्वीकार किया था कि आज जो लोग जितना महंगाई भत्ता ६० रुपये तक पाते हैं उसको १०० रुपये तक होने में जितनी रकम लगेगी उसका दो तिहाई केन्द्रीय सरकार देने का फैसला कर चुकी है? यदि हां, तो उस रुपये को क्यों नहीं लिया गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसकी बाबत मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ७१ रुपये से ७४ रुपये तक जो भत्ता १०० रुपये तक दिया जाता है वह २९ से लेकर २६ रुपये तक दिया जाता है या ५ रुपये कम करके २४ से २१ रुपये तक दिया जाता है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं फौरन तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर मेम्बर साहब को मालूमात हासिल करनी हैं तो मेरे कमरे में तशरीफ ले आयें ? मैं सब बतला दूंगा ।

*३४-३६---श्री अमरनाथ---[कृषि मन्त्री से सम्बन्धित सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६७-६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

फर्रुखाबाद जिले में बिक्री-कर का बकाया

*३७---श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में २,००० रुपया या इससे अधिक सेल्स-टैक्स का बकाया किन-किन व्यक्तियों तथा फर्मों पर है ?

श्री धर्म सिंह---उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम के अनुसार कर निर्धारण और कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाहियों के समस्त ब्योरे गोपनीय रखे जाने चाहियें । इसलिये सरकार वांछित सूचना देने में असमर्थ है ।

गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ के अस्थायी कर्मचारी

*३८---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ में कितने कर्मचारी अस्थायी और कितने स्थायी हैं ?

श्री धर्म सिंह---गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ में ८२९ कर्मचारी अस्थायी और १०९ कर्मचारी स्थायी हैं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्यों इतनी बड़ी संख्या अस्थायी कर्मचारियों की अभी तक स्थायी नहीं की गयी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वहां तरीका यह है कि पांच साल की सर्विस के आदमी को मुस्तकिल करते हैं । तो जिनकी पांच साल की सर्विस हो गयी होगी वह मुस्तकिल हैं और दूसरे सब गैर-मुस्तकिल हैं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या जो अस्थायी कर्मचारी हैं उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान सुविधाएं दी जाती हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---रूल्स में जो फर्क हैं और जिनसे हमारे मेम्बर साहबान भी वाकिफ होंगे, वह तो मुस्तकिल और आरजी कर्मचारियों में रहते ही हैं । जो अस्थायी कर्मचारी हैं वे एक नोटिस पर ही अलग किये जा सकते हैं ।

टेक्निकल स्कूल, मानिकपुर को सरकारी प्रबन्ध में लेने की प्रार्थना

*३९---श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजूदा समय में टेक्निकल स्कूल, मानिकपुर में सरकार की ओर से क्या अनुदान सहायता के रूप में दिया जा रहा है ?

श्री धर्म सिंह---वर्तमान समय में सरकार की ओर से टेक्निकल स्कूल, मानिकपुर को ४,९४४ रु० वार्षिक अनुदान के रूप में दिया जा रहा है ।

*४०---श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार इसे अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है ?

श्री धर्म सिंह---वर्तमान समय में सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कम सहायता होने से स्कूल का खर्चा न चलने के कारण उसके चलाने वालों ने सरकार से मांग की है कि वह ज्यादा सहायता दे या इसे अपने कब्जे में ले ले ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसकी मुझे सूचना नहीं है । लेकिन मेम्बर साहब या कोई और चाहते हैं तो वह गवर्नमेंट से मिलकर बात कर लें, उसे सोच लिया जायेगा ।

झांसी जिले के माताटीला बांध से बिजली देने की योजना

*४१---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की माताटीला बांध की बिजली योजना कब तक पूर्ण होगी और इस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

श्री धर्म सिंह---योजना १९६०-६१ तक पूर्ण होने की संभावना है तथा कुल व्यय ३७४.२५ लाख रुपये होने का अनुमान है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---माताटीला योजना के अन्तर्गत किन-किन नगरों और कस्बों को बिजली मिलेगी ?

श्री धर्म सिंह---इस समय तो केवल झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---मैंने पूछा कि किन-किन नगरों और कस्बों को मिलेगी ?

श्री धर्मसिंह---उनकी सूची मेरे पास नहीं है । यह बाद में तय होगा ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---इस बिजली की कास्ट आफ प्रोडक्शन सरकार की क्या होगी और किस रेट पर वह उपभोक्ता को दी जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कास्ट आफ प्रोडक्शन उसी वक्त बताई जा सकती है जबकि उसका खर्चा इस स्टेज पर पहुंच जाय कि उससे आगे ज्यादा खर्चा होने वाला नहीं है । यह स्टेज अभी नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह---इस योजना को पहले-पहल कब शुरू किया गया था और उस समय कब इसे खत्म होना था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसका टार्गेट १५ हजार किलोवाट का था ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---इस योजना के पूरा होने पर कितनी बिजली पैदा होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---१५ हजार किलोवाट ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---इस योजना में अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस वक्त मुझे याद नहीं है ।

श्री गेंदासिंह---यह योजना पहले-पहल कब शुरू की गयी थी और कौन सी तारीख पूरा होने की उस समय मुकर्रर की गयी थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---पहले पहल कब शुरू की गयी, इसकी जिम्मेदारी में नहीं लेता हूं कि मैंने सही सन् बतलाया है । मैं याद से कहता हूं कि मेरे नजदीक इसका इन्वैस्टीगेशन ही शायद सन् ४९ या ५० में हुआ था ।

श्री गेंदासिंह---इतनी देर होने का कारण क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसकी निस्बत मैं एक बात अर्ज कर दूं, हुजूर, बड़ा अच्छा जवाब है। दुनिया में जो डैम्स बने हैं, चाहे इर्रीगेशन के हों, या बिजली के हों, मेम्बर साहबान उनकी तारीखें देखने की तकलीफ करें कि कब उनका आइडिया हुआ और कब इन्वेस्टीगेशन हुआ और कब जाकर वह स्कीम पूरी हुई, उससे मालूम हो जायगा।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---इन तीन जिलों के टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज को भी बिजली मिलेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो माननीय सदस्य स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, कोई अकेले देहात को ही थोड़े दी जायगी।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या मध्य प्रदेश को भी इस योजना से बिजली मिलेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मध्य प्रदेश ने कहा है कि उनको भी इसमें से बिजली दी जाय, मगर कोई निश्चित जवाब हमने उनको नहीं दिया है कि हम देंगे ही। खयाल है कि हो सका तो देंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार से कोई लिखा-पढ़ी इस बारे में किया है कि इस योजना के खर्च में वह भी हिस्सा बंटावे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसका कोई मौका नहीं था, इसलिये कि मध्य प्रदेश से हमारा वास्ता, और बिलखसूस इस मामले में, जब से जोन कायम हुये हैं, तब से हुआ है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---सुना है कि उरई में कानपुर से भी बिजली दी जा रही है, इन दोनों बातों में कौन सी सही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---दोनों ही सही हो सकती हैं। जालौन का कुछ हिस्सा कानपुर से फीड हो सकता है और कुछ उधर से।

*४२---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)---[हटा दिया गया।]

*४३-४४---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*४५---श्री मदन पांडेय---[२४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४६---श्री होरीलाल यादव---[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

गुड़ खंडसारी के ट्रैफिक में अधिक सुविधायें देने की प्रार्थना

*४७---श्री जगदीशशरण अग्रवाल (अनुपस्थित)---क्या प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से आग्रह करने की कृपा करेगी कि वे सीजन में गुड़ खंडसारी के ट्रैफिक को वही प्राथमिकता (Priority) दें जो चीनी मिलों की शकर को दी जाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---ऐसा आग्रह करना प्रदेशीय सरकार जरूरी नहीं समझती।

*४८---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*४९-५०---श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)---[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*५१-५३—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

मछली शहर के उत्तरी क्षेत्र में चुर्क सीमेंट फैक्टरी की एजेन्सी की मांग

*५४—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में मछली शहर के उत्तरी क्षेत्र में चुर्क सीमेंट फैक्टरी की एजेन्सी देने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्म सिंह—ऐसी कोई व्यवस्था अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह भविष्य में कोई व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—चुर्क सीमेंट फैक्टरी से अब तो ज्यादातर सीमेन्ट रिहंद डैम के लिये जा रहा है। पहले वहां सीमेन्ट खर्च नहीं हो रहा था। अब जब वहां सीमेन्ट खर्च होने लगा है तो बहुत कम मौका रह गया है कि जहां पहले से सीमेन्ट नहीं दिया जाता था वहां दिया जावे।

*५५-५६—श्री नागेश्वरप्रसाद—[माल मंत्री से सम्बन्धित बारहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७८-७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५७-५९—श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

सरकारी अतिथि-गृह लखनऊ पर व्यय

*६०—श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सरकारी अतिथि-गृह लखनऊ में खोला गया है उस पर अब तक कितना व्यय किया गया है ?

श्री धर्म सिंह—अतिथि-गृह के फर्नीचर आदि में ३१,२०० रु० व्यय किया गया है।

*६१—श्री उग्रसेन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस अतिथि-गृह पर प्रतिमाह सरकारी धन कितना व्यय किया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—अतिथि-गृह पर प्रति माह १०२८ रुपया ०९ नया पैसा व्यय किया जा रहा है।

*६२—श्री उग्रसेन—इस अतिथि-गृह सज्जा के लिये जो वस्तुयें खरीदी गयीं, क्या उस कारण स्टोर परचेज के नियमों का उल्लंघन हुआ ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस अतिथि-गृह की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री धर्मसिंह—बाहर से अतिथि आते थे, इसलिये आवश्यकता है।

*६३-६४—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*६५-६६--श्री लक्ष्मणराव कदम--[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*६७-६८--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*६९-७०--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तथा मुहम्मदाबाद तहसीलों में घरेलू उद्योगों के लिए सहायता

*७१--श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४७ से लेकर १९५७ तक आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी और मुहम्मदाबाद के किन-किन व्यक्तियों को किन-किन घरेलू उद्योगों के लिये कितना-कितना रुपया प्रदान किया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी और मुहम्मदाबाद में १९४७ से १९५७ तक ६ व्यक्तियों को "ऋण व अनुदान योजना" के अंतर्गत भिन्न-भिन्न घरेलू उद्योगों के लिये रुपया दिया गया जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५८० पर)

*७२--श्री इन्दुभूषण गुप्त (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तालिकानुसार अब तक किन-किन व्यक्तियों ने प्राप्त सहायता से कितना कार्य किया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सूची में क्रम-संख्या १, २, ३, तथा ४ पर उल्लिखित व्यक्ति अपना कार्य सुचारु रूप से चला रहे हैं तथा बाकी दो व्यक्तियों के बारे में जांच की जा रही है।

*७३--श्री इन्दुभूषण गुप्त (अनुपस्थित)--क्या उद्योग-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को उक्त धन दिया गया है उनमें से कितना वसूल हुआ अथवा कितने का write off करना पड़ा ? ऐसे व्यक्तियों के नाम और धनराशि क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सूची में क्रम-संख्या १, २, ३ तथा ४ पर उल्लिखित व्यक्तियों को दिये गये अनुदान का "उचित उपयोग प्रमाणपत्र" (Proper Utilisation Certificates) महालेखापाल, उत्तर प्रदेश (Accountant General U. P.) को भेज दिया गया है अतः उनसे वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता। शेष दो व्यक्तियों के बारे में जांच के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायगी। १,००० रुपये की दी गयी ऋण की धनराशि में से ५०० रुपये अब तक वसूल हो चुका है व ५०० रुपये शेष है।

*७४--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--[हटा दिया गया।]

रिहन्द बांध की दीवाले फटने की शिकायत

*७५--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मिर्जापुर जिले में रिहन्द बांध की दीवाल नं० १६-१८ जो नई बन रही हैं उसमें ३०० फुट की उंचाई से दरार पड़ गयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—रिहन्द बांध के ब्लाक नं० १६ व ब्लाक नं० १८ नीव की चट्टान से क्रमशः ७५ फीट और ५० फीट उंचाई तक बनाये गये हैं। इसलिये इन ब्लाकों में ३०० फीट की उंचाई पर दरार पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता । दोनों ही ब्लाकों में ऐसी कोई दरार नहीं पड़ी है।

*७६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन दीवालों को बनाने के लिये कितने ठेकेदारों को ठेका दिया गया था और कितने का ठेका था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रश्न नहीं उठता ।

*७७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रिहन्द बांध में कौन-कौन सी दीवालें अब तक फट चुकी हैं और उनमें कितने का नुकसान हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—रिहन्द बांध में अब तक कोई दीवाल नहीं फटी है इसलिये नुकसान का प्रश्न नहीं उठता।

विधायकों को अलग-अलग कमरे देने की प्रार्थना

*७८—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करने का विचार कर रही है कि प्रत्येक विधायक के रहने के लिये अलग-अलग कमरों का प्रबन्ध हो जाय ?

*७९—यदि हां, तो कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो बहुत ही अच्छा है परन्तु ऐसा प्रबन्ध होने में बहुत समय लगेगा।

महिलाओं को उद्योग धंधे तथा प्रशिक्षण देने के लिये प्रार्थना

*८०—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिये कितने छोटे कुटीर उद्योग-धंधे खोले जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—राज्य सरकार केवल महिलाओं के लिये छोटे कुटीर उद्योग-धंधे खोलने का विचार नहीं रखती । औद्योगिक शिक्षालय योजना, सघन विकास योजना, पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्र विकास योजना, सहायता एवं पुनर्वास योजना तथा पात्रकला विकास योजना के अन्तर्गत बहुत से केन्द्र खोले गये हैं जिनमें महिलाओं को विभिन्न प्रकार के उद्योगों, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, आदि की शिक्षा दी जाती है तथा कुछ केन्द्रों पर उत्पादन भी किया जाता है।

श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन शिक्षा प्राप्त महिलाओं को सरकार कोई आर्थिक सहायता देगी जिससे वे अपनी ट्रेनिंग का सदुपयोग कर सकें ? यदि हां, तो कितनी महिलाओं को कितनी संख्या में आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पैसे की जो मदद की गयी है, उसके मुताल्लिक इस वक्त नहीं बताया जा सकता क्योंकि उसका हिसाब इस वक्त मौजूद नहीं है।

श्रीमती शकुन्तलादेवी—इस योजना के अन्तर्गत किन-किन को शिक्षा दी गयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिनको ट्रेनिंग दी गयी है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इस समय उनके नाम नहीं बताये जा सकते ।

*८१—श्रीमती शकुन्तलादेवी—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*८२-८३—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*८४—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—[श्रम मंत्री से सम्बन्धित आठवें शुक्रवार में प्रश्न संख्या ८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८५—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*८६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—[कृषि मंत्री से सम्बन्धित, सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८७-८८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—[२४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*८९-९०—श्री विश्रामराय—[२४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

उन्नाव जिले की बांगरमऊ तथा सफीपुर तहसीलों में बिजली देने की योजना

*९१—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला उन्नाव में बांगरमऊ, सफीपुर तथा कुरसढ़ इत्यादि स्थानों में बिजली पहुंचाने के लिये कब खंभे लगाये गये थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बांगरमऊ तथा सफीपुर में खम्भे लगाने का कार्य फरवरी, १९५७ में पूरा कर दिया गया था। कुरसढ़ में खम्भे नहीं लगाये गये हैं।

*९२—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि खंभे लगते देखकर बहुत से लोगों के घरों में बिजली की फिटिंग करा ली गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

*९३—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त स्थानों में कब तक बिजली मिलने लगेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बांगरमऊ तथा सफीपुर का विद्युतीकरण हो गया है। कुरसढ़ नगर के विद्युतीकरण का अभी कोई निश्चय नहीं है।

*९४—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला फतेहपुर)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*९५-९७—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[२४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले में गृह उद्योगों के विकास के लिये सहायता

*९८—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन गृह उद्योगों का विकास किया जायगा और कितना-कितना अनुदान दिया जायगा ?

श्री धर्मसिंह—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८१ पर)

श्री हिम्मतसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इनमें कितने प्राइवेट सेक्टर के हैं और कितने पब्लिक सेक्टर के हैं ?

श्री धर्मसिंह---यह इंडस्ट्री विभाग से सम्बन्धित है और उन्हीं की सूचना आपको बतायी गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस योजना में बुलन्दशहर में जो खर्च किया जायगा, उसकी कुल रकम कितनी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---किसी एक जिले की रकम अलहदा नहीं बतायी जा सकती। जितने खर्च की जहां जरूरत होती है, वहां उसी हिसाब से खर्च किया जाता है।

*९९-१००---श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन)---[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*१०१-१०२---श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---[२४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये]।

बस्ती जिले के खादी केन्द्र तथा उद्योगों के लिये सहायता

*१०३---श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में कितने राजकीय चर्खा केन्द्र हैं और कहां-कहां पर ?

श्री धर्मसिंह---बस्ती जिले में ११ खादी केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं। ये केन्द्र निम्नलिखित स्थानों में हैं---हैसरबाजार, उस्काबाजार, तेतरीबाजार, कलवारी, मेहदावल, दिवाकरपुर, नगरबाजार, बनकटवा, मझवांलाला, महाराजगंज और डुमरियागंज।

*१०४---श्री रणबहादुरसिंह---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में उद्योग विभाग से १९५६-५७ में कितनी सहायता और अनुदान दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह---बस्ती जिले में १९५६-५७ में "ऋण व अनुदान योजना" के अंतर्गत ६ आवेदकों को कुल १८,००० रु० का ऋण और २ आवेदकों को कुल १,५०० रुपये का अनुदान दिया गया।

*१०५---श्री रणबहादुरसिंह---क्या उद्योग मंत्री बस्ती जिले में बहुत बड़े पैमाने पर इन्डस्ट्री खोलने जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

श्री रणबहादुरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह केन्द्र कब खोले गये ?

श्री धर्मसिंह---तिथि के बारे में तो निश्चित नहीं बताया जा सकता।

श्री रणबहादुरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो ११ केन्द्र हैं, ये शुरू से ही थे या उनमें बाद में कुछ परिवर्तन किया गया ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रणबहादुरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी उन लोगों के नाम बतायेंगे जिन लोगों को यह अनुदान दिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेम्बर साहब या और जिन साहब को देखना हो वे उनके नाम मेरे पास आकर देख लें, मैं उनको बता दूंगा। यहां उनके नाम पढ़े जायं, यह मुनासिब नहीं है।

श्री रणबहादुरसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बस्ती जिले की अधिक आबादी, अधिक बेकारी और कच्चे माल की अधिकता को देख कर भविष्य में कोई उद्योग वहां बड़े पैमाने पर खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिस इंडस्ट्री की चर्चा इस सवाल में की गयी है वह तो बिलकुल यू० पी० की सरकार के कब्जे के बाहर की बात है और जहां तक इसका वास्ता है कि क्या भारी इंडस्ट्री यहां कायम हो, उसके मुताल्लिक यहां हाउस में कई दफा अर्ज किया गया है, मैं जरूरी नहीं समझता कि उसके मुताल्लिक और कुछ कहूं।

यू० पी० फाइनेंशियल कारपोरेशन द्वारा दिया गया ऋण

*१०६—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन के द्वारा वित्तीय वर्ष १९५६–५७ व १९५७–५८ में किन-किन फर्मों व कम्पनियों को कितनी सहायता व ऋण दिया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यू० पी० फाइनेन्शियल कारपोरेशन ने वित्तीय वर्ष १९५६–५७ व १९५७–५८ (२५ फरवरी, १९५८ तक) जो ऋण दिया उसका ब्योरा इस प्रकार है—

अपने निजी धन से—१९५६–५७ में ६ कम्पनियों को ९,८०,००० रुपये और ७ फर्मों को ४,७४,००० रुपये ऋण के रूप में दिया गया।

१९५७–५८—(२५ फरवरी, १९५८ तक) ८ कम्पनियों को २३,२२,००० रुपये और ९ फर्मों को ११,९७,००० रुपये ऋण के रूप में दिया गया।

सार्वजनिक हित में फर्मों तथा कम्पनियों का नाम बताना उचित नहीं है क्योंकि यह कारपोरेशन उसी प्रथा के अनुसार ऋण देता है जिस प्रकार अन्य बैंक।

सरकारी धन से—
(Liberalised loans Scheme)

१९५६–५७—२० औद्योगिक काम करने वालों को ४,६३,१०० रुपये ऋण के रूप में दिया गया।

१९५७–५८—(२५ फरवरी, १९५८ तक) ३२ औद्योगिक काम करने वालों को १०,६८,९०० रुपये ऋण के रूप में दिया गया।

सरकारी धन से जिनको ऋण दिया गया उनके नाम संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८२–५८४ पर)

*१०७–१०८—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[कृषि मंत्री से संबंधित सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १९–२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१०९–११०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[प्रश्न संख्या ७५–७७ की पुनरावृत्ति के कारण हटा दिये गये।]

*१११–११२—श्री नारायणदत्त तिवारी—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

* ११३—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*११४—श्री रघुवीर राम—(जिला गाजीपुर)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में हस्त कर्घा विकास योजनान्तर्गत सहायता

*११५—श्री उग्रसेन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में १९५२ से १९५६ तक कितने व्यक्तियों को कितनी धनराशि कर्घा उद्योग के लिये दी गई ?

श्री धर्मसिंह—देवरिया जिले में १९५२ से १९५६ तक "ऋण तथा अनुदान योजना" के अन्तर्गत एक व्यक्ति को ५,००० रुपये का ऋण तथा "हस्त कर्घा विकास योजना" के अन्तर्गत तीन समितियों को २,००० रुपये ऋण, १२,००० रुपये अनुदान तथा ५९,३०७ रुपये रिबेट के रूप में दिया गया।

*११६—श्री उग्रसेन—इस अवधि में उक्त धनराशि से कितनी प्रगति कर्घा उद्योग में की गई ?

श्री धर्मसिंह—इस अवधि में उक्त धनराशि से हुई प्रगति की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५८५ पर)

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ५,००० रुपये का ऋण जो श्री राजेन्द्रप्रसाद गुप्त को दिया गया है वह किस तारीख को दिया गया?

श्री धर्मसिंह—तारीख तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन—मैं यह जानना चाहता हूं कि ऋण दिये गये कितनी अवधि हुई ?

श्री अध्यक्ष—आपके पास फेहरिस्त तो होगी ही।

श्री उग्रसेन—लेकिन उसमें बिलकुल गोल शब्दों में लिखा हुआ है कि ५,००० रुपये की धनराशि श्री राजेन्द्रप्रसाद गुप्त को दी गयी, मगर उन्होंने अभी काम आरम्भ नहीं किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी अवधि ऋण देने की हुई और जो उन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जवाब में तो बतला दिया गया है कि उन्होंने काम शुरू नहीं किया और हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि उसमें उनका कसूर है कि नहीं है तब तक आपकी बात का जवाब कैसे दे दें ?

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि उनको ऋण दिये हुए काफी समय हो गया और उन्होंने काम शुरू नहीं किया है, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है और कबसे हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बतला तो दिया कि अभी इसकी तहकीकात कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि इस हस्त कर्घा सोसाइटी को रिबेट और अनुदान जो दिया गया है, उनके हिसाब-किताब की जांच करने के बाद आडिटर ने उनके विरुद्ध सरकार को कुछ लिखा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिनके खिलाफ शिकायत है वह तो बतला दिया गया है। बाकी जिन आदमियों के बारे में उन्होंने कहा है, उनका काम ठीक है और वहां रुपये का कोई मिसयूज नहीं हुआ है। यह बात जवाब में पहले से मौजूद है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि उनके जो उत्पादन केन्द्र हैं वे इस समय बन्द हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—ऐसी गलत खबर मुझ तक नहीं पहुंचती ।

श्री उग्रसेन—वास्तव में बन्द हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तो मुझे बताइये, अगर वे बन्द हैं । मैं आपके कहे पर सब कुछ कर सकता हूं ।

*११७-११८—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण नौ वें सोमवार में प्रश्न संख्या १५२-१५३ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये हैं ।]

आल इण्डिया हैन्डलूम बोर्ड की रिबेट स्कीम

*११९—श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार या उद्योग विभाग ने आल इन्डिया हैन्डलूम बोर्ड की रिबेट स्कीम में कोई तरमीम की है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं ।

*१२०—श्री अब्दुल लतीफ नौमानी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो वे तरमीम क्या-क्या हैं और कब-कब की गईं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रश्न नहीं उठता ।

*१२१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत दो गन्ना सीजनों में क्रमशः १ मई, सन् १९५५ व ८ मई, सन् १९५६ से प्रदेश की किन-किन मिलों में शुगर रिकवरी के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—विवरण संलग्न तालिका 'अ' में दिया हुआ है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५८६--५८७ पर)

*१२२—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री को विदित है कि गन्ना किसानों को ऐसे शुगर मिलों पर भी जहां कि तमाम सीजन की औसतन शुगर रिकवरी ९.६ फीसदी से अधिक रही और गन्ने की कीमत अन्त सीजन में ९.५ फीसदी से कम रिकवरी होते ही कम कर दी गई थी ? यदि हां, तो किस-किस शुगर मिल पर ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, पूर्ण विवरण संलग्न तालिका 'ब' में दिया हुआ है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५८८ पर)

*१२३-१२५—श्री राजेन्द्रदत्त—[स्थगित किये गये ।]

*१२६—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[२४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२७-१२८—श्री मुक्तिनाथराय—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

*१२९-१३०—श्री जंगबहादुर वर्मा—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

*१३१—श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

*१३२—श्री गनेशचन्द्रकाछी—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*१३३—श्री लोकनाथसिंह—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*१३४—श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

लघु उद्योग योजनान्तर्गत मैनपुरी जिले में सहायता

*१३५—श्री मलिखानसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मैनपुरी जिले की लघु उद्योग योजना के अन्तर्गत सन् १९५६–५७ में कितने रुपये का अनुदान एवं कर्ज दिया गया तथा ऐसी सहायता प्राप्त कौन-कौन से उद्योग चल रहे हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—लघु उद्योग योजना के अन्तर्गत सन् १९५६-५७ में मैनपुरी जिले में १,००० रुपये का कर्ज दिया गया जिससे चर्म उद्योग चल रहा है।

*१३६–१३७—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—[सिंचाई मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*१३८—१३९—श्री प्रतापसिंह—[सदस्य की प्रार्थना पर १७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर जिले में सोन नदी के पुल पर व्यय

*१४०—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में जो सोन नदी का पुल बना है उस पर सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अब तक कुल ४७,५८,५६० रुपया खर्च हुआ है।

*१४१—श्री रामप्रसाद देशमुख (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पुल कितना लम्बा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—३,३०० फीट।

*१४२—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया]।

टाउन एरियाज और नगरपालिकाओं को बिजली देने के संबंध में जानकारी

*१४३—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर-प्रदेश में कितने टाउन एरिया ऐसे हैं जिन्हें बिजली मिल रही है और कितने ऐसे हैं जिन्हें बिजली नहीं मिल रही है ?

श्री धर्मसिंह—उत्तर प्रदेश में ७४ टाउन एरिया ऐसे हैं जिनमें बिजली है और १९९ टाउन एरिया ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है।

*१४४—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी नगरपालिकाओं को बिजली मिल गई है ?

श्री धर्मसिंह—उत्तर प्रदेश में १०८ नगरपालिकाओं को बिजली मिल गई है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के १९९ टाउन एरियाज को बिजली कब तक मिल जायगी जिनको अभी तक नहीं मिली है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बिजली लगाने का काम पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा हो रहा है और माननीय मेम्बरान को मालूम है कि या! सेकंड फाइव ईयर प्लान जो है उसमें ३६ नये टाउन एरियाज रखे गये हैं, बाकी आइन्दा तीसरी प्लान में कितने लिये जायंगे इसका निश्चय कुछ दिनों में होने वाला है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन नगरपालिकाओं को बिजली नहीं मिल सकी है उनको कब तक मिल जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वह तो जब उनके करीब तक बिजली पहुंचेगी मिलने लगेगी, अभी तो देर है ।

अतारांकित प्रश्न

१---श्री मलिखानसिंह---[२४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

२-३---श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)---[२४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये। ।]

नैनीताल जिले में जगदीशपुर के निकट भूमि वितरणार्थ समवेत प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---आज फिर मेरे पास कई काम-रोको प्रस्ताव आ गये हैं । ये सब ऐसे हैं जो कि बजट के अनुदानों की बहस में उठाये जा सकते हैं ।

केवल एक प्रश्न के बारे में मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सूचना दे दें। और जिन्होंने इस काम-रोको प्रस्ताव की सूचना दी है, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, कुछ वाकयात के बारे में ।

मैं उसको पढ़ कर सुना देता हूं । कार्य-स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है—

"नैनीताल जिले की किच्छा बाजपुर तहसील के ग्राम जगदीशपुर के निकट बंजर भूमि के वितरण के लिए प्रदर्शन करने वाले हजारों शान्तिपूर्ण भूमिहीन किसानों पर ४ मार्च, १९५८ को हुए भयंकर लाठीचार्ज से उपर्युक्त क्षेत्र में विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है। सैकड़ों व्यक्ति घायल हो चुके हैं और कई घायलों के मरने के भी समाचार प्राप्त हुए हैं। लगभग ७० किसान नेता गिरफ्तार कर लिये गये हैं तथा गिरफ्तारियां जारी हैं । पूरी तहसील में सर्व साधारण जनता घोर आतंक का शिकार है और सैकड़ों व्यक्ति गांव छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं । अनेकों झोपड़ियां जला दी गयी हैं और सैकड़ों साइकिलें, सैकड़ों मन खाद्यान्न, कपड़े, बर्तन इत्यादि नष्ट कर दिये जाने से ग्रामवासी अपने को अत्यन्त असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।

उपर्युक्त परिस्थिति पर विचार करने के लिए सदन अपनी साधारण कार्यवाही स्थगित करता है ।"

यह पब्बर राम जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है । माननीय सम्बन्धित मंत्री जी हैं इस सम्बन्ध में कुछ सूचना सदन को देना चाहें तो कृपा करके दे दें ।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में जो भूमिहीन किसान का लफ्ज रखा गया है वह जरा भ्रामक है। जिन लोगों की इसमें चर्चा है वह वह लोग हैं जिनको आम तौर से राय सिक्ख, विर्क सिक्ख या कम्बोह सिक्ख कहते हैं। पंजाब के रहने वाले हैं। एक प्रकार का पंजाब का क्रिमिनल ट्राइव है। पंजाब कोई जगह नहीं देता है। वे पंजाब में रहने नहीं पाते। धीरे-धीरे जबरदस्ती उत्तर प्रदेश में घुस आये हैं और हमारे यहां जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। वहां के लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि बहुत से क्राइम्स बढ़ गये हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उनको बार-बार सूचित कर दिया गया कि हम किसी भी हालत में उनको जमीन नहीं दे सकते। अगर हमारे पास जमीन होगी तो उत्तर प्रदेश में लाखों आदमी हैं जो भूमिहीन हैं उनका पहले हक है। खुद पहाड़ में शिल्पकार वगैरह हैं जिनको जमीन की आवश्यकता है। इसलिए इन बाहर वालों को हम जमीन नहीं दे सकते।

इन लोगों ने एक खास पार्टी के नेतृत्व में २८ तारीख को एक मीटिंग की और उसमें यह तय किया कि इस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जाय। करीब करीब दो तीन हजार आदमी इनमें से कोई लाठी ले कर, कोई बल्लम आदि हथियार लेकर पहुंचे। उन्होंने कुछ पेड़ काट डाले और कुछ जंगल की चीजों को नष्ट कर दिया। उनको पहले समझाया गया। उस पर उन्होंने फारेस्ट डिपार्टमेंट के आदमियों पर हमला किया। उनको कुछ चोटें आयीं। तब पुलिस गयी और उन लोगों को वहां से निकाला गया। यह बात गलत है कि ७० आदमी गिरफ्तार किये गये, पचास जरूर गिरफ्तार किये गये हैं जिनमें से पांच आदमी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं जिनके नेतृत्व में यह काम किया गया। यह बातें कि झोपड़ियां जलायी गयीं, साइकिलें तोड़ी गयीं, आदि जितनी बातें लिखी गयी हैं, निराधार हैं। किसी के मरने की जो खबर है, वह बिलकुल गलत है। वहां के लोगों में आतंक नहीं है बल्कि वहां के लोग बहुत खुश हैं कि इन लोगों के साथ जो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे, इस तरह से कार्यवाही की गई।

श्री अध्यक्ष---माननीय पब्बर राम, आप किस तरह से कहते हैं कि यह निश्चित और आवश्यक विषय है ?

*श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)---आवश्यक विषय इसलिए है कि अब भी मैं जानता हूं कि रुद्रपुर के थाने के अन्दर पचासों व्यक्ति बन्द हैं और जो यह कहा जाता है कि झोपड़ियां नहीं जलायी गयीं मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि आठ गाड़ियों पर लादकर के वह जली हुई लकड़ी रुद्रपुर में ही एक आदमी के हाथ बेंची गई। इसका पूरा प्रमाण मेरे पास मौजूद है। लाठियां चलायी गईं, सैकड़ों आदमी घायल हुए, उनकी झोपड़ियां जलाई गईं, उनका सामान लूटा गया...

श्री अध्यक्ष---किनका ?

श्री पब्बरराम---वहां पर जो आदमी गए हुए थे, जो भूमिहीन हैं और जिनको कहा जाता है कि वह सिर्फ सिक्ख हैं, उनमें तमाम पूर्वी इलाके के गाजीपुर, बलिया, देवरिया आदि के लोग हैं, उनमें बंगाली हैं, उनमें वहां बसने वाले नैनीताल के पहाड़ी लोग हैं, उनमें हर किस्म के लोग हैं और सिक्खों को जो यह कहा जाता है कि वह क्रिमिनल्स हैं या क्या हैं, उनके बारे में भी यह कह देना चाहता हूं कि वह भूमिहीन हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह दो बातें हैं। किन लोगों का आतंक रहा था इस विषय में मुख्य मन्त्री जी ने बताया। और आप कहते हैं कि वह भूमिहीन थे और वहां पर रहने वाले लोग थे जो भूमिहीन पहले से थे। यह आप कहते हैं। तो निश्चितता स्पष्ट नहीं होती कि वे कौन लोग थे ?

श्री पब्बरराम—स्पष्ट इस मानी में होती है ....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। मैंने तो आप दोनों को सुन लिया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता था माननीय मुख्य मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष—बाद में आप पूछ लें। उत्तर मैं दिलवा दूंगा। लेकिन जहां तक वैधानिकता का प्रश्न है मैं इसको वैधानिक नहीं समझता हूं, क्योंकि यह अनिश्चित सा सवाल है। अब इसके बारे में जानकारी तो मुख्य मन्त्री जी ने दे दी। अगर किसी को बहस करनी है तो जिस वक्त बजट का अनुदान आयेगा उस वक्त इस जानकारी का लाभ उठाकर माननीय सदस्य जो कि कटमोशन उपस्थित करेंगे या किये होंगे वह इसके ऊपर भाषण दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—मैं इतना जानना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने अभी बताया कि तीन हजार आदमी वहां पर गये थे तो क्या यह तीन हजार पंजाब के क्रिमिनल ट्राइब्स थे या उनमें भूमिहीन भी थे और अगर ये तीन हजार क्रिमिनल ट्राइब्स आ गए पंजाब से तो सरकार ने उसके लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहस की बात है। मैं इसके लिए इजाजत नहीं दूंगा। राजनारायण जी समझ सकते हैं, जो उत्तर उन्होंने दिया उसके हिसाब से कुछ लोगों ने मीटिंग की। तो मीटिंग में तीन हजार आदमी नहीं आ सकते या दस हजार आदमी नहीं आ सकते, ऐसी बात तो नहीं है और कानून तोड़ने में दस हजार आदमी शामिल नहीं हो सकते ऐसी भी बात नहीं है, हालांकि किसान केवल पांच ही हो सकते हैं और दस हजार आदमी उनकी मीटिंग में पहुंच सकते हैं। तो यह उन्होंने कभी नहीं कहा कि तीन हजार वह सब सिक्ख ही सिक्ख थे। मीटिंग में तो और लोग हो सकते हैं। यह प्रश्न अब तो निपट गया।

अन्य कार्य स्थगन प्रस्तावों के संबंध में पूंछताछ

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक अन्य प्रश्न था। जो अनुदान आज नहीं हैं और चार छः दिन के बाद आने वाले हैं, अगर उनसे सम्बन्धित विषय है तो उसकी अजेंसी कैसे रहेगी ?

श्री अध्यक्ष—वह अजेंसी की बात जो दिखाई दी कि जो बहुत से मारे गए या लूटे गए उस संबंध का प्रश्न तो, मैंने सामने रख दिया पहले ही और मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण भी दे दिया।

एक सदस्य—श्रीमन्, जो मालगुजारी का है.....

श्री पब्बरराम—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में एक मिनट में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब भी वहां की हालत यह है कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस गांवों में घूम घूम कर के लोगों को आतंकित कर रही है .....

श्री अध्यक्ष—खैर, उसके ऊपर तो आप कह चुके।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—एक निवेदन मैं भी करना चाहता था कि लगान वगैरह की वसूली जो हो रही है ज्यादती के साथ, उसमें अभी सैकड़ों आदमी हवालातों में बन्द हैं। अभी वह अनुदान आने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में कई दफा जिक्र हो चुका है ।

श्री राजनारायण—अभी ३ मार्च को ओले पड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष—यहां कई दफा जिक्र हो चुका है और बजट का अनुदान भी आने वाला है ।

अभी ओले गिरे, कल के रोज कोई और चीज हो गई या गेरुआ की वजह से नुकसान हुआ तो यह कोई चीजें ऐसी तो हैं नहीं कि जिससे लोगों की जान को खतरा हो । हर चीज के लिये काम रोको प्रस्ताव नहीं आता है । इस विषय पर आप अनुदान पर विवाद में बहस कर लेंगे। सरकार को अगर मालगुजारी छोड़नी है तो १० रोज बाद छोड़ देगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब श्री बलराम सिंह, सिटी मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने यह सूचना भेजी है जो मैं सदन को दे देना चाहता हूं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले, इनको बड़े दुख के साथ मुझे यह सूचना देनी पड़ रही है कि मेरा यह कर्त्तव्य है कि इनको दफा १५७ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत अरेस्ट करने के लिये मैं हुक्म दूं । और जिन दफाओं के मातहत उनके ऊपर जुर्म लगाया गया है वह हैं १४७, ३३२, ३५३, ४४८ और १४९ इंडियन पैनेल कोड की। और यह गिरफ्तारी की गई साढ़े ६ बजे शाम को। पहले उन्होंने सूचना पत्र द्वारा सूचना ५.४५ बजे की दी थी । उसको दुरुस्त करके उन्होंने बाद में कहा है कि ५.४५ मिनट पर जो वाकयात हुए वह प्रारम्भ हुए थे लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुई है साढ़े ६ बजे शाम को । और वह सूचना एक तो उन्होंने ८ तारीख को भेजी थी, वह मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची है, क्योंकि पत्र द्वारा भेजी । इसलिये उन्होंने स्पेशल मैसेंजर भेजकर करेक्शन भेजा है कि ५.४५ के बजाय साढ़े ६ बजे गिरफ्तारी हुई ऐसा समझा जाय ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं थोड़ा-सा अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो बाद को करेक्शन स्लिप आयी है टाइम के बारे में, उस सम्बन्ध में सिटी मैजिस्ट्रेट से एक स्पष्टीकरण मांगा जाय क्योंकि जो गिरफ्तारी का ओरिजिनल टाइम बताया है उसके लिये अब वह कहते हैं कि उस टाइम पर शुरूआत हुई थी, और आफेंस की शुरूआत होने वाली थी । तो क्राइम वाज निप्ड इन दी बड । तो बाद को ऐसा लगता है कि उनको सब्सीक्वेंटली याद आया और टाइम चेंज किया गया । इस बारे में उनसे पूछ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं । यहां जो सूचना दी जाती है वह सूचना अदालत में उसका उपयोग नहीं होता है । किसी तरह से अदालत में अगर यह प्रश्न जायगा तो वहां यह प्रश्न उठाया जा सकता है और वकील लोग उठा लेंगे । लेकिन सदन को जो सूचना दी गयी वह मैंने आपको बता दिया ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक तो प्रश्न उठ ही सकता है । अगर उन्होंने नियम के मुताबिक सूचना नहीं दी है तत्काल तो प्रिविलेज का मोशन उठ सकता है । इसलिये.....

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि पत्र के जरिये से जो आयी होगी वह तो आयेगी, आज ही आजायगी । क्योंकि ८ को गिरफ्तारी की है और उसके बाद उन्होंने खबर भेजी । इतवार इस बीच में पड़ गया । तो सम्भव है रास्ते में देर हो जाय । इसलिये उनको फिक्र हुई होगी कि तत्काल यह सूचना मैसेंजर द्वारा भेजी जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जितनी गिरफ्तारी होती हैं हम लोगों की, अक्सर रेडियोग्राम से उनकी सूचना आती है ।

कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैंने कार्यक्रम के सम्बन्धमें सूचना आदरणीय सदन को दे दी। पहले सुना दी थी और उसके बाद छपवा कर भी बांट दी गयी है। लेकिन कोई विशेष बात अगर हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस हफ्ते के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई सूचना देना चाहें तो दे दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जो छापकर बांटा गया है उसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन है। आज का, १० मार्च का, तो कार्यक्रम ठीक है। ११ और १२ मार्च के लिये इसमें लिखा है कि परिवहन मंत्री के सब विषय हैं और उसके बाद श्रम मंत्री जी के विषय हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अनुदान बता देते कि कौन कौन से हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१३, १४ और १५ को राजस्व मंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विषय हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। ११ और १२ को राजस्व मन्त्री और श्रम मंत्री के लिये नियुक्त कर दिया गया है और १३, १४ और १५ को परिवहन मन्त्री और सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के लिये नियुक्त कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह परिवर्तन विरोधी दल के नेता के परामर्श से ही हुआ है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं कि उनको इसमें आपत्ति नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—पहिले साल अनुदानों पर जब टाइम का विभाजन होता था तो उस समय बिजनेस कमेटी की राय ली जाती थी, लेकिन इस साल जो विभाजन किये गये हैं उनमें बिजनेस कमेटी से कोई राय नहीं ली गई है।

श्री अध्यक्ष—बिजनेस कमेटी से इस विषय में राय नहीं ली जाती है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय मुख्य मन्त्री ने एक हफ्ते का कार्यक्रम बतलाया और ऐन वक्त पर ११ और १२ के कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिया। इससे हम लोगों को काफी अड़चन पड़ती है कि हम लोग उन अनुदानों पर तैयारी कर सकें। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आने वाले १५ दिनों के लिये वे कार्यक्रम बतला दें ताकि हम लोग उस पर तैयारी कर सकें और कोई परिवर्तन होने लगे तो विरोधी दलों की राय ले लिया करें ताकि हम लोगों को असुविधा न हो।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये पहले से सूचना दे दी जाती है। अगर कोई विशेष बात तत्काल हो जाती है और परिवर्तन करना पड़े तो उसके लिये शार्ट नोटिस ही होगा और यहां परिस्थिति ऐसी हो जाने के कारण ही ऐसा हुआ है। नियम १९ में यह दिया हुआ है:—

"On the first working day of every week when the House meets, the Leader of the House or any member authorized by him will, after questions, inform the House of the business to be performed during the week and the order in which it will be taken. If any change is considered necessary, the Government will, as far as possible, inform the House of it a day before it is made,"

इसके हिसाब से दूसरे दिन का जो आर्डर होगा उसको बदलने के लिये १ ही दिन का नोटिस होगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—राजस्व मन्त्री जी के लिये २ ही दिन एलाट किये गये हैं। ये अनुदान बहुत ही महत्व के हैं, इसलिये इन अनुदानों के सम्बन्ध में १ दिन और ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह संभव नहीं है। किसी अनुदान के कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिये नेता विरोधी दल और नेता सदन दोनों का परामर्श आवश्यक होता है। नियम के अनुसार सदन में बैठ कर इस पर बहस नहीं हो सकती। अगर आप कोई परिवर्तन चाहते हैं तो विरोधी दल के नेता से या सदन के नेता से बातचीत कर लें और उसमें परिवर्तन करा लें, लेकिन यहां सदन का समय इस विषय पर नहीं लेना चाहिये।

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ दिसम्बर, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर-प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ फरवरी, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २५ फरवरी, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ दिसम्बर, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ५ फरवरी, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २५ फरवरी, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ फरवरी, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ फरवरी, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २५ फरवरी, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक : ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक : ३९—जन-स्वास्थ्य

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा—लेखा शीर्षक : ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ४,०६,११,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—जनस्वास्थ्य—लेखा शीर्षक : ३९—जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत २,४९,११,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ क लिये स्वीकार की जाय।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस बात से खुश हूं कि सारा दिन इन दोनों ग्रान्टस् के सम्बन्ध में रखा गया है और इससे हमारे माननीय मित्रों को अपनी राय के इजहार करने का काफी मौका मिलेगा। मैं तो हमेशा हस्ब-दस्तूर जब वक्त कम होता है तो कोई अंश उसका लेना नहीं चाहता, लेकिन आज काफी मौका है। मैं चाहता हूं कि १०, १५ मिनट में इस सम्बन्ध में कुछ बातें बता करके खुद सुनूं।

हमारे रूरल हेल्थ के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से क्या हो रहा है? सन् १९४६ में एलोपैथिक रूरल डिस्पेंसरीज ५९ थीं और आयुर्वेदिक और यूनानी २२६ थीं—टोटल २८५ का था। १९५८ में एलोपैथिक ७८० और आयुर्वेदिक और यूनानी ५८७—कुल टोटल १,३६७ का हो गया। महिला चिकित्सालय १०७ होंगे।

रूरल एलोपैथिक डिस्पेंसरीज की जो योजना थी वह केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार बदल गयी है। उसकी जगह पर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर रखे जायंगे। ५० यूनिट्स १९५७-५८ में खोले जा चुके हैं और इस आगामी साल में भी कुछ और खोलने का विचार है।

मैटरनिटी ऐंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स भी ७३६ कायम हो चुके हैं।

पर्वतीय इलाके में एलोपैथिक डिस्पेंसरीज की तादाद ९७ है, आयुर्वेदिक और यूनानी की ८२ है, मैटरनिटी ऐंड चाइल्ड सेंटर्स की ७० है और रिमोट एरियाज में कम्पाउन्डर्स यूनिट २० हैं।

देहाती रकबों में जो अस्पताल हैं उनको सक्रिय बनाने के लिये और इस गरज से कि डाक्टर लोग वहां जाकर काम करें, यह भी स्कीम रखी गयी है कि वहां रहने के मकानात वगैरह भी हम बनवाना शुरू करें। शहरों के सम्बन्ध में मैं इतना बताना चाहता हूं कि ६ जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारे अस्पताल बन रहे हैं और वाराणसी में एक चिलड्रेन और आई हास्पिटल के बनाने का भी सवाल है। रिपेयर और स्पेशल रिपेयर के लिये ६.७० लाख रुपया रखा गया है और लेबर रूम और आपरेशन थियेटर को एयर-कंडीशन करने का भी प्रबन्ध किया गया है। और एक चेन हम हास्पिटल्स की बनाना चाहते हैं जिसका रूरल एरिया की डिस्पेन्सरी बेस होगी। उसके बाद अपग्रेडेड डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल होंगे। रूरल डिस्पेन्सरीज में जिन मर्जों का ठीक तरह उपचार नहीं हो सकेगा वह अपग्रेडेड डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स को भेजे जायंगे, उसके बाद जो अपग्रेडेड डिवीजनल हास्पिटल्स हैं वहां प्रबन्ध किया जायगा और आखिर में मेडिकल कालेज हास्पिटल्स हैं। इस तरह से एक चेन सरकार ने बनाया है ताकि पूरे तौर से जन-सेवा की जा सके।

ईक्विपमेंट के लिये २२.०६ लाख रुपया रखा गया है। दवाओं के लिये ४६.४० लाख रुपया रखा गया है और डायट के सम्बन्ध में २४.५८ लाख रुपया रखा गया है।

इसके अलावा हमारा ट्रेनिंग प्रोगाम है। मेडिकल कालेज में हर साल ३०० लड़के भर्ती किये जायंगे। वहां और शिक्षा के अलावा सोशल और प्रिवेन्टिव मेडिसिन के सम्बन्ध में भी शिक्षा देने का प्रस्ताव हमारे सामने है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिये रेजीडेन्सी ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी इस साल रखा गया है आग्जिलरी परसोनेल जो होता है उसमें नर्सेज की ट्रेनिंग के लिये १० सेन्टर्स हैं और उनकी कैपेसिटी ८२१ है। मिडवाइव्ज के भी १० सेन्टर्स हैं और उनकी कैपेसिटी ४०० है। आग्जिलरी नर्स और मिडवाइफ़ के ६ सेंटर्स हैं और उनकी १८० की कैपेसिटी है। हेल्थ विजिटर्स के ३ सेन्टर्स हैं और १८० उनकी कैपेसिटी है। दाइयों की ट्रेनिंग का भी इन्तजाम किया गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी पूरी तादाद में हमको नर्सेज और दाई वगैरह मिलती नहीं हैं। मगर अब इस तरफ लोगों का रुझान हुआ है। इसी तरह मेल कम्पाउंडर्स के लिए ३०० और फ़ीमेल कम्पाउन्डर्स के लिये ७० का प्रबन्ध है। सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की एक यूनिट है जिसकी कैपेसिटी १६० है। तो इस तरह से हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो अगले साल तक चलता रहेगा।

पब्लिक हेल्थ के सम्बन्ध में ऐंटी एपिडेमिक मेजर्स के लिये जितने जरूरी प्रिकाशन्स होने चाहिये वे सब लिये जा चुके हैं और लिये जा रहे हैं।

इन्फ्लुएन्जा एपिडेमिक के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूं क्योंकि अक्सर हमारे माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सवाल किया करते हैं। इन्फ्लुएन्जा एपिडेमिक गुजिस्ता अक्तूबर में खत्म हो गया, लेकिन सवालों का एपिडेमिक अब शुरू हुआ है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---दूसरा हमला होने वाला है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप बुलायेंगे तो आ जायगा, हम तो नहीं बुलाना चाहते और फिर जब आयेगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे। इन्फ्लुएन्जा के सारे राज्य में २,६८,८४५ सीजर्स हुये और ६७ मौतें हुईं।

गैस्ट्रो एन्ट्राइटिस और कालरा के सम्बन्ध में जितना हमें सतर्क रहना चाहिये उतनी हम कोशिश कर रहे हैं और गुजिश्ता मौके पर भी सतर्कता से काम किया था। मैं यह क्यों कह रहा हूं कि हमने सतर्कता से काम लिया ? इसलिये कि गुजिश्ता टाइम में जब पब्लिक हेल्थ और मेडिकल का बजट पेश हुआ था तो वही जमाना था जब ये एपिडेमिक फैले हुये थे। मुझे खुशी है कि हमारे माननीय सदस्य, चाहे इस तरफ के हों चाहे उस तरफ के, किसी ने एक बात भी इन्तजाम की खराबी के सम्बन्ध में नहीं कही। इससे मैं यह कहने के लिये हिम्मत करता हूं कि मैंने भरसक प्रयत्न किया और हमारे मित्रों को भी वह बात पसन्द आई।

ऐन्टी मलेरिया के सम्बन्ध में हमारी २० यूनिट इस समय काम कर रही हैं। उनसे ३५ जिले कवर हो चुके हैं। २० मिलीयन पापुलेशन कवर हो चुकी है। अब हम उसके लिये ९० लाख रुपया प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम अपने सूबे से मलेरिया को खत्म कर सकें। यह हमारा नया प्रोग्राम है। इस सम्बन्ध में हमारे बहुत से इलाके ऐसे हैं, जो इन २० यूनिट से अभी कवर नहीं हो सके हैं, लेकिन आगे इस मलेरिया को खत्म करने के लिये हमारी एक्टिविटीज इन्टेन्सिव होंगी जिसके लिये यह ९० लाख रुपया रखा गया है।

हमारे यहां ऐन्टी टी० बी० मेजर भी लिये गये हैं। बी० सी० जी० के टीके लगाये गये जो ५ लाख से ज्यादा लोगों के लग चुके हैं। टी० बी० क्लीनिक भी जिलों के अन्दर खोले गये हैं, परन्तु मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे यहां टी० बी० का मर्ज काफी फैला हुआ है। हमें इसकी रोकथाम करनी चाहिये। अगर हम यह यह कहें कि हम बहुत सारे सैनीटोरियम खोल दें तो यह भी धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है। हम यह चाहते हैं कि जिले के अस्पताल के साथ साथ, जैसे जैसे धन की सुविधा हो, हम टी० बी० क्लीनिक अटैच कर दें और इस तरह से उन लोगों को उनके घर के करीब ही यह सुविधा पैदा कर दें। वैसे टी० बी० के सम्बन्ध में हमारे तमाम सदस्यों को मालूम है कि उन मरीजों को हम माली सहायता भी देते हैं। मुझे इसमें ज्यादा संतोष नहीं है क्योंकि जिनको सहायता मिलनी चाहिये उनकी तादाद काफी है, लेकिन फिर भी, मैं निवेदन करूंगा, कि हम उनको विमुख नहीं जाने देते हैं। जो कोई आता है कुछ न कुछ उसकी सहायता करने की चेष्टा की जाती है। उनको सैनीटोरियम में भी ऐडमिशन कराने की चेष्टा की जाती ह। सब की ख्वाहिश को पूरा करना तो किसी वक्त दिक्कत तलब हो जाता है, लेकिन फिर भी जहां तक हो सकता है उनकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश की जाती है।

इस तरह से मैंने अपने आगामी वर्ष के कार्यक्रम के फिगर्स यहां पर दिये ताकि उससे आसानी से अन्दाजा लगाया जा सके। यह फिगर्स ऐसे हैं जिनका रैंडम सर्वे नहीं किया जा सकता जैसे कि ऐग्रीकल्चर वगैरह का होता है इनके फिगर्स तो ऐसे हैं जिनको अंगुलियों पर गिना जा सकता है। डिस्पैंसरीज की तादाद गिनी जा सकती है। अगर कोई देखना न भी चाहे

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

तो वह भी देख सकता है कि कहां पर खुली हुई है। इस तरह से जो फिगर्स हैं वह करीब-करीब सब ठीक हैं। इस से अन्दाजा होगा कि सन् १९४६ से लेकर आज तक और ५८ में किस हद तक हम पहुंचे हैं। हम तो चाहते हैं कि और भी मदद कर दें, विशेषकर देहात में, जिस की हमेशा से उपेक्षा रही है, विशेषकर विदेशी शासन के जमाने में उनके स्वाथ्य के सम्बन्ध में किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया।

देहातों में कहीं महिला चिकित्सालय का नाम नहीं है जिसके फलस्वरूप प्रसव के समय बहुत सी मातायें और बहिनें अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। कोई सहायता उनको उपलब्ध नहीं है। मुझे इस बात का अहसास है कि जो हमने रखा है वह ना काफी है, लेकिन हमारी मजबूरी है। जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाया जा सकता है। जितनी हमारी सीलिंग है उसमें हमने काफी हद तक जाने की कोशिश की है। और अगर हम कहीं और इकानामी कर सके तो उसको करके और दूसरी चीजों को जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे।

हमारे मित्र श्री उग्रसेन जी ने कहा कि इन्फ्लुएंजा की दूसरी लहर आने वाली है। मैं सुना करता था कि जाड़ा शुरू होते ही दूसरी लहर आ जायगी। ईश्वर की कृपा से जाड़े का भी अन्त हो गया और वह भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई। किसी सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि यह भविष्यवाणी सत्य भी हो सकती है, असत्य भी। कोई ब्रह्म वाक्य तो है नहीं। हां, हमने अपने इन्तजाम बदस्तूर कायम रखे। शुक्र है कि वह बात गलत निकली और.....

श्री उग्रसेन—इन्तजाम में ढिलाई नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कतई नहीं। ऐसा आदमी कहीं ढीला हो सकता है ? मैंने खूब टाइटेन किया और हमारे मित्र जो उधर बैठे हैं, इस बात के वह भी शाहिद हैं। उनकी बातों से मेरी हौसला अफजाई हुई और मुझे उम्मीद है कि जो बात वह मेरे कमरे में कहते हैं वह यहां भी कहेंगे। सत्य को छिपायेंगे नहीं। मैं ज्यादा न कहकर इन चन्द शब्दों के साथ अर्ज करूंगा कि सदन इस अनुदान को स्वीकार करे।

***राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के सम्पूर्ण अनुदान में १ रुपया की कटौती की जाय और इसका उद्देश्य इस अनुदान पर विचार करना है।

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य विवाद करना तथा सुझाव देना है।

श्रीमन्, मैंने मंत्री जी का भाषण बड़ी दिलचस्पी और गौर से सुना और जो उन्होंने १९४८ से १९५८ तक का ब्यौरा दिया उसको जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरक्की के लिये मैं सरकार को और उनको बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे दुख है कि इस ५८–५९ के बजट में ९ लाख ११ हजार रुपये की कमी की गयी है। यह कमी किस वजह से की गयी, यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं कि हमारी यह चिकित्सा व्यवस्था आज हमारे देश की गरीबी हालत को देखते हुये नाकाफी है और रूरल एरियाज के लिये तो बिलकुल ही नाकाफी है। मैं आपके द्वारा सरकार को बताना चाहता हूं कि देहातों में आज भी कोई पूछने वाला नहीं है। मैं देहात का रहने वाला हूं और जब तुलना करता हूं, वहां की हालत की तुलना शहर से करता हूं तो पाता हूं कि जितना ध्यान शहरों की तरफ दिया गया है उस से बहुत कम देहात की तरफ दिया गया है। मैं मानता हूं कि शहर के लोग आपके नजदीक हैं, वे आपके पास आसानी से पहुंच सकते हैं। मुझको यह कहना है कि देहातों में जो अस्पताल खोले गये हैं उनसे जितना लाभ होना चाहिये उतना लाभ नहीं हो रहा है। आपने करीब १,१०० अस्पताल गिनवा दिये, लेकिन उनमें ५० प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं, कहीं कम्पाउन्डर नहीं हैं। इसका एक कारण भी है। कारण यह है कि दूसरे देशों में यह पेशा मिशनरी स्पिरिट में होता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन यहां पर गरीबी के कारण जो अभिभावक लोग विद्यार्थियों पर पैसा खर्च करते हैं, उनको पूरा करने के लिये डाक्टर लोग देहातों में जाना पसन्द नहीं करते हैं। सरकार ने भी कोई अलाउन्स उन लोगों के लिये नहीं रखा है।

इसके बारे में मेरा पहला सुझाव यह है कि जिस तरीके से आप सेक्रेटेरिएट में काम करने के लिये कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टरों को १५० रुपया प्रतिमास एलाउन्स देते हैं उसी प्रकार से जो डाक्टर देहात में काम करने के लिये जायं उनको तिहाई तनख्वाह अलाउन्स के रूप में दी जाय। अगर आप इस प्रकार से रख देंगे तो बहुत से लोग वहां जाने के लिये तैयार हो जायेंगे।

दूसरी बात मंत्री जी ने स्वयं मानली कि वहां पर रहने आदि का प्रबन्ध नहीं है। केवल एक ही कमरे में डिस्पेंसरी खोल दी है। मेरा सुझाव है कि जहां पर आप अस्पताल खोलें वहां पर इनडोर वार्ड भी खोलें और हर अस्पताल में ६ बेड्स कम से कम होने चाहिये। इसके साथ ही साथ रहने के लिये डाक्टरों के क्वार्टर्स भी होने चाहिये, यातायात की सुविधा भी होनी चाहिये, जहां अस्पताल खुलें वहां सड़कों का भी प्रबन्ध होना चाहिये, जिस से जहां अस्पताल हों वहां सवारियां भी आसानी से पहुंच सकें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---सड़कों का प्रावीजन तो इसमें है नहीं।

राजा वीरेन्द्रशाह---जिम्मेदारी तो सब मिनिस्टरों की एक है। अगर आप चाहें तो यह भी करवा सकते हैं।

जहां आपने आयुर्वेदिक, डिस्पेंसरीज खोली हैं वहां पर आपकी नियंत्रण व्यवस्था ठीक नहीं है और उनका कार्य उस सुगमता से नहीं चलता है जिस सुगमता से एलोपैथिक डिस्पेंसरीज का चलता है। आपकी जो नियोजन कमेटीज चल रही हैं, उनके अधीन इनको कर दिया जाय तो काम ठीक तरह से हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त मेडिकल के प्रत्येक विद्यार्थी से भर्ती के समय यह बांड ले लिया जाय कि पहले पांच साल तक उसको रूरल एरिया में काम करना होगा। इससे यह समस्या दूर हो जायगी।

जहां तक बीमारियों को रोकने का प्रश्न है, मैं यह मानता हूं कि सरकार और माननीय मंत्री जी इसके बारे में बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट का सीधा सम्बन्ध न होने के कारण, जब तक बीमारी फैल नहीं जाती और सरकार को उसके बारे में हल्ला सुनाई नहीं देता, तब तक सरकार उसके रोकने का प्रबंध नहीं करती है। चेचक की बीमारी जब बहुत फैल जाती है तब टीका लगना शुरू होता है। कारण उसका यह है कि जो वेक्सीनेटर होता है, वह स्वतंत्र घूमता है, उसके ऊपर नियंत्रण ठीक नहीं है। किसी ने टीका लगवाया तो लगा दिया, नहीं लगवाया तो कोई परवाह नहीं, रिपोर्ट दे दी कि हमने इतने टीके लगाये। इस तरह से उनक ऊपर कोई पक्का नियंत्रण नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि या तो उनको गांव सभाओं के सभापतियों के या जो उनके निरीक्षक हैं, उनके या जो एलोपैथिक अस्पताल हैं उनके डाक्टरों के अन्दर उनको कर दीजिये जो अपने ऊपर उनकी जिम्मेदारी लेलें। अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा होता था कि जो अंग्रेजी अस्पताल थे, उनके मातहत ही वेक्सीनेटर्स काम करते थे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जहां डाक्टर नहीं हों, वहां क्या हो ?

राजा वीरेन्द्रशाह---वहां ग्राम सभापति तो होंगे ही, मेरा कहना यह है कि जब बीमारी शुरू हो जाती है तब वहां सहायता वगैरह पहुंचाने की बात की जाती है, जिले से भी मदद दी जाती है और यहां से माननीय मंत्री जी भी तार देते हैं कि हर तरह की सहायता दी जाय मैं कहता कि अगर आप चाहें तो इसको शुरू में ही रोक सकते हैं जिस से जनता का जो

[राजा वीरेन्द्रशाह]

काफी नुकसान होता है वह न हो सके। तो मेरा सुझाव यह है कि वेक्सीनेटर्स पर नियंत्रण ठीक रखें तो जनता का अधिक लाभ हो सकता है।

नेत्रों के इलाज के लिये सरकार ने जो प्रबन्ध किया है उसके लिये वह बधाई की पात्र है। लेकिन यह प्रबन्ध अभी देहातों तक नहीं पहुंच सका है। शहरों और टाउन एरियाज तक ही यह प्रबन्ध है जहां कुछ दानी लोग भी अपनी तरफ से इसका प्रबन्ध करा देते हैं। मेरा सुझाव यह है कि रूरल डिस्पेंसरीज में जहां बिल्डिंग का इन्तजाम हो सके, वहां पर भी जिले में एक-एक या दो-दो केन्द्र खोल दिये जायं जहां परमानेंटली महीने दो महीने में डाक्टर साहब आवें और देखते रहें, तो मैं समझता हूं कि इससे अधिक लाभ देहातों को पहुंच सकेगा।

इसके अलावा श्रीमन्, कुष्ठ रोग इस समय देहातों में बहुत बढ़ रहा है और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इसके लिये कोई उचित प्रबन्ध नहीं हुआ तो यह रोग बहुत बढ़ जायगा। उसका कारण यह है कि पहले हमारे समाज में अगर किसी को कुष्ठ रोग होता था तो उसको गांव के बाहर कर देते थे। अब तो यह स्वतंत्रता का जमाना है, किसी को कोई दबा तो सकता नहीं, लिहाजा यह बीमारी गांव-गांव में बढ़ती जाती है। तो इसके ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिये। मैं तजवीज करूंगा कि जिले में या कमिश्नरी में कम से कम एक अस्पताल ऐसा होना चाहिये जहां कि लोग जाकर अपने को डाक्टर से दिखला सकें। इसके लिये सरकार को अवश्य इन्तजाम करना चाहिये।

जहां तक सरकार ने टी० बी० के सिलसिले में बतलाया है, यह बीमारी भी बराबर बढ़ती जाती है। जब तक इसके लिये कोई ठीक से प्रबन्ध नहीं होता, तब तक इसका रोकना असम्भव सा मालूम होता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि हम जिले में कुछ रकम से छोटे-छोटे सेनिटोरियम खोलेंगे। यह बहुत अच्छी चीज है, इससे लोगों को बहुत बड़ी सुविधा पहुंचेगी और हर जिले में अगर यह खुल जायंगे तो जनता को जो यहां तक आने में तमाम परेशानी व पैसा का खर्चा होता है, उससे वह बच जायेगी और उससे उनको अधिक लाभ हो सकता है।

अन्त में श्रीमन्, मैं यही कहूंगा कि सरकार को फेमिली प्लानिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। आपके डिपार्टमेंट के जरिये मैं कहूंगा और माननीय मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि कम से कम इसे आप अपने जिले बहराइच से शुरू करें और कोई ऐसी स्कीम बनावें जिस से दिन पर दिन यह जो मर्दुमशुमारी बढ़ती जाती है वह रुक सके। क्योंकि इस से गरीबी भी बढ़ेगी और दिन पर दिन संकट भी बढ़ता जायगा। इसलिये मैं यह भी तजवीज करूंगा कि सरकार को इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिये। जहां तक ९ करोड़ में कमी करने की बात है, अगर इस विभाग का खर्चा बढ़ता तभी उचित होता। खर्चे में कमी करके कल्याणकारी राज्य का बजट नहीं कहा जा सकता है। जन स्वास्थ्य और हेल्थ चिकित्सा क बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिये थी तभी जनता का विशेष लाभ हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटमोशन को पेश करता हूं।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुये जरा भी सन्देह नहीं होता कि पिछले दस वर्ष में इस विभाग में बहुत तरक्की हुई है। मंत्री जी ने अभी आप के सामने विभाग के आंकड़े रखे, उन से निश्चय ही कहा जा सकता है कि विभाग के द्वारा काफी तरक्की की गई है। इस ३८-३९ लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जो ६,५५,२३,५०० रुपये का अनुदान मांगा गया है वह अधिक नहीं है और हमारे प्रदेश में जितनी बीमारी है उस को देखते हुये उसके अनुपात में बहुत ही कम है। इस गरीब प्रदेश में हमे यह देखकर चलना चाहिये कि किस तरह से हम यहां पर गरीब से गरीब आदमी तक चिकित्सा की सुविधा पहुंचा सकते हैं। मैं इसी विचारधारा को ध्यान में रखकर अपने विचार इस सम्बन्ध में रखूंगी ताकि यहां के बड़े नगरों से दूर प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी को चिकित्सा की सुविधा मिल सके।

इसके लिये हमें निश्चित रूप से एक चीज देखनी होगी कि इस सम्बन्ध में गांधी विचारधारा व्यावहारिक है या अव्यावहारिक ? यदि हम गांधी विचारधारा को व्यावहारिक मानते हैं तो हमे यह देखना होगा कि हमारे यह बड़े-बड़े मेडिकल कालेजेज जिन में हमारी ट्रेनिंग होती है और बड़े-बड़े शहरों में बने हुये अस्पताल जहां पर ज्यादा सुविधापूर्वक इलाज किया जाता है, क्या वह कालेजेज और अस्पताल उन गरीबों तक या जनसाधारण तक सुविधा पहुंचाने वाले हैं या नहीं ? आज २५ हजार रुपए का एक बेड है और केवल शहरों में रहने वाले लोगों तक ही वह सुविधा अधिकतर पहुंचती है । जब हमारे यहां बीमारों की संख्या इतनी अधिक है तो यह सुविधा आप अधिक लोगों तक नहीं पहुंचा सकते । हजारों आदमी हमारे यहां अब भी बिना इलाज के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि "नेचर नोज नो मर्सी" (Nature knows no mercy) नेचर तो अपने नियम से चलती हैं, इसलिये हमें गरीब लोगों की दशा देख कर ही अपने साधनों का नियंत्रण करना है ।

मेरा एक सुझाव यह है कि प्रत्येक पंचायत के पीछे एक झोपड़ा बना दें और उस में जितने सेग्रिगेशन वाले बीमार हैं उनको रखा जाय और पोरियाडिकली डाक्टर वहां पहुंचा करे । इस के अलावा पंचायतघरों में एक अलमारी भी रखी जाय और उसमें कुछ जरूरी दवायें रखी जांय । कभी कभी डाक्टर वहां पहुंच जाया करें और वहां के मरीजों को उचित सुविधा दिया करें । इस तरह से गरीब से गरीब जनता की भी कुछ मदद हो जायगी । यह कोई ज्यादा कास्टली चीज भी नहीं होगी, गांव वाले खुद मरीजों की देखभाल कर लेंगे । यदि मेरी विचार-धारा से कोई सहमत न हों तो मेरी कांस्टीटुएंसी में अभी नेत्रों की चिकित्सा के सम्बन्ध में कैम्प हुआ था उस का उदाहरण मैं देती हूं । अभी अक्तूबर, नवम्बर में हमारे यंहा दो आई रिलीफ कैम्प हुए, उसमें सरकार को निश्चय ही कुछ समय के लिये एक डाक्टर और कुछ थोड़ी सी दवा भेजनी पड़ी,लेकिन मरीजों को खाने पीने को, दूध की और दूसरी सुविधायें वहां की जनता ने स्वयं दीं और थोड़े से खर्च में दो सौ से उपर लोगों की आंखें बन गयीं और १५ सौ आदमियों को दवा दी जा सकी । ये वह लोग हैं जिन तक कभी दवा का निशान तक नहीं पहुंचता था और उनकी आंखें बन गयीं । इस तरह की अगर हम कोई विचारधारा बनाते हैं और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें तो सफलता हो सकती है क्योंकि गांधी विचारधारा यही थी कि हर चीज को जनता के घर तक पहुंचाया जाय । उस तक पहुंचाने में इस प्रकार अपने को समर्थ पायेंगे । २५,००० रुपये प्रति बेड वाले तरीकों से मैं नहीं सोच पाती कि सैकड़ों वर्षों में भी हम वहां पहुंच पायेंग या नहीं । अगर आप एक्सपेरीमेंट करना चाहें तो हमारी कांस्टीटुएंसी ले लीजिये, उसके अन्दर दो डाक्टर दे दीजिये । काम को डिवाइड करके हम आप को बता देंगे कि किस तरह से पूरी कांस्टीटुएंसी के अन्दर मैडिकल एड पहुंच सकती है ।

इसके अलावा मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहती थी । वह यह थी कि हमारी फैमिली प्लानिंग पर बहुत जोर दिया जाता है । फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बढ़ती हुई जनता को देखकर यही लगता है कि पता नहीं किस प्रकार हम संभाल पायेंगे । फैमली प्लानिंग दो ढंग से हो सकती है । एक सेल्फ कंट्रोल जो कि बापू का बताया हुआ रास्ता है, पूर्व के महर्षियों का बताया हुआ रास्ता है । दूसरे सेल्फ इंडल्जेंस जो कि पश्चिम का बताया हुआ रास्ता है । सेल्फ इंडल्जेंस का जो तरीका है इससे जो मनुष्य का प्राकृतिक रूप है उसको बदलना है । ईश्वर बचाये, अगर हमने घर-घर में, गांव-गांव में, इस चीज का प्रचार कर दिया तो उसका नतीजा क्या होगा ? यह जो आगे आने वाली जनरेशन है, वह शक्तिहीन और विचारहीन होगी । हमारे देश में यह सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो अच्छे विचारक लोगों की औलाद होती है, उसके सामने खाने की कोई समस्या नहीं होती । वह पत्थर से भी अपनी रोजी कमा लेते हैं । एक गज भूमि में एक पपीता का पेड़ हो जाता है जिसमें दो मन पपीता पैदा हो सकता

[कुमारी कमल कुमारी गोइंदी]

है । दो बिस्वा जमीन में मनों गाजर, मनों आलू और शकरकन्द पैदा हो जाती है । सिर्फ आपको गांव के खाने के ढंग को बदलने के लिए प्रचार करना होगा और फिर यह चीज आपके सामने आ जायगी कि किस तरह से थोड़े अनाज के अन्दर भी काम चल सकता है । जितना मनुष्य खाता, पीता है किसी न किसी रूप में प्रकृति को वह फिर दे देता है । हमारी सांस तक बेकार नहीं जाती । इससे भी पेड़ अपना पालन कर लेते हैं । इसलिए उस नियम के आधार पर हमें सोचना होगा कि किस तरह से गांधी विचारधारा को पुष्टि देनी है । गांव की विचारधारा को पुष्टि देने के लिए इस देश में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गांव-गांव के अन्दर धार्मिक विचारधारा है। अगर आप उस धार्मिक विचारधारा को जाग्रत करें तो जनता उसको जल्दी समझ पायेगी। केवल एक प्रयत्न करना पड़ेगा । वह यह कि भजन मंडलियां रखी जांय जो गांव की जनता में जाकर ब्रह्मचर्य, लेट मैरेज और दूसरी बहुत सी जो आवश्यक चीजें हैं उनका प्रचार कर सकें ।

भजन मंडलियों के अतिरिक्त लोगों के पास कुछ ऐसे लिखित पत्र जायं जिनसे उनकी विचारधारा पुष्ट हो । और पुष्ट विचारधारा वाले लोग निश्चय ही अपनी रोटी का प्रबन्ध कर लेंगे । आपको उसकी थोड़ी भी चिन्ता नहीं होगी । केवल उस विचारधारा को उस तरफ ले जाना है । अगर दूसरी तरफ आप अपनी विचारधारा को ले जाते हैं तो निश्चय ही अपनी कौम को शक्तिहीन बनायेंगे और शक्तिहीन बनायेंगे पश्चिम के आधार पर । यह मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कहती हूं । मैं जिस चीज को अच्छी तरह से अनुभव करके देख नहीं लेती हूं उसके बारे में कहती नहीं हूं । लेकिन फिर भी मजबूरी की हालत में कहना चाहती हूं कि अच्छी से अच्छी विचारधारा, अच्छे से अच्छे ग्रन्थ आपको उस समय दिये गए जिस समय के लोग केवल थोड़ी सी तोला भर राखी खा लेते थे या कन्द, मूल फल खाकर जंगलों में बैठकर ग्रन्थ लिखते थे, जिन ग्रन्थों को समझने तक में आज आपको कठिनाई हो रही है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है या जोर का निवेदन है, जिस लहजे में भी समझिये, कि इस विचारधारा को पुष्टि देने के लिए पूरा प्रयत्न कीजिए । इसमें शक नहीं कि आपके प्रोग्राम में वह चीज है, लेकिन उस तरफ ध्यान कम है । उस पर पूरा जोर देने की जरूरत है और प्रचार पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है जिससे कि जनता शक्तिशाली हो सके और इस देश के अन्दर उच्च विचार वाले लोग आ सकें और गान्धी जी की विचारधारा को अपना सकें ।

इसके अलावा एक चीज मुझे यह रखनी है कि जितनी आपकी यह मलेरिया का उन्मूलन करने की स्कीम है उसमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि प्रत्येक गांव में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और उनमें गन्दा पानी भरा रहता है जिसकी वजह से उसमें मच्छर पैदा बहुत काफी होते हैं । उन गड्ढों को भरवा दिया जाना चाहिये या उनमें किसी किस्म की ऐसी चीज डाल दी जाय जिससे वह मच्छर वहां न रहें ।

इसके अलावा मुझे अपनी कांस्टीटयुएंसी के बारे में यह कहना है कि जैसे उत्तर प्रदेश प्रगतिशील माना जाता है और केन्द्रीय सरकार उसको प्रगतिशील समझती है जिससे कम धन उसको प्राप्त होता है, उसी तरह से मैं भी भाग्यशालिनी हूं कि इलाहाबाद जिले में रहती हूं और इलाहाबाद जिला यू० पी० में प्रगतिशील माना जाता है और यह सोचकर कि यह प्रगतिशील है और प्रधान मंत्री भी वहीं के हैं तो इसको ज्यादा सुविधा की जरूरत नहीं है । नतीजा यह होता है कि इसको कम सुविधा मिलती है । लेकिन जैसा आपका उत्तर प्रदेश है वैसा ही इलाहाबाद भी है जहां पिछड़े हुए इलाके हैं और वह पिछड़े हुए इलाके जमुना पार में स्थित हैं, जो कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी है । पिछले दस वर्ष के अन्दर न कोई सरकारी अस्पताल उस पिछड़े इलाके में खुला—मैं करछना क्षेत्र की बात कर रही हूं— और न उसमें कोई मैटरनिटी सेंटर खुला और न ही कोई डिस्पेंसरी वगैरह ही वहां है । हमने पिछले बार दो आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए लिखा भी लेकिन अब तक उसका भी इन्तजाम नहीं हो पाया । रिजेक्ट होके यहां से चला गया कि इस साल तो हो नहीं सकता । ऐसा लगता है उस इलाके में जाकर कि जैसे अभी आजादी आयी ही नहीं, कुछ वर्षों के बाद आयेगी । मेडिकल एड उनको बिल्कुल नहीं पहुंच पाती । पिछली बार मैंने

वहां का वर्णन भी किया था । इसका केवल एक ही उपाय है और वह यह है कि आउटपोस्ट मेडिकल एड की स्थापना की जाय । मैं आपको धन्यवाद दूंगी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान उस क्षेत्र की तरफ देंगे । एक तो हम यह चाहते हैं कि मेडिकल आउट पोस्ट वहां हो और दूसरे में यह चाहती हूं कि यह जो फैमिली प्लानिंग का तरीका है उसमें सेल्फ कंट्रोल के ऊपर प्रचार किया जाय और तीसरी चीज इस करछना के अन्दर कोई न कोई मेडिकल हेल्थ की सुविधा दी जाय । धन्यवाद ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने चिकित्सा मन्त्री को कोटि-कोटि बधाई देता हूं । इस चिकित्सा संसार में हमें प्रगति दिखाई देती है । पिछले दस वर्षों के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो वह हमारी आवाजें काम करती हुई दिखाई देती हैं । आज इस शुभ अवसर पर मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि डाक्टरों की जो प्राइवेट प्रैक्टिस है इसको बांधना चाहिये । ये लक्ष्मी पुत्र बनने की आशा में बड़ा ही भ्रष्टाचार का वातावरण प्रदेश में उत्पन्न किये हुए हैं । ये अस्पतालों के कार्यकाल में अनुपस्थित से रहते हैं और उनके स्थान पर नर्सेज और कम्पाउंडर्स कार्य किया करते हैं । उनको कमवाने की दृष्टि से ऐसा वातावरण वहां उत्पन्न किया जाता है जिससे वहां निर्धन बेचारे कुचल से जाते हैं । अस्पतालों के सामने सबकी जानकारी में एक दूकान लगा दी जाती है और चिकित्सालय की सारी औषधियां वहां चली जाती हैं । वहां पर एक प्रकार से ऐसा अन्धेर मचा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं ।

मैं अनुभव के आधार पर बतलाता हूं कि एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ । संयोग से निर्धन था और अस्पताल के कार्यकाल में डाक्टर लोग पैसा कमाने की दृष्टि से बाहर चले गये और उसकी मृत्यु हो गयी । उसकी एक इंक्वायरी चल रही है और आउटडोर डाक्टर पर सारा दोषारोपण किया जा रहा है । एक नहीं अनेकों ऐसे केसेज हैं । सरकार को इस दिशा में बड़ा कड़ा बन्धन लगाना चाहिये ताकि इसमें सुधार हो ।

दूसरे, मैं सरकार का ध्यान अपने जिले की ओर दिलाना चाहता हूं । बस्ती जिला प्रदेश का बहुत बड़ा जिला है, किन्तु बड़ा पिछड़ा हुआ है । वहां का वातावरण कैसा है ? वहां पर इन्फ्लुएंजा और अन्य महामारियां उत्पन्न हो जाती हैं । फाइलेरिया का रोग वहां पर बड़ा भयंकर रोग है । सरकार ने इन सबको रोकने के लिये जो कदम उठाये हैं उनके लिये वह बधाई की पात्र है, किन्तु अभी और अधिक सुधार की आवश्यकता है । मलेरिया की ओर भी सरकार ने अपना ध्यान आकृष्ट किया और उसके सुधार कार्य से उसकी गति काफी मंद हो गई है, लेकिन अब वहां डाक्टर नहीं रह गये हैं और जो अस्पताल हैं भी उनकी देख रेख के सम्बन्ध में सरकार की पूरी दृष्टि नहीं पड़ती, मन्द दृष्टि पड़ रही है । पोस्ट मार्टम के लिये ५० मील से लाश को बस्ती लाना पड़ता है । लाशें सड़ जाती हैं और मुकदमे के सम्बन्ध में अनेकों कठिनाइयां पड़ती हैं । लिहाजा मेरा निवेदन है कि डुमरियागंज के उत्तरी भाग में पोस्ट मार्टम की व्यवस्था सरकार करे । वर्षों से सरकार के सामने यह प्रश्न आ रहा है । सरकार सदन में तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन उस पर कोई कार्य होता दिखाई नहीं देता । इसलिये मैं सरकार का ध्यान पुनः दिलाना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र सरकार वहां पर इसकी व्यवस्था करे ।

तीसरे, मुझे यह कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में अस्पतालों की बड़ी कमी है । जो अस्पताल हैं उनको जिले के स्तर पर लाना चाहिये । वहां अच्छे डाक्टर भेजे नहीं जाते । उनके निवास के लिये वहां ठीक व्यवस्था नहीं होती । उनके बच्चों की शिक्षा के लिये भी कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण अच्छे डाक्टर वहां आना पसन्द भी नहीं करते ।

वहां एक्सरे आदि की भी सुविधा नहीं होती । जब रोग के निदान के लिये ही वहां साधान उपलब्ध नहीं होते और रोग का प्रारम्भिक निदान ही नहीं हो पाता तो फिर औषधि

[श्री रामलखन मिश्र]

की क्या व्यवस्था सरकार कर सकती है ? पहले रोग के निदान के लिये साधन तो ठीक तरह से सरकार वहां उपलब्ध कराये । लिहाजा ग्रामीण क्षेत्रों में जो अस्पताल हैं वहां सरकार उनको आधुनिक साधनों, सज्जाओं से परिपूर्ण करे । सरकार को अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत इन अस्पतालों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये वर्ना सरकार का जो प्रयत्न इस दिशा की ओर है वह पूर्ण नहीं होगा ।

पहले सरकार ने तय किया था कि ५ मील की दूरी पर एक अस्पताल अवश्य रहेगा । मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हमारे बस्ती जिले में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारे आदरणीय गुप्ता जी पधारे थे और वहां बहुत ही गम्भीर रूप में निश्चय किया गया था और इस दिशा में कुछ काम भी किया गया था । सरकार को उसे अपने पूर्व निश्चय पर रहना चाहिये । वह बहुत ही सुन्दर काम है कि ५ मील की दूरी पर अस्पताल बन जायं—चाहे वह एलोपैथिक हों, आयुर्वेदिक हों, यूनानी हों या होम्योपैथिक, तो भी ग्रामीणों को सुविधा हो सकती है । क्योंकि इस देश में हजारों वर्षों से यह स्लोगन रहा है । कोई नयी बात नहीं हुई कि एलोपैथी ने कोई चमत्कार किया है । इस देश के ग्रंथों में, यदि हम उनका अन्वेषण करते हैं, उनकी रचना सहस्रो वर्ष पहले हुई थी, उसमें आसुरी, मानसी और दैवी चिकित्सा पद्धति की चर्चा मिलती है कि आसुरी, मानसी और दैवी तरीके से मनुष्यों की चिकित्सा होती है । अब इस समय मेरे लिए यह अच्छा नहीं होगा कि मैं बताऊं कि आसुरी पद्धति क्या है, मानसी क्या है और दैवी क्या है, क्योंकि विशेष समय की आवश्यकता पड़ेगी और सम्भव है उसमें मतभेद भी उपस्थित हों । लेकिन सरकार का ध्यान इधर जाना चाहिये कि वह जिले के आधार पर नहीं, बल्कि तहसीलों के आधार पर, क्षेत्रीय आधार के ऊपर वहां स्वास्थ्य परिषद् स्थापित करे । यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रकार की औषधि सब क्षेत्रों में जलवायु की दृष्टि से समान गुणकारक हो । मेरे तराई क्षेत्र में अनेक ऐसी वनस्पतियां हैं जिनसे ब्लड प्रेशर पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है । डाक्टरों को उस सम्बन्ध में कोई शर्म नहीं होनी चाहिये और यदि यह पता चलता है कि यह औषधि प्रभावकारी है तो अस्पताल में उसका प्रयोग करना चाहिये । तो एक छोटी सी कमेटी, परिषद् इस प्रकार की होनी चाहिये जिसमें एलोपैथिक डाक्टर भी हों और आयुर्वेदिक और यूनानी के जानकार भी हों और उनको जो सुझाव मिलें उनका परीक्षण करने के पश्चात् उसका उचित रूप में वहां की जनता के लिए प्रयोग करना चाहिये । इसमें किसी प्रकार की शर्म की बात नहीं है ।

यह लड़ाई कि एलोपैथिक बड़ी है, आयुर्वेदिक बड़ी है, यूनानी बड़ी है, इस लड़ाई के अन्दर औषधियां आपस में नहीं लड़तीं, बल्कि उनके प्रयोगकर्ताओं के मस्तिष्क में इनफीरियारिटी कम्पलेक्स का युद्ध हो रहा है । सब का समान रूप से अगर प्रयोग किया जाय तो ठीक हो सकता है । मैं विशेष जोर इस बात पर देना चाहता हूं कि क्षेत्रीय आधार पर परामर्शदात्री समितियां होनी चाहिये और सब प्रकार के औषधि-कर्ताओं को बैठना चाहिये और वहां के क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध में तमाम वनस्पति इत्यादि की जो पुरानी सहस्रों वर्षों की चिकित्सा है उसका जनता के लाभ के लिए प्रयोग करना चाहिए ।

(इस समय १ बज कर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने स्वास्थ्य मंत्री की वह गर्वोक्ति बड़े सब्र के साथ सुनी जिसमें उन्होंने यह कहा कि विरोधी लोग भी इस बात को मान गये हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में जो उन्नति इस सरकार ने की है....

श्री हुकुम सिंह विसेन—मैंने आपके लिये नहीं कहा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--धन्यवाद। तो मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को जो संतोष हुआ है वह संस्कृत में जैसा कहा गया है--

'असन्तुष्टा द्विजा नष्टा, सन्तुष्टाच महीपतिः।'

अगर राजा को संतोष हो जाय तो समझ लो उसका विनाश निश्चय है।

श्री हुकुम सिंह विसेन--मैं राजा नहीं हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--आप राजा की तरह काम तो कर रहे हैं। श्रीमन्, हमारे साथी माननीय वीरेन्द्र शाह साहब ने जिन तथ्यों के साथ कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मुझ को प्रेरणा इन्हीं बातों से मिली कि आज हमारे प्रदेश में जो चिकित्सा पद्धति चल रही है और सरकार का सम्पूर्ण ध्यान जिस ओर लगा हुआ है, अगर उसको हम ध्यान से देखें और उसके विगत दस वर्षों के इतिहास को भी देखें, तो हमें यह निश्चित हो जाता है कि सम्पूर्ण प्रदेश की जनता को हम रोग से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं और जो खर्चा हो रहा है वह जनता के देने की शक्ति से बहुत ज्यादा हो रहा है। इन दो बातों के सम्बन्ध में हमें विचार करना है।

पहली बात तो यह कि जो एलोपैथिक पद्धति है, जिसका खासतौर से इस प्रदेश में प्रचार है और जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान सरकार का है उससे हमारे प्रदेश के लोगों का हित हो सकता है या नहीं।

दूसरी बात यह कि अगर उसकी अच्छाइयां इतनी अधिक हैं तो क्या वह इस प्रदेश की गरीबी की हालत में और इस सरकार के सीमित साधनों को देखते हुये इतनी पर्याप्त हैं कि यहां के लोगों की सेवा कर सकें।

इन दो बातों के सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कह दूं कि दोनों ही बातों का उत्तर निगेटिव अर्थ में आता है। न तो सरकार के पास इतना पैसा है कि वह एलोपैथिक के साधनों को बढ़ा कर तमाम प्रदेश के लिये उपलब्ध कर सके और जहां तक उसकी कार्य कुशलता का सम्बन्ध है, आज इस प्रदेश के तमाम वैद्य और जनता यह महसूस कर रही है कि उससे स्थायी लाभ नहीं होता है। मैंने तो माननीय राष्ट्रपति की जीवनी भी पढ़ी। उसमें उन्होंने कहा है कि दमा उनको शायद इसीलिये हो गया कि कुनैन का प्रयोग उन्होंने ५-६ महीने तक किया। और सब से बड़ी बात तो यह है कि उससे स्थायी लाभ नहीं होता बल्कि लाभ के बदले हानि अधिक हुआ करती है। तीसरी बात यह है कि यह चिकित्सा बड़ी मंहगी है। इस बात को पिछली बार भी कहा गया था, लेकिन इस बजट को देखने से यह प्रतीत होता है कि सरकार ने अपने दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं किया। जहां एलोपैथिक का सवाल है वहां सरकार ने जिला मेडिकल अफसरों पर ४३,४४,१०० रुपया रखा है और आयुर्वेद, यूनानी निरीक्षकों के लिये केवल ७८,९०० रुपये रखे हैं तो क्या हम यह समझें कि सरकार केवल प्रदर्शन मात्र के लिये आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा को चलाना चाहती है या सचमुच सरकार यह महसूस करती है कि इन पद्धतियों से जनता को लाभ पहुंचेगा? हमारे उपचार की मौलिक नीति में परिवर्तन न होना इस बात का स्पष्ट सबूत है कि सरकार इस बात से मतैक्य रखती है कि जो एलोपैथिक चिकित्सा इस वक्त चल रही है उससे ज्यादा हित वह समझती है और यह भी महसूस करती है कि वह प्रदेश से रोगों को हटा सकती है और तमाम जन साधारण के लिये यह चिकित्सा सुलभ करा सकती है।

इसी सदन के अन्दर सरकार ने इस बात को माना है कि गेस्ट्रोइन्ट्राइटिस, हैजा और चेचक से हजारों की संख्या में लोग मरते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि देहात के इन इलाकों में हैजे से हजारों आदमी मर गये, लेकिन सरकार को उसकी कोई सूचना

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

नहीं है। शहर के नजदीक १०,२० आदमी मर जाते हैं तो वहां से आंकड़े इकट्ठा कर लिये जाते हैं। दूर के देहातों से आंकड़े इकट्ठे नहीं होते हैं। माननीय मंत्री जी इस बात को भी स्वयं जानते हैं कि आंकड़े इकट्ठे करने के लिये जो मशीनरी है वह इतनी अपर्याप्त है और अक्षम है कि वह सही तरीके से आंकड़े इकट्ठा नहीं कर सकती है। तो सरकार को इस ओर अपना ध्यान देना चाहिये।

बहुत से ऐसे रोग हैं जिनकी चिकित्सा मुश्किल है। इस एलोपैथिक पद्धति से उनको लाभ नहीं हो सकता है। जैसे श्वेत कुष्ठ का रोग है। एलोपैथिक पद्धति से इसमें लाभ नहीं होता है। बहुत से लोग इस रोग से पीड़ित होकर इस चिकित्सा पद्धति के इलाज के लिये गये, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हुआ और फिर लौटकर वह अपने घर वापस गये। इस पद्धति से जब बहुत से रोगों में लाभ नहीं होता है तब भी सरकार इस चिकित्सा पद्धति पर बराबर रुपया खर्च करती चली जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह एलोपैथिक पद्धति इतना होते हुये भी इतनी मंहगी है कि इससे सर्वसाधारण के लिये लाभ नहीं पहुंच सकता है। इसलिये मैं इसके बारे में निवेदन करूंगा कि इस पद्धति के ऊपर जो खर्च ज्यादा किया जा रहा है वह सही नहीं है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चिकित्सालय खोले जाते हैं उनकी स्थापना पर इतना बड़ा खर्चा पड़ता है कि जो बहुत अधिक और प्रदेश की सामर्थ्य से बाहर है। कानपुर का मेडिकल कालेज खोला गया। कानपुर मेडिकल कालेज पर जितना खर्च हुआ है और जितने विद्यार्थी पढ़ कर वहां से निकलेंगे वह प्रदेश के जनसाधारण की सेवा के लिये बहुत काम नहीं कर सकेंगे और मैं तो समझता हूं कि प्रदेश में अगले ५० साल तक भी अगर इसी तरह से खर्च करते रहें तब भी इस प्रदेश की जनता के एक बटा दस भाग के लिये चिकित्सा सुलभ नहीं करा सकेंगे। हिन्दुस्तान में १,२ सूबों को छोड़कर हमारे यहां इस चिकित्सा और स्वास्थ्य पर सब से कम परसेन्टेज खर्च होता है। इस बात को माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि हमारे साधन सीमित हैं और फिर भी जो खर्च इसके ऊपर किया जाता है वह औसतन कम है। मैं समझता हूं यह एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली इतनी मंहगी है कि हरएक आदमी के लिये इसका सुलभ होना बहुत कठिन है। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसी दोषपूर्ण चिकित्सा प्रणाली जिसके लिये माननीय सदस्यों ने कई साल से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धति हैं जो कम खर्चे में बहुत लाभ देती हैं। मेरे पास एक पत्रिका है जो अलीगढ़ के देवमय होम्योपैथिक अस्पताल, अलीगढ़ से निकली है उसमें बतलाया गया है कि उन्होंने होम्योपैथी के प्रचार से जनता में लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया है। इसमें उन्होंने संक्षेप में बतलाया है कि जिले भर में १२५ स्थानों पर होम्योपैथिक बायोकेमिक सेंटर खोले। जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक उसमें काम करते थे उनको २० रुपये की उन्होंने मेडिसिन दी। उन्होंने साल भर काम किया। ३ हजार रोगियों को औसतन प्रतिदिन दवा दी जिससे ८५ फीसदी लोगों को निश्चित लाभ हुआ। ८५ प्रतिशत से अधिक लोगों को लाभ होने का दावा एलोपैथी भी नहीं करती है। इस की तमाम सूचनायें उन्होंने सरकार के पास भी भेजीं कि वह किस सिस्टम से चल रहे हैं, कितने सस्ते में वह आदमियों का इलाज करते हैं और क्या कैसे होता है। एक पैसे से कम में वह एक रोगी का इलाज करते हैं। २० आने में १०० आदमी ठीक होते हैं और १ पैसा प्रति व्यक्ति वह लिया करते हैं। जहां तक मुझे देखने को मिला है मैं कह सकता हूं कि यह चिकित्सा पद्धति बहुत ही सस्ती तथा उपयोगी है। वैसे असाध्य रोग तो एलोपैथिक में भी हैं, लेकिन यह पद्धति एलोपैथिक से सस्ती है और इसके लिये वैद्यों के रहन-सहन का ढंग और चिकित्सा में खर्च कम पड़ता है। यदि मंत्री जी चाहेंगे तो यह पत्रिका मैं उनके पास भेज दूंगा। मेरी सूचना के अनुसार यह सिस्टम काफी सफल हुआ है और मैं जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि वह इसको सारे प्रदेश के लिये क्यों नहीं लागू करते?

शायद कुल २,००० रुपया जिला बोर्ड की ओर से उन को दिया गया था और जितना लाभ हुआ है उस से अधिक शायद एलोपैथ्स् भी न कर पाते। मेरी प्रार्थना है कि मुझे ५ मिनट और दिये जायं, अधिष्ठाता जी ।

श्री अधिष्ठाता--५ मिनट नहीं, ३ मिनट दे सकता हूं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--दूसरी बात मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के बारे में सरकार की कोई निश्चित पालिसी नहीं है। होम्योपैथिक कालेज के विद्यार्थियों को जो १२ दिसम्बर, १९५७ को इस सदन में आश्वासन दिया गया था उसकी बिना पर उन्होंने अपनी हड़ताल तोड़ दी, लेकिन मुझे अभी सूचना मिली है कि सरकार ने आज तक अपने वायदों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी प्रकार तीन वर्ष पहले एक आयुर्वेदिक कालेज यहां एक अंडरस्टैंडिंग दे कर खोला गया। दाखिला किया गया यह कह कर कि इस प्रकार निश्चित शिक्षा दी जायगी। लेकिन जहां ३० लेक्चर होने चाहिये वहां ५ भी नहीं हुये। फारमाकोलोजी में एक भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ और अब पता नहीं मंत्री जी को कहां से इलहाम हुआ कि वर्तमान पढ़ाई अच्छी नहीं है इसलिये इसको बदल दिया जाय। तीन साल पहले के जो विद्यार्थी हैं वह अब कहां जांय ? वह अपनी पिछली शिक्षा कहां छोड़ दें ? सरकार को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ तो वह खिलवाड़ न करे। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह एक निश्चित पालिसी और दिमाग लेकर चलें और पालिसी दृढ़तापूर्वक निश्चित किया करें ताकि अगर मंत्री जी बदल जायं तो कम से कम पालिसी न बदले। यह न हो कि श्री चन्द्रभानु गुप्त जी ने एक पालिसी बनायी तो माननीय हुकुम सिंह जी उसके बजाय एक दूसरी पालिसी अपनायें। इस प्रकार विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है ।

इसके साथ ही मरीजों के दाखिले के सम्बन्ध में बड़ी शिकायतें हैं। उदाहरणार्थ मेडिकल कालेज में कोई भी मरीज दाखिले की अर्जी देता है और मृत्यु व दाखिले की प्रतीक्षा करता है तो प्रायः निर्दयी मृत्यु उसको जल्दी जगह दे देती है, पर मेडिकल कालज में उसको जगह नहीं मिल पाती, उसका नम्बर नहीं आ पाता। टी० बी० सेनेटोरियम में भी दाखिले में गरीबों को ऐसी ही दिक्कत होती है ।

इसके अतिरिक्त एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मैं कानपुर से आ रहा हूं। वहां एक तरफ तो अस्पताल में मरीजों का दाखिला नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही वहां एक इन्फेक्शस डिजीजेज हास्पिटल है, उसके इंचार्ज महोदय ने अपने अस्पताल में बारातें ठहराईं। ३० दिसम्बर से ३ जनवरी, १९५८ तक वहां और मेडिकल कालेज में दो बारातें ठहरीं। दुखी पीड़ित और कराहते लोगों के स्थान पर खुशी की बहारें ली गईं। मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि क्या मेडिकल कालेज और आई०डी० अस्पताल बारातों के लिये हैं ? अगर बारात टिकी होगी तो मानी हुई बात है कि अस्पताल पहले से खाली कराये गये होंगे। मुझे तो यहां तक सूचना है कि माननीय उपमंत्री स्वास्थ्य भी उस बारात में पधारे हुये थे और उन्होंने भी एतराज नहीं किया ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं, खास तौर से इसलिये कि जब से उन्होंने इस विभाग कि बागडोर संभाली है तब से उन्होंने इसे काफी ऊंचा किया है। विशेषकर शासन को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। उन्होंने अस्पतालों में स्वयं जा जाकर मरीजों से मिलकर उनकी तकलीफों को देखा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उन्होंने कई डाक्टरों को इसलिये मुअत्तिल कर दिया कि उनका मरीजों के साथ बरतावा ठीक नहीं था, बहुत सी उनके पास सिफारिशें डाक्टरों के बचाने के लिये पहुंची, लेकिन वे आज तक दृढ़ रहे ।

[श्री नेकराम शर्मा]

साथ ही २,३ बातों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। डाक्टरों में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उनमें फीलिंग हो। पूज्य पंडित पन्त ने बिदाई के अवसर पर जब दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जबकि डाक्टर यह महसूस करें कि मरीज को ऐसा कष्ट हो रहा है जैसे उसके भाई को। यह बात हम यदि पाते हैं तो बलरामपुर अस्पताल के डाक्टर शर्मा में पाते हैं। हमारे यहां से जितने मरीज आये वह उनकी प्रसंशा करते हैं कि ऐसा डाक्टर हमने नहीं देखा जो इतनी अच्छी तरह से, घर की तरह से बातें और उपचार करते हैं।

हमारे प्रदेश में इंडीजिनस ड्रग्स हैं, लेकिन करोड़ों रुपये की दवाइयां बाहर से आती हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इधर ध्यान दें, तो हम इस इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ा सकते हैं।

आजकल बहुत सी नकली दवाइयां चल रही हैं और बहुत सी दवाइयां बिकती हैं जो टाइमबार्ड हैं। उनके ऊपर कंट्रोल की बहुत आवश्यकता है। शहरों में रात में दवाइयों की व्यवस्था होनी चाहिये। पहले ऐसा था कि एक केमिस्ट की दूकान रात में खुली रहती थी।

सदन में बहुत बार चर्चा हुई है कि सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की जाय। भूतपूर्व हेल्थ मिनिस्टर माननीय गुप्त जी भी इसके पक्ष में थे। प्राइवेट प्रैक्टिस वालों की फीस हमारी गरीब जनता नहीं दे सकती है। माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि इस ओर इसमें क्या प्रगति हुई है। यह भी हो सकता है कि उनकी प्राइवेट आमदनी का कुछ हिस्सा ले लिया जाय जिससे अस्पतालों में बेड्स बढ़ाये जा सकते हैं।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने अध्यापकों के लिये फ्री मेडिकल फैसीलिटीज प्रोवाइड कीं। लेकिन इसी लखनऊ में और दूसरी जगह मैं देखता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को तो बेड्स मिल जाते हैं क्योंकि स्टूडेन्टस वार्ड के नाम से एक वार्ड है, लेकिन दूसरे कालेजों और स्कूलों के विद्यार्थियों का इलाज नहीं हो पाता है। जब सरकार ने समाजवाद लाने का फैसला किया है तो गरीब किसानों और सभी विद्यार्थियों का इलाज मुफ्त होना चाहिये। पत्रकारों की भी कोई खास इनकम नहीं है और उनका भी फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिये।

मलेरिया और दूसरी बीमारियों की काफी रोकथाम इस विभाग ने की है और जो शोर यहां मचा करता था वह करीब करीब समाप्त हो गया है। इसके लिये विभाग के लोग बधाई के पात्र हैं।

टी० बी० पेशेन्ट्स की बड़ी भारी समस्या है। इनके लिये अधिक बेड्स होने चाहिये। मरीज कहीं दाखिल नहीं हो पाते हैं और बगैर इलाज ही चल बसते हैं। इसी सदन के एक सदस्य के परिवार के एक सज्जन बीमार थे जिन्हें माननीय मंत्री जी के प्रयत्न करने पर भी कहीं बेड् नहीं मिल सका और वह चल बसे क्योंकि कहीं कोई स्थान खाली नहीं था।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वैद्यों की ग्रान्ट्स बिलकुल व्यर्थ हैं। किसी वैद्य को सौ रुपये और किसी को दो सौ रुपये दिये जाते हैं। इनकी जगह आयुर्वेदिक या एलोपैथिक अस्पताल खोले जायं। वे ग्रान्ट्स मिलती भी हैं तो ऐसे समय मिलती हैं जबकि उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है, यह धन व्यर्थ ही जाता है।

जिला अलीगढ़ में सिकन्दराराऊ एक बहुत इम्पार्टेन्ट तहसील हेडक्वार्टर है। माननीय गुप्त जी वहां वादा कर आये थे कि अस्पताल नेशनलाइज होगा। लेकिन अभी तक उस ओर ध्यान नहीं गया है। वहां महीनों तक पूरी दवाइयां नहीं पहुंचती हैं और दवाइयां कम होती हैं। डाक्टर देहातों में जाने को मजबूर किये जावें। हर डाक्टर पर स्टेट २०,२२ हजार रुपया खर्च करती है, उनसे बान्ड लिखाया जाये कि इतने वर्ष उन्हें देहात में सर्विस करनी होगी, तब कहीं और भेजे जायेंगे।

बहुत सी स्त्रियां डाक्टर तो होती हैं मगर ऊंची जगहों पर जैसे सिविल सर्जन हैं, कोई नहीं पहुंच पातीं। इसे देखा जाय। संविधान में सबको समान अधिकार हैं, फिर मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है ?

सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में करीब १९ सौ लाख रुपया रखा गया है चिकित्सा और पब्लिक हेल्थ के लिये। २५३ करोड़ रुपये का हमारा बजट है। केन्द्र से जितनी सहायता हमें मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पा रही है हम चाहते थे कि ५ मील के अन्दर एक अस्पताल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तक हम वैसा नहीं कर पाये हैं। आगे भी काफी समय उसमें लगने की सम्भावना है। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है इसके सिलसिले में केन्द्र से मांग होनी चाहिये कि हमें अधिक से अधिक रुपया दिया जाय। शायद मंत्री जी ने उसके लिये प्रयत्न भी किया होगा, लेकिन नहीं मिल पाया और हमारा वह स्वप्न अधूरा ही रह गया।

श्रीमन्, कोढ़ियों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। सरकार ने प्रयत्न भी किया होगा, लेकिन हम सड़कों पर देखते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी कोढ़ी के शरीर से छू जाय तो १०-१५ साल में जाकर उसका असर होता है। इसलिये सरकार कम से कम इन कोढ़ियों को सड़कों से हटाये। बहराइच में तथा अन्य पहाड़ी स्थानों में सरकार ने इसका प्रबंध किया है फिर भी शीघ्र इन लोगों को सड़कों से हटाया जाना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी शीघ्रता से यह कार्य कर देंगे तो लोग उनके गुण गायेंगे कि बहुत से कामों में एक काम यह भी उन्होंने किया।

मेरी अंतिम प्रार्थना यह है कि हेल्थ टैक्स लगाया जाय। हम देखते हैं कि दूसरे देशों में फ्री ट्रीटमेन्ट दिया जाता है। इसलिये अगर प्रदेश से इनकम कम है तो आप उन लोगों पर, जिनकी इनकम ज्यादा है, हेल्थ टैक्स लगाइये अमीरों पर जिससे हमारा जो स्वप्न है पांच मील में एक दवाखाना, वह पूरा हो सके।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं, चिकित्सा सम्बन्धी अनुदान की मद (ख)—चिकित्सालय और औषधालय की उप-मद (ख) अन्य चिकित्सालय और औषधालय (राजकीय)—(१) एलोपैथिक तथा (२) देशी, के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय, यह कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आपके कटमोशन मूव करने का कोई सवाल नहीं है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामकुमार वैद्य—अधिष्ठाता महोदय, हमारे सामने आगामी बजट वर्ष के लिये चिकित्सा और जनस्वास्थ्य सम्बन्धी राशि प्रस्तुत की गयी है, उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना तो इसलिये आवश्यक नहीं समझता क्योंकि उसमें कोई नवीनता नहीं है, वह तो सरकार का जो सामान्य कार्यक्रम चलता है उसी के अन्तर्गत है, उसमें किसी नयी योजना या नयी शोध के साथ कोई नया कार्यक्रम नहीं रखा गया है।

अधिष्ठाता महोदय, गत वर्ष और इस वर्ष भी अनेक अवसरों पर, हमारे इस प्रान्त में, इस बात का अनुभव होता रहा है कि हमारे यहां चिकित्सा की सुविधा अपर्याप्त है, अपर्याप्त ही नहीं कीमती भी है और प्रायः उसका कारण अपनायी गयी ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है। इसलिये अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि हम कौन सा उपाय करें, कौन सा ऐसा विधान करें जिससे इस प्रान्त के लोगों को रोग में छुटकारा मिल सके। इस सम्बन्ध में हम ऐसे कार्य कर सकें जिससे इस प्रान्त के ६६५ लाख लोगों को लाभ पहुंचा सकें।

श्रीमन्, हमारे इस प्रदेश की आबादी ६ करोड़ के लगभग है और उसकी चिकित्सा के लिये रखी गयी राशियों और उपराशियों पर विचार किया जाय तो आपको मालूम होगा

[श्री रामकुमार वैद्य]

कि उसका अधिकांश भाग उस विशिष्ट चिकित्सा पद्धति के लिये रखा गया है, जिसको हम एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के नाम से पुकारते हैं। अन्य बातों के अतिरिक्त यह पद्धति खर्चीली है। अतः इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यदि हम इसी नीति पर चलते रहे तो निश्चय ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहेंगे। ऐलोपैथिक चिकित्सा की चाहे कितनी ही उपयोगिता क्यों न हो परन्तु उसका व्यय भार इतना अधिक है कि उसको हमारा गरीब प्रान्त सहन नहीं कर सकता। एक सुन्दर साज-सज्जा से सम्पन्न चिकित्सालय बनाने में लाखों रुपया व्यय हो जाता है और करोड़ों रुपया एक मेडिकल कालेज की स्थापना में व्यय हो जाता है, जहां से प्रति वर्ष, सौ सवा सौ या इससे कुछ अधिक चिकित्सा स्नातक बन कर बाहर निकलते हैं।

हमारे देश में जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ उसका प्रभाव हमारे सभी विषयों पर पड़ा और हमारे देश में चिकित्सा सम्बन्धी जो पूर्व ज्ञान था उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा उसका परिणाम यह हुआ कि आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरफ से लोगों का ध्यान हटता गया, लेकिन फिर भी बीमारी की अवस्था में इस देश की और विशेषकर इस प्रान्त की जनता की सेवा आयुर्वेदिक तरीके से ही अधिकांश में हो रही है। सरकार की जो उपेक्षा की नीति है, वह साफ दृष्टिगोचर होती है। आयुर्वेद की प्राचीनता की बात कह कर मैं इस आदरणीय सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा, किन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व इस पद्धति के आविष्कारक सुश्रुत हुये, चरक को कौन नहीं जानता जो आज से हजारों वर्ष पूर्व उत्पन्न हुये थे। इसकी उपयोगिता तो बहुत है, लेकिन सरकार की उपेक्षा नीति के कारण ही यह पद्धति आगे नहीं बढ़ सकी है। सरकार की ओर से इस बात को कहा जाता है कि आयुर्वेदिक पद्धति वालों को स्वयं रिसर्च आदि कार्य के लिये आगे बढ़ना चाहिये। लेकिन शोध का कार्य ऐसा है जिसके लिये सरकार की ओर से जब तक कोई धनराशि न दी जाय और कोई प्रोत्साहन न दिया जाय तब तक यह काम आगे नहीं बढ़ सकता है। माननीय मंत्री जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि शोध का कार्य ऐसा है जो किसी एक व्यक्ति के जरिये नहीं हो सकता है, इसमें अनिवार्य रूप से सरकार की सहायता की आवश्यकता है। हमारे प्रान्त की स्वास्थ्य समस्या को हल करने का एकमात्र उपाय यही है कि कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़ कर, जैसे सर्जिकल आपरेशन, शल्य यंत्र आदि का आयुर्वेद में जब तक प्रबंध न हो जाय, और जितनी बातें हैं उनमें आयुर्वेदिक पद्धति को ही प्रोत्साहन दिया जाय।

दूसरी बात प्रसन्नता की यह है कि सरकारी आंकड़े के अनुसार ही मृत्यु संख्या में कमी हुई है, लेकिन साथ ही साथ जन्म के आंकड़े में भी कमी हुई है। इसका कारण यही है कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है, लोगों के विचारों में भी काफी परिवर्तन हो गया है जिससे वे नहीं चाहते कि अधिक बच्चे पैदा करें।

अन्य रोगों की बात तो मैं छोड़ ही देता हूं, लेकिन जहां तक टी बी० के रोग का सम्बन्ध है, वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे प्रान्त में वह बड़ी भयावह संख्या तक पहुंच गया है। यहां प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में इस रोग से लोग मरते हैं। खासकर हमारे प्रान्त की राजधानी लखनऊ में रोगियों के लिये केवल ७० सीट्स हैं, जब कि लगभग ३०० रोगी बराबर वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। मलेरिया की तरह इस रोग के कीटाणु तालाबों में नहीं पैदा होते हैं, हैजे की तरह सड़ी हुई सब्जियों में और खाने पीने की चीजों में नहीं पैदा होते हैं, बल्कि ये मानव शरीर में ही पैदा होते हैं। मानव शरीर से ही कीटाणु दूसरे मानव शरीर में जाते हैं। इसलिये अच्छा यही है कि लोगों के दूसरी जगह रहने के लिये जरूर व्यवस्था की जाय। इस दृष्टि से हमारे प्रान्त में स्थानों का बहुत बड़ा अभाव है, जैसा कि अभी हमारे अन्य कई मित्रों ने भी कहा कि सरकार की ओर से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिये कुछ वर्ष पूर्व लखनऊ वाराणसी में राजकीय औषधालयों की स्थापना हुई और लखनऊ में तो एक राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय भी है। मैं निर्भ्रान्त रूप से यह कह सकता हूं कि लखनऊ आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाकर

चिकित्सा कराने वालों और स्वास्थ्य लाभ करने वालों की संख्या का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, किन्तु निश्चित रूप से वहां साधनों का अभाव है। जहां पर प्रति दिन ४०० रोगी आउट डोर में आते हों वहां पर केवल ४८ बेड्स हों और उन में से १२ एक विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा पद्धति के रोगियों के लिये सुरक्षित हों तो वह बहुत ही कम हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर कुछ अनुदानों की राशियां बढ़ा कर ऐसी व्यवस्था की जाय जिस से वहां अधिक रोगियों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

सरकार का कहना है कि इस सम्बन्ध में जनता का भी कुछ आवश्यक कर्त्तव्य होना चाहिये। मेरा ऐसा विचार है कि जहां तक जनता का प्रश्न है वह सहयोग करती है और मैं उसका एक सामान्य सा उदाहरण भी दूंगा, यद्यपि आवश्यकता को देखते हुये वह पर्याप्त नहीं है। मुरादाबाद में मेरे नगर व क्षेत्र अमरोहा में ५ अक्तूबर सन् ५४ को हमारे यहां के एक दानी सज्जन साहू जगदीश शरण जी ने डेढ़ लाख रुपये की धनराशि भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री माननीय चन्द्रभानु गुप्त को अर्पित की और सरकार ने उस को स्वीकार किया, लेकिन उन की शर्त यह थी कि उस धनराशि से अमरोहा में, जो एक बहुत ही घनी आबादी है और जो प्रान्त का सबसे बड़ा टाउन है, एक महिला चिकित्सालय और एक शिशु कल्याण केन्द्र खोला जाय। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है और लोग सरकार की इस नीति को बड़ी शंका से देखते हैं। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस तरफ शीघ्र उचित कार्यवाही की जाय।

अन्त में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदिक शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार कोई अनिश्चित और भ्रांति नीति न अपनाये। आयुर्वेदिक पद्धति को आगे बढ़ाने के लिये जहां नये नये यंत्र, उपकरणों की आवश्यकता है वहां वैज्ञानिक साधनों और औषधियों आदि का भी समुचित प्रबंध होना आवश्यक है। यदि यहां आयुर्वेद का प्रचार होगा तो उस के द्वारा जनसाधारण की सेवा हो सकेगी और चिकित्सा सुलभ होगी।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)--अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी को, किन्हीं कारणों से, अपने हृदय में बधाई देने की ख्वाहिश होते हुये भी मैं इस मौके पर उन के लिये बधाई शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। उसका कारण भी साफ है कि शायद उससे किसी को गलत-फहमी हो, लेकिन मेरा खयाल है कि अपने सीमित ढांचे के अन्दर उन्होंने अपने इस दौरान में कुछ सख्ती करने की और कुछ फौरी तरीके से काम करने की नीति अपनाई है, अगर कोई चीज उनके नोटिस में लाई गई तो उस को ठीक करने का प्रयत्न उन्होंने अवश्य किया है। मेरे लिये, और न सिर्फ मेरे लिये ही बल्कि किसी भी माननीय सदस्य के लिये स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये कितने भी रुपये की मंजूरी देने में कोई गुरेज नहीं हो सकता क्योंकि यह रुपया करोड़ों इन्सानों की जिन्दगी को अच्छा बनाने के ऊपर खर्च होता है। इसलिये जहां तक इस साढ़े ६ करोड़ रुपये के अनुदान का ताल्लुक है इस के सम्बन्ध में तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि काश अगर इस से अधिक रुपया भी इस में होता तो उसको सदन सहर्ष मंजूर कर देता।

अब प्रश्न यह है कि जो रुपया खर्च होता है उससे कितने लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है? इस सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरा अनुभव यहीं तक सीमित है वह यही बतलाता है कि हमारा जो स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में दृष्टिकोण है उस में परिवर्तन की जरूरत है। कैसे स्वास्थ्य अच्छा रखा जाय, इस पर रुपया खर्च करना अच्छा है बनिस्बत इस के कि जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगे उस वक्त हम दौड़ें धूपें और रुपया खर्च करें। मेरा मतलब यह है कि प्रिवेन्शन पर ही हमारा ध्यान अधिक होना चाहिये। इसी पर हमें एमफेसिस देना चाहिये और हमारी पालिसी का मौलिक बायस प्रिवेन्शन आफ डिजीज होना चाहिये यानी यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

कि हमें पहले लोगों को हेल्थ कांशस बनाना चाहिये । यह कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है कि बहुत कम लोगों को जानकारी है अपनी सेहत के बारे में । इसके साथ साथ मामूली जानकारी खाने वगैरह के बारे में भी नहीं है । पढ़े लिखे लोग अक्सर परावठे, पूरी यह समझ कर खाते हैं कि यह मुलायम खाना है और जल्दी हजम होता है जब कि वाकया यह है कि हजम होने में वह काफी वक्त लेता है । पढ़े लिखे लोग ही नहीं ज्यादातर डाक्टर साहबान भी पूरी, परांठे खाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय गोविन्द सहाय जी भी खाते हैं ।

श्री गोविन्द सहाय--अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ खाने के मामले में खब्ती सा हूं । इसलिये इस बात से बचत हो गई । अगर यह खब्त न होता तो मैं भी यही खाया करता । मेरा दृष्टिकोण यही है कि लोगों को डायटेटिक्स के बारे में बहुत कम जानकारी है । इसलिये विभाग इस पर रिसर्च कराये कि सौ रुपये की जिनकी आमदनी है उनके लिये कौन सा डायट, स्वास्थ्य-प्रद हो सकती है । इसी तरह से हर क्लास के लिये एक डायटेटिक्स के चार्ट बनाये जा सकते हैं । उसके ऊपर खर्च करना ज्यादा प्राडक्टिव हो सकता है, ज्यादा फायदेमंद हो सकता है ।

मैं इस विभाग को महज विभाग की दृष्टि से नहीं देखता । मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य का, शिक्षा का, शासन का, इन सब का एक रिश्ता है । इसलिये यह कोशिश होनी चाहिये कि हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हेल्थ कांशस बनाना चाहिये । उसका खर्चा एजूकेशन विभाग दे या यह विभाग दे, मगर ऐसी कोशिश होनी चाहिये । शुरू से बच्चों की तालीम ऐसी हो की बच्चों को हेल्थ कांशस बनाया जाय । मामूली जानकारी उनको सिस्टम के बारे में करायी जाय ।

दूसरी चीज है कि आजकल हमारा जो चिकित्सा का सिस्टम है वह एलोपैथिक के नाम से कहलाता है । हमको यह विरासत में मिला है । इसके ऊपर हमने बुनियादी तरीके पर इमारत बनाने की कोशिश की है । इसके साथ ही साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक--इस तरफ भी ध्यान झुका है, इसमें कोई शक नहीं है ।

एलोपैथिक के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को ताज्जुब की बात लगे, लेकिन मेरा ईमानदाराना खयाल यह है कि यह सिस्टम अनसाइंटेफिक है, खर्चीला बहुत है । जब मैं यह बात कह रहा हूं तो काफी समझ-बूझ कर कह रहा हूं । मैं यह भी जानता हूं कि मेरी बात का कुछ पढ़े लिखे लोगों में और खासकर डाक्टर साहबान में बड़ा प्रोवोकेशन हो सकता है । समझते थे कि यह आदमी माकूल बात करेगा लेकिन आज ऐसी बात कह रहा है । यह मेरा खयाल इस वजह से है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत सोशल साइंसेज के बारे में जानने की कोशिश करता हूं और मेरे तजुर्बे ने यह बताया कि पिछले सौ सालों के अन्दर जितनी रिसर्चेज सोशल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज में कैपिटलिज्म के अन्तर्गत हुई हैं उनमें अधूरे तरीके से मामलात को हल करने की कोशिश की गई है । यह बात जब मैं कहता हूं तो इस आधार पर कहता हूं कि सोशलिस्ट दुनिया के लोग जिनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह साइंस में, टेक्नालोजी में पीछे हैं बल्कि दुनिया यहअब मानने लगी है कि साइंस में टेक्नोलाजी में पश्चिमी दुनिया से बढ़े हुये हैं, उनके यहां मैंने देखा उन्होंने अपने मेडिकल सिस्टम को बहुत कुछ अपने पुराने सिस्टम के आधार पर ढालने की कोशिश की है क्योंकि उनका कहना है कि जो आदमी हमको मिलता है उसके संस्कार, एनवायरनमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, उसके सोचने के ढंग के अनुकूल अगर सिस्टम नहीं है तो दवाएं उतना असर नहीं कर पायेंगी । मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि मैं उसको किन कारणों से अनसाइंटिफिक समझता हूं । लेकिन ऐसा मानने का एक कारण यह भी है कि मैंने देखा, जितने डाक्टर बीमार होते हैं उनको हकीमों, वैद्यों, होम्योपैथ्स और तबीजों के यहां जाते देखा ।

श्री हुकुम सिंह विसेन--और वायसी-वरसा ।

श्री गोविन्द सहाय--जहां तक आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का ताल्लुक है वह तो थे ही, लेकिन जब साइंटिफिक लोग अनसाइंटिफिक बातें करते हैं तो कहने की गुंजायश हो जाती है । मुझे खुशी है कि मिनिस्टर महोदय ने मेरी बात की पूर्ति की । इस खयाल से मैं यह चाहूंगा कि इस मामले में कुछ ऐसी आप रिसर्च कराइये जिससे हमारा जो मौजूदा इलाज का तरीका है वह सस्ता पड़े । यह जो मौजूदा इलाज का तरीका है आप अन्दाजा नहीं लगा सकते कि यह कितना महंगा है । मंसूरी में अगर कोई बीमार पहुंच जाय तो उसके इलाज के मामूली डाइग्नोसिस में एक हजार रुपया लगता है । यानी यह जरूर है कि मंसूरी में जो जाता है यह समझ के जाता है और यह समझा जाता है कि वह गांठ का पक्का है । लेकिन फिर भी इसका सारा एप्रोच जो है वह इस तरफ को दिमागों को ढालता है । इसलिये कोई ऐसा तरीका होना चाहिये जिससे कि हर एक लाभ उठा सके ।

एक तरीका तो यह है कि आपने देखा कि आयुर्वेद वाले सिर हो रहे हैं तो इनको भी मान लो, होम्योपैथिक वाले सिर हो रहे हैं तो इनको भी मान लो । मैं इस नजरिये को नहीं कहता । मेरा खयाल है कि इसके ऊपर बहुत ठंडे तरीके से रिसर्च होनी चाहिये कि हमारे देश की हालात, हमारे देश की अवस्था, हमारे देश की ह्यूमन पापुलेशन के अनुकूल कौन सी व्यवस्था ठीक होगी जिसमें कि सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा इलाज लोगों का हो सके । जो मौजूदा तरीका है वह बहुत महंगा पड़ता है । इसलिये मैं उम्मीद यह करता हूं कि इस तरफ कुछ कदम उठाया जायगा और मेरा यकीन है कि अगर हम इन दो चीजों की तरफ कदम उठायें कि लोगों को हेल्थ कांशस बनायें और सिस्टम के बारे में ध्यान दें और कुछ योगिक एक्सरसाइजेज के ऊपर, मैं नहीं समझता कि आपके मुहकमे के अन्दर यह आता है या नहीं, तो इस समस्या में काफी सुधार हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य इस विषय में पेश किया है उससे मुझे विशेष उत्साह नहीं प्राप्त हुआ । मैं आशा करता था जैसा कि पारसाल भी मैंने कहा था कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि हमारे प्रदेशीय सरकार की चिकित्सा नीति क्या है ? मेरा अपना आरोप यह है कि भारत सरकार के पास भी और इस सरकार के पास भी कोई राष्ट्रीय चिकित्सा नीति नहीं है । इसी की ओर माननीय गोविन्द सहाय ने भी इशारा किया । मेरा अपना मत यह है कि जब तक यह चीज स्पष्ट रूप से सरकार की ओर से घोषित नहीं की जाती है, तब तक अन्य विभाग या अन्य विषयों की भांति मेडिकल वर्ल्ड में भी जो अनार्की है वह जारी रहेगी । यूनानी भी जारी है, आयुर्वेदिक भी जारी है, होम्योपैथिक भी है और एलोपैथिक भी है और सबका एक अजीब मिक्सचर भी चल रहा है । बनारस आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, होम्योपैथिक कालेज, यह सब एक अजीब मिक्सचर चल रहा है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी और सरकार इस बात की ओर शीघ्र ध्यान दें और इस विषय में एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जो इस बात को स्पष्ट करे कि हमारे देश की विशेष स्थिति में यहां की जलवायु को देखते हुये कौन सी चिकित्सा प्रणाली मुख्य होनी चाहिये और अन्य चिकित्सा प्रणालियों में से किसी को सहायक रूप में रख सकते हैं अथवा नही । अगर वह सहायक होकर मुख्य प्रणाली को सहायता प्रदान करते हुये सस्ते और आसान तरीके से चिकित्सा की सुविधा प्रदान कर सकती हैं तब तो वह रहें अन्यथा उनको हम ड्राप भी कर सकते हैं । इसमें किसी प्रकार के रहम और दया की कोई जरूरत नहीं है । लेकिन यह काम मेरा नहीं है । यह काम हाई पावर कमेटी करे जो एक्सपर्ट्स की हो । उसके जिम्मे यह काम होना चाहिये । यही वजह है कि आये दिन विद्यार्थियों के चाहे वह होम्योपैथिक कालेज

[श्री झारखंडे राय]

के हों, चाहे स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के हों, झगड़े भी खड़े होते रहते हैं । आज के समय में सब इस बात के लिये लालायित हैं कि हम डाक्टर बनें, वैद्यराज बनने में अपमान मालूम होता है । सरकार की नीति इन तमाम बातों में स्पष्ट होनी चाहिये ।

अभी आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की हड़ताल चल रही है । उनकी कुछ मांगें अवश्य ऐसी हैं जिनके ऊपर माननीय मंत्री जी को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह विसेन——कौन-कौन सी हैं, जरा बतला दीजिये ।

श्री झारखंडे राय——मैं अभी बतला रहा हूं । लेकिन एक बात स्वीकृत होनी चाहिये कि जिस प्रकार की चिकित्सा पद्धति बनारस यूनिवर्सिटी में चलाई गई थी वह मिक्सचर पद्धति है। ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा में अलग-अलग चलाई जायं अलग और उन्हें स्वतंत्र विकसित होने दिया जाय । जहां पर हमारे देश की प्राचीन पद्धति से शिक्षा चलाई जायेगी वहां उसका विकास अवश्य होगा । यह जो मिक्सचर की पद्धति चलाई गई, यह ठीक नहीं है । मेरा अपना विचार यह है कि जो चिकित्सा प्रणाली अपने यहां प्राचीन काल में चलाई गई थी और जिससे लाभ होता रहा है उसी का विकास विशुद्ध रूप से होना चाहिये । ऐलोपैथिक के साथ जो आजकल मिलावट की जा रही है, उससे न तो विद्यार्थी डाक्टर ही बन पाता है और न वैद्य ही बन पाता है । इससे हमारे नौजवानों का जीवन बीच में लटका रहता है । इसलिये इसका अन्त होना चाहिये ।

मेडिकल कालेज की चर्चा सदन में बहुत बार हो चुकी है, हर साल होती है और होनी भी चाहिये । इस मेडिकल कालेज के ऊपर जनता की गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया खर्च होता है और वह खर्चा बढ़ता ही चला जाता है । इसके विषय में दो बातें कहना चाहूंगा । अन्य लोगों ने भी कही हैं । एक तो यह कि डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बेरहमी के साथ बंद होनी चाहिये और जो समाज का साधारण भ्रष्टाचार है, उसमें अमानुषिकता उस हद तक नहीं है जिस हद तक डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के द्वारा हैवानियत है । उन्हें अपनी ड्यूटी का ध्यान न रह कर चिन्ता लगी रहती है कि किसी न किसी तरह से वह पैसा बटोरें । जब तक इसका अंत नहीं होगा तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता है ।

लखनऊ मेडिकल कालेज और अस्पताल को अलग-अलग कर दिया जाय और अस्पताल का प्रबंध अन्य अस्पतालों की भांति जैसे कि लखनऊ में ही है, जिनकी क्षमता और योग्यता के बारे में बहुत से माननीय सदस्य कह चुके हैं, एक होल टाइम सुपरिन्टेंडेंट के अधीन किया जाय । उसका मेडिकल कालेज से संबंध बिल्कुल तोड़ दिया जाय । मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि राजनीति से ऊंचा उठकर देखा जाय तो सरकार को इसके मानने में कोई न नुकुर नहीं होनी चाहिये ।

नेशनल होम्योपैथिक कालेज के विद्यार्थियों ने हड़ताल की थी, उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो शब्द कहे थे वह तो मुझे याद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सदन में एक वक्तव्य दिया था । उसमें एक मांग उन्होंने स्वीकार की थी । मुझे ऐसी शिकायत मिली है कि वह मांग पूरी नहीं हुई । इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि वह मांग क्यों पूरी नहीं हुई ? और अगर पूरी हुई तो कहां तक ? होम्योपैथिक बोर्ड ने जो सुझाव सरकार के पास भेजे थे उनका पालन कहां तक हुआ और कहां तक नहीं हुआ, इसकी भी हम सफाई चाहेंगे ।

मैं जानना चाहता था कि इस प्रकार के भी आंकड़े सरकार दे कि किस चिकित्सा प्रणाली से हमारे प्रदेश में कितने लोग अच्छे हो रहे हैं ? कितने आयुर्वेद से, कितने ऐलोपेथी से, कितने होम्योपैथिक से और कितने यूनानी से, तब हम तुलनात्मक तरीके से जानकारी कर सकेंगे कि कौन सी चिकित्सा प्रणाली अधिक लाभदायक सिद्ध हो रही है ।

दवाओं के बारे में मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि मेडिसिन्स का नेशनेलाइजेशन हो जाना चाहिय । जो यह तमाम इधर उधर की कम्पनियां दवायें बनाती हैं, उनमें काफी

गड़बड़ी होती है। दवाओं को डायलूट किया जाता है और उनके दाम उतने ही देने पड़ते हैं जितने अच्छी दवा के देने चाहिये। ऐसी हालत में इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और कम्पनियों द्वारा जो दवायें स्वतन्त्र रूप से बेची जाती हैं उन पर प्रतिबंध होना चाहिये। दवाओं के ऊपर जो बिक्री-कर है उसका सम्बन्ध माननीय मंत्री जी से तो नहीं है लेकिन वे अपना असर व व्यक्तित्व इस बात पर डालें जैसे खाद्यान्न बिक्री कर से मुक्त होना चाहिये वैसे ही दवाओं पर बिक्री-कर नहीं होना चाहिये।

खैराबाद आई अस्पताल के प्रति सरकार का व्यवहार उपेक्षापूर्ण रहा है। उसकी पूरी सहायता न की जाय यह उचित नहीं लगता, जबकि इलाहाबाद में गवर्नमेंट हास्पिटल होते हुये भी एक आई हास्पिटल है और सरकार उसको पूरी सहायता देती है।

१५ वर्षों में इस खैराबाद अस्पताल ने जनता की जिस प्रकार सेवा की है वह मैं बतलाता हूं। सन् १९४३ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक २,०३,१०० मरीजों को ट्रीटमेंट दिया गया। करीब ४९,७०० आंख के आपरेशंस किये गये। हर साल २०,००० आउट डोर, २,००० इनडोर मरीजों का ट्रीटमेंट होता है और ४,००० आंख के आपरेशंस होते हैं।

इस अस्पताल को २५ हजार रुपया चैरिटी या सब्सक्रिपशन से मिलता है और खर्चा हर साल करीब ३० हजार रुपया है। सरकार से जो सहायता मिली है वह नगण्य है। केवल २ हजार रुपया ५१ में और २५० रुपया ५३ में सरकार की तरफ से मिला। अन्य सहायतायें अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं के जरिये से मिली हैं जैसे ५,००० रुपया लखनऊ वार सब्सक्रिप्शन से, ५,००० रुपया सी० एफ० डब्ल्यू०, नई दिल्ली से मिला। सन् ५७ में भी दो हजार रुपया नई दिल्ली से मिला। इस तरीके से सरकार को इस अस्पताल की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये और जो इसने जनता की सेवा की है उसको मान्यता प्रदान करना चाहिये।

चिकित्सा विभाग की जो पुस्तिका मिली है मैंने उसे कई बार उलट कर देखा लेकिन मैंने जो पारसाल शिकायत की थी उसका कोई समाधान नहीं मिला। मैंने कहा था कि प्राकृतिक चिकित्सा भी एक चिकित्सा प्रणाली है। हमारे देश में बहुत से लोग इसके प्रशंसक हैं और उसके मानने वाले हैं। सब से बड़ी बात यह है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वयं इसी के पोषक और प्रशंसक रहे हैं। लेकिन उसकी तरफ सरकार का ध्यान बिलकुल नहीं है। इस पुस्तिका में इसका कोई जिक्र नहीं है कि सरकार ने इस विषय में क्या किया है।

फैमिली प्लानिंग की तरफ भी अब सदन में आवाज उठने लगी है। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। जैसे एन० ई० एस० ब्लाक्स खुले हैं वैसे ही फैमिली प्लानिंग के सेंटर्स भी उसके साथ सम्बद्ध होने चाहिये और देश व प्रदेश की जो बढ़ती हुई आबादी है जो हर एक समाधान पर असर डाल रही है उसकी रोकथाम होनी चाहिये।

टी० बी० का मर्ज बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है पहले टायफाइड और टी० बी० देहातों में यदा कदा सुनने को मिलता था लेकिन अब टी० बी० का मर्ज भी मामूली सा मर्ज हो गया है। कानपुर, फिरोजाबाद और मुरादाबाद टी० बी० सेंटर्स हो गये हैं। तो इनकी दवा और रोकथाम का केवल यही उपाय कि क्लीनिक खोले जायं या टी० बी० के वार्ड खोल दिये जायं या टी० बी० के कुछ बेड्स जोड़ दिये जायें, इससे काम चलने वाला नहीं है, बल्कि सरकार को इसके प्रिवेंटिव मेजर्स निकालने चाहिये और जो इस विषय के अच्छे जानकार हैं उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहिये ताकि टी० बी० की रोकथाम हो सके और हमारे देश की भावी संतान का स्वास्थ्य जो मौत के मुंह में चला जा रहा है वह रुक सके।

अन्त में मैं इस बात को तसलीम करना जरूर चाहता हूं कि पिछले एक साल में जबसे हमारे मंत्री जी ने इस विभाग को अपने हाथ में लिया है, जैसा कि नेकराम जी आदि ने कहा शिकायतों के बारे में सख्ती और उसके बारे में जो रेड-टेपिज्म का चक्कर था उससे मुक्त होने का साहस दिखाया

[श्री झारखंडे राय]

हैं मंत्री जी ने, इसके लिये मैं उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि जिन बातों की ओर मैंने सुझाव दिया है उनकी ओर सरकार और मंत्री जी विशेष कर ध्यान देंगे । साथ ही नेशनल होम्योपैथिक कालिज के विद्यार्थियों और आयुर्वेदिक कालिज के विद्यार्थियों की मांगों का समुचित समाधान जरूर कर दें, कम से कम ऐसा काम जरूर कर दें जिससे वह उनकी यादगार का विषय बन जाय ।

श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)---अधिष्ठाता महोदय, जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कई करोड़ रुपया रखा गया, लेकिन ५६-५७ के साल की रिपोर्ट देखने से ज्ञात हुआ कि ३,६३ लाख रुपया रखा गया, लेकिन सरकार उसको भी पूरी तरह से खर्च नहीं कर सकी । इसके परिणामस्वरूप ५७-५८ में जो ३,२० लाख रुपया रखा गया इससे हम यही समझते हैं कि इस विषय पर काफी प्रगति नहीं हुई । जन-स्वास्थ्य जैसे विषयों पर तो कम से कम रुपया खर्च होना ही चाहिये ।

प्लेग और मलेरिया जैसे रोगों के लिये, जो हमारे देश में बहुत हानि पहुंचाते थे, उन पर हमारे चिकित्सा विभाग ने काफी ध्यान दिया । सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे प्रदेश के ग्रामों में मलेरिया जैसे रोग फैले रहते थे और हमारे किसान लोगों को बहुत कष्ट दिया करते थे कुछ सीमा तक उन्होंने उनपर काबू पा लिया है । लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि वह बिलकुल नष्ट हो गये । उसके लिये हमारी सरकार इस प्रकार के साधन कर रही है जिससे यह हमारे प्रदेश से निकल जाय । अगर इस प्रकार हमारे देश से प्लेग और मलेरिया बिलकुल दूर हो जायंगे तो हम समझेंगे कि हमारी सरकार इन रोगों पर विजय प्राप्त कर सकी और वह बधाई के पात्र होंगे ।

हमारी इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये जो कुछ कमी थी वह थी प्राविधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की । उस कमी को दूर करने के लिये हमारी सरकार की ओर से एक मेडिकल कालिज खोला गया, जिससे यह कमी दूर हो गई है और जिसमें डाक्टरों, हेल्थ विजिटर्स, मिडवाइव्ज और नर्सों को ट्रेनिंग दी जायगी । इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं, लेकिन इसके साथ-साथ मुझे यह कहना है कि हमारे प्रदेश के भागों में जो समाज-कल्याण की ओर से केन्द्र खोले गये हैं उनके लिये ढूंढने पर भी ट्रेन्ड नर्स नहीं मिल पाती हैं और इस प्रकार की बाधाएं होने पर हमारे ग्रामों में जो अनट्रेन्ड दाइयां जाती हैं वे इस प्रकार से कार्य करती हैं कि उससे हमारी महिलाओं को अत्यधिक कष्ट पहुंचता है । तो मेरा निवेदन है कि जितनी गांव में काम करने वाली दाइयां हैं उनको अधिक से अधिक ट्रेन्ड किया जाय, उनकी ट्रेनिंग को अधिक से अधिक ऊंचा स्तर दिया जाय ताकि वह अपने कार्य में सफल हो सकें ।

दूसरा निवेदन यह है कि मैं अपने जिले के बारे में बतला दूं कि हमारे जिले सहारनपुर में बहुत दूर-दूर तक ऐसे गांव हैं, पहाड़ी रास्ते हैं जिसमे रोगी अपने रोग को दिखाने के लिये शहर तक नहीं आ सकता । अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि एक गर्भवती स्त्री जब शहर को रवाना हुई तो आते आते बच्चा और स्त्री दोनों की मृत्यु हो गई । तो ऐसी स्थिति में मेरी मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि वह इस प्रकार जो दूर दूर क्षेत्र हैं वहां आवश्यकतानुसार बड़े अस्पतालों की छोटी-छोटी शाखाएं कर दें जिसमें की गरीब लोगों और धनवान सभी लोगों का फायदा हो सकता है । लेकिन एक दूसरी बात मुझे यह भी कहनी है कि जो हमारे अस्पताल खुले हैं हुए उनमें डाक्टर लोग जो कार्य करते हैं वह सदैव कीमती दवाइयां लिख देते हैं और गरीब लोग जो दवा नहीं ले पाते हैं वह उसके अभाव में मर जाते हैं । तो उन गरीब लोगों के लिये भी सरकार कोई योजना बनाये ताकि वह भी अपना रोग दूर कर सकें और अपना जीवन सुखी बना सकें ।

मुझे इतना ही कहना था कि इस प्रकार की योजनायें जरूर बनायी जायं जिस से गांव के लोगों को काफी फायदा हो सके और वे अपने जीवन को सुखी बना सकें ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस अनुदान पर जो बहस हो रही है उसको मैंने गौर से सुना। मान्यवर, इसमें दो रायें नहीं कि जब से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस विभाग को सम्हाला है तब से इस विभाग में आशातीत सफलता हुई है। यह विभाग इतना बड़ा है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, अपाहिज हो या कोढ़ी इस से बचा नहीं रह सकता और इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे विभाग को सम्हालने में बड़ी कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता है जिसका परिचय हमारे माननीय मंत्री जी ने दिया है। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। आज इस सदन में सभी लोग, चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, इस बात को मानते हैं कि इस विभाग में बड़ी सफलता मिली है और इस थोड़े से समय में ही जिस प्रकार से हमारे ठाकुर साहब ने इसमें फैले हुये भ्रष्टाचार पर काबू पाया है उसको सभी लोग मानते हैं। इस बात का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है, मान्यवर, कि जैसे ही माननीय मंत्री जी ने इस विभाग को सम्हाला था वैसे ही केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में इन्फ्लुएंजा की इतनी बड़ी लहर आयी कि जिसमें हम सभी लोग सोचते थे कि न जाने क्या हो जाय परन्तु इतनी बड़ी बीमारी पर जिस ढंग से हमारे मंत्री जी ने और उनके स्टाफ़ ने काबू पाया वह सराहनीय है।

श्री उग्रसेन--इन्फ्लुएंजा से बहुत मरे।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--वह बीमारी ही ऐसी थी।

इसके साथ-साथ मुझे एक बात और कहनी है कि जो अनुदान आज यहां प्रस्तुत है वह वस्तुतः उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुये और स्वास्थ्य ऐसी चीज़ को देखते हुये बहुत थोड़ा है। यदि इस से दुगुनी और तिगुनी रकम भी यहां होती तो मैं समझता हूं कि सदन उसे सहर्ष स्वीकार करता और उस से कुछ काम भी होता।

आज उत्तर प्रदेश में थाइसिस की बीमारी इतने जोरों से बढ़ रही है कि कोई गांव, कोई छोटा सा पुरवा भी इससे अछूता नहीं रह गया और शायद ही कोई ऐसा सौभाग्यशाली परिवार होगा जिसमें यह बीमारी न पहुंच पायी हो। यह बीमारी इस प्रकार बढ़ती जा रही है कि इसको रोकने के लिये जो टी० बी० सेन्टर्स खोले जा रहे हैं उनसे सफलता नहीं मिल सकती। यह क्यों बढ़ रही है, इसके कारण पर पहुंचना चाहिये और उसकी खोज होनी चाहिये। इसका पहला कारण तो यह है कि चूंकि देश निर्धन है जिसके कारण हमारे खाने के साधन ठीक नहीं हैं। दूसरा कारण एक और है कि वेजिटेबिल घी से इस बीमारी को बहुत बढ़ावा मिलता है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ सभी ओर से यह मांग हुई कि वेजिटेबिल घी पर प्रतिबन्ध हो, उसको कलर किया जाय परन्तु हमें दुख है कि इतने प्रयास के बाद भी आज तक उस घी में किसी प्रकार का रंग नहीं मिलाया गया। इसके अलावा इस घी में भी और खराब चीजें मिलायी जाती हैं। मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई जिसने बताया कि जो खुला हुआ वेजिटेबिल घी मिलता है उसमें मशीन का निकाला हुआ खराब तेल मिलाया जाता है। सोचने की बात है कि जो तेल मशीन में चलते-चलते खराब हो जाय वह अगर खाने की चीज़ में मिलाया जाय तो उस से क्या होगा? असली घी तो वैसे मिलता ही नहीं, परन्तु असली घी में नकली घी आज हर शहर में मिलाया जाता है जिसके कारण टी० बी० का मर्ज़ बहुत बढ़ता चला जाता है। श्रीमन्, इसके इलाज के साथ ऐसे उपाय भी होने चाहिये जिससे वह बीमारी बढ़ने न पावे। बीमारी का इलाज एक व्यक्ति का होता है परन्तु वह ठीक नहीं हो पाता है। वह अपनी बीमारी, जिनके साथ उसका सम्पर्क होता है, उन पर छोड़ जाता है। जैसे और बीमारियों पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कब्जा पाया है, मलेरिया के विषय में कोई शक नहीं कि जो आज से पूर्व इस सदन में मलेरिया के विषय में बड़ा हल्ला हुआ करता था आज वह हल्ला नहीं है। उसका कारण यही है कि उस पर सरकार ने सफलता पाई है। इसी तरह से इसके विषय में भी सफलता सरकार प्राप्त करे। इस सफलता के साथ जो मंत्री जी ने मलेरिया के विषय में प्राप्त की है, दूसरे विभागों के जो मंत्री हैं वह कठिनाई

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

पैदा करते हैं। निर्माण विभाग के मंत्री जो सड़क बनाते हैं उस सड़क बनाने के साथ जो खाई खोदते हैं उसमें बरसात में पानी भर जाता है। उनका पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसका नतीजा यह होता है कि उससे मच्छर पैदा होते हैं। इससे मलेरिया का रोग और बढ़ जाता है। तो जहां पर गड्ढे भरे जाते हैं और गंदगी को दूर किया जाता है वहां पर जहां-जहां सड़क बनती है वहां पर मच्छरों का निर्माण भी साथ-साथ होता है। इसके लिये हमारी सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है कि वहां से मिट्टी ली जाय, वहां पर कोई नाली बना दी जाय सड़कों के किनारे वे गड्ढे अलग-अलग होते हैं। उनका एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। जब बरसात में पानी पड़ा तो उस पानी से वे भर जाते हैं। जब पानी उनमें सड़ने लगता है तब उनसे मच्छर तैयार होते हैं। इससे उन देहात के लोगों को बहुत नुकसान होता है जो उनके पास रहते हैं। हमारी सरकार इस साल भी ९० लाख रुपया मलेरिया की रोकथाम के लिये खर्च करने जा रही है। तो मलेरिया के दूर होने के साथ यह भी होना चाहिये कि सरकार द्वारा जो कार्य चल रहे हैं और जिनसे गड्ढे बन जाते हैं और फिर मच्छर पैदा होते हैं तो इस प्रकार के तरीके जो मच्छर पैदा होने के लिये तैयार होते हैं, वह दूर होने चाहिये और सरकार को वे तरीके नहीं अख्तयार करने चाहिये जिनसे मच्छर पैदा हों।

श्रीमन्, यह बड़े दुख की बात है कि आज स्वतंत्र भारत में चिकित्सा की प्रणाली वही बनी हुई है जो परतंत्र भारत में थी। आयुर्वेदिक पद्धति के लिये कोई विशेष बढ़ावा नहीं दिया गया है। हमारे इस देश की आबोहवा में वह वृक्ष पनपाया जा रहा है जो यहां के लिये फिट नहीं हो सकता। विदेशी आबोहवा में पला हुआ वृक्ष यहां पर कैसे पनप सकता है? वहां के एक्सपेरिमेंट यहां पर किये जा रहे हैं और उनसे ही यहां पर काम लिया जाता है। वहां की दवाई भले ही यहां पर लाई जाय लेकिन यहां पर हवा आबोहवा नहीं बन सकती। माननीय मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। जब उनसे आयुर्वेद के विषय में बात चली तो मुझे खुशी हुई थी। उन्होंने यह बात मानी कि जो यहां पर आयुर्वेदिक प्रणाली चल रही है वह गलत है। उसका नाम आयुर्वेदिक है लेकिन कालेजों में पढ़ाई जाती है एलोपैथिक। लड़के इंजक्शन लगाना सीखते हैं। कोई लड़का इस बात को नहीं समझता है कि हमारी जड़ी-बूटियां किस प्रकार की हैं और उनके द्वारा हम किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। तो फिर किस प्रकार से स्वावलम्बी बन सकते हैं? जो लड़के वहां से पढ़कर निकलते हैं वे अपने को वैद्य कहलाना पसन्द नहीं करते हैं। यदि उनको कोई वैद्य कहता है तो उनको बड़ी शर्म मालूम होती है और वह बड़ा अपमान समझते हैं। तो फिर वहां कैसे उन्नति कर सकते हैं? जहां मंत्री जी और खराबियां दूर कर रहे हैं वहां इस खराबी को भी दूर करना चाहिये। वहां पर जो लड़कों को भर्ती करने की बात है उनके लिये इन्टरमीडियेट या हाईस्कूल क्वालिफिकेशन रखी गयी है। मैं समझता हूं आचार्य और विशारद ऐसी कोई क्वालिफिकेशन रखकर वहां पर पढ़ाई होनी चाहिये। वे लड़के आयुर्वेद पढ़ते हैं लेकिन उनको संस्कृत के एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो पढ़ाई की प्रणाली है इसमें परिवर्तन होना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जैसा हमारे मित्र शर्मा जी ने कहा था कि वैद्यों को जो ग्रांट दी जाती है वह ठीक नहीं है, वह नहीं दी जानी चाहिये, मुझे दुख है कि मैं अपने माननीय साथी से सहमत नहीं हूं। हम तो सोचते थे कि हमारे साथी उसके लिये माननीय मंत्री जी से कुछ और धनराशि की मांग करेंगे ताकि इन वैद्यों को कुछ और प्रोत्साहन मिल सके, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। एक बात और कही गयी कि मार्केट में जो दवाइयां बिकती हैं वह रुकना चाहिये। हमारे साथी झारखंडेराय जी ने कहा कि उनका नेशनलाइजेशन होना चाहिये। मैं इससे सहमत नहीं हूं। कारण यह है कि जो अच्छी दवाइयां निकल रही हैं उन से बहुत थोड़े पैसों में गरीबों का फायदा होता है और इस सम्बन्ध में जो खराबियां थीं उनमें बहुत कुछ सुधार सरकार ने किया है। प्रत्येक दवा के कारखाने में केमिस्ट रहता है। हां, बाजार में नकली दवाइयां भी चलती हैं जो सरे

आम बिकती हैं और उनसे बजाय फायदे के नुकसान होता है। हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने इसके लिये इंसपेक्टर्स नियुक्त किये हैं और वह सतर्कता से अपना काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें काफी खराबियां थीं और उनमें बहुत काफी सुधार हुआ है और उसका एक मात्र कारण यह है कि घोड़ा सवार और प्यादे को पहचानता है। अगर सरकार के अन्य मंत्री भी इसी प्रकार सजग हो जाते तो इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि विरोधियों की ओर से न केवल ठाकुर साहब को वरन् सभी को सम्मानित किया जाता।

*श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, आज सदन में जो अनुदान चिकित्सा तथा जन-स्वस्थ्य के सम्बन्ध में पेश किया गया है उसके लिये हमारे मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यह दूसरा वर्ष है कि जब उन्हें इस विभाग के लिये अनुदान मांगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत से भाइयों के विचार मैंने यहां ध्यानपूर्वक सुने और मुझसे पूर्व वक्ता, जो विरोधी पक्ष के थ, उनकी बधाई को सुनने के बाद, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि वे वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि जब से उन्होंने इस विभाग की बागडोर अपने हाथ में ली है तब से शासन की व्यवस्था काफी सुचारु-रूप से चलने लगी है। जहां इस विभाग में शिथिलता थी उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। नर्सेज के लिये जो उन्होंने पेंशन की व्यवस्था की है, उसके लिये मैं विशेष रूप से उनको बधाई देना चाहती हूं। यह एक बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। अभी तक नर्सेज, जो डाक्टर से अधिक बीमारों की सेवा करने में समय और जीवन लगाती थीं, को वृद्धावस्था के लिये जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं था। आज भी उनको ८ घंटे और उससे भी अधिक समय की ड्यूटी देनी पड़ती है। उन बेचारियों की लावारिश की तरह से पोजीशन हो जाती थी, उनकी सेवा का वृद्धावस्था में कोई फल नहीं मिल पाता था। यह माननीय मंत्री जी का पहला और साहसपूर्ण कदम है और इसमें उन्होंने अपनी उदारता का परिचय दिया है। यहां पर मैं उनकी जानकारी के लिये यह भी कहना चाहूंगी कि जहां उन्होंने उनको इतना सहारा दिया है वहां वे उनकी एक और तकलीफ दूर कर दें तो बहुत अच्छा हो। जो नर्सेज के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां हास्टेल की कोई व्यवस्था नहीं है। जब वे बाहर से ट्रेनिंग पाने यहां आती हैं तो विभाग का यह कर्तव्य हो जाता है कि मेडिकल कालेज अथवा दूसरे और कालेजों की भांति वहां उनके हास्टेल की व्यवस्था करें।

हमारे प्रान्त में कुछ दिन पूर्व फ्लू का एपीडेमिक आया था। उसके बाद हमारे इस सदन में ही एक माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था कि समाचार-पत्रों में जो डाक्टरों का निर्णय निकला है कि अगली शरद् ऋतु में उसका भीषण प्रकोप होने वाला है, जिसमें मृत्युओं की संख्या बहुत होगी, उस समय माननीय मंत्री जी ने बड़े साहस और आत्म विश्वास के साथ उत्तर दिया था कि ऐसी कोई दशा होने वाली नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जो आत्मविश्वास और साहस से कार्य किया है इसलिये भगवान ने भी उनका साथ दिया।

अभी कुछ भाइयों ने ऐलोपैथिक के बारे में विचार व्यक्त किये। विगत ६ वर्षों से इस हाउस में कुछ ऐसा ऐटमासफियर रहा है मानों कि यह बजट ऐलोपैथिक चिकित्सा के लिये ही बनाया गया हो जिसमें से आयुर्वेदिक पद्धति के लिये कुछ अंश छीनने का प्रयत्न किया जा रहा हो परन्तु जो चीज मैं आज ६ साल से पाती हूं, आज भी वह चीज उसी प्रकार से दिखायी देती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के ऊपर भी सरकार ने कुछ रुपया खर्च किया है। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय-लखनऊ में चल रहा है लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानकार मुझे दुःख हुआ और वह यह कि वहां पर रुपये का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। हमारे विद्यार्थी किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे, और उनकी परीक्षा को बहुत महत्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती चन्द्रावती]

दिया जाता था लेकिन आज विवाह-शादियों के लिये परीक्षाओं को मुल्तवी कर दिया जाता है, यह इस चिकित्सा पद्धति के विकास के लिये एक शोचनीय विषय है। इसे विभाग को गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये। जब तक कानून के अनुसार, गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं किया जायगा तब तक मैं समझती हूं, रुपये का सदुपयोग नहीं हो सकता। यहां पर एक भाई ने योगासन का भी जिक्र किया कि इसके जरिये से भी बहुत से रोग अच्छे हो सकते हैं। अगर अस्पतालों में इसकी भी उचित रूप से व्यवस्था कर दी जाय तो बहुत लाभ हो सकता है। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हमारे देश में प्राकृतिक चिकित्सा भी अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके लिये हमको अधिक खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था करने की बात है। देहाती क्षेत्रों में बहुत से ऐलोपैथिक सेंटर अलग खोले जायं तो उसमें बहुत से रुपये लगने की सम्भावना है। ऐसी दशा में अगर छोटे-छोटे यूनिट बनाकर इस तरह से कुछ कार्य हो तो इसमें काफी सफलता हो सकती है।

अब यहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि अभी तक मेरे सामने किसी भाई ने भी यह सुझाव नहीं दिया कि किस प्रकार से आरोग्य रहा जा सकता है। इस तरह की शिक्षा होनी चाहिये, इस तरह के अध्ययन का विषय होना चाहिये कि रोग होने से पहले ही मनुष्य अपने को सम्भाल सके और बचपन से लेकर उस पद तक पहुंच सके। अगर बचपन से ही इस तरह की उसे ट्रेनिंग हो कि वह आरोग्य प्रकाश, आरोग्य दर्शन का स्वाध्याय कर सके और वह शिक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल हो तो मैं समझती हूं कि बहुत-सी समस्यायें हल हो सकती हैं।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के लिये प्रायः साढ़े ६ करोड़ रुपये की जो मांग पेश की है, इसके लिये सदन में दोनों ओर से माननीय मंत्री जी पर बधाई की इतनी अधिक बौछार हुई कि मुझे डर है कि कहीं उन्हें बदहजमी के इलाज की आवश्यकता न पड़ जाय।

श्री हुकुम सिंह विसेन---आई एम नाट ओवर लेडेड (I am not over loaded)।

श्री अधिष्ठाता---यहां पर वैद्य भी मौजूद हैं।

श्री देवनारायण भारतीय---इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देने के लिये तो तैयार नहीं हूं। माननीय वीरेन्द्रशाह ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी की मांग का विरोध इसलिये नहीं कर रहा हूं कि वह मांग ज्यादा है, क्योंकि किसी माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि यदि इससे अधिक भी मांग होती तो भी हम उसका समर्थन ही करते। मैं इसका विरोध इसलिये कर रहा हूं कि यह अमीरों के इलाज के लिये मांग है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस मांग में गरीबों के लिये इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये मैं इस मांग का विरोध कर रहा हूं। मैं इस मांग का विरोध इसलिये कर रहा हूं कि यह एक खर्चीले इलाज की व्यवस्था के लिये है। हमारे देश में लाखों गरीब हैं, इसको माननीय मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं कि उनके पास रुपये नहीं हैं, हमारी जनता गरीब है और साथ ही साथ जब वे एक खर्चीले इलाज की व्यवस्था के लिये हमारे सामने बजट में मांग करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे अपने मन में इन दोनों बातों का सामंजस्य कैसे करते हैं। मैं इस मांग का विरोध इसलिये कर रहा हूं कि इस इलाज की व्यवस्था को अपरिपक्व समझता हूं। यह इलाज की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा ५०० वर्ष पुरानी है। आप कह सकते हैं कि १,००० वर्ष पुरानी है, लेकिन अभी तक किसी रोग के इलाज के बारे में एलोपैथी द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था सामने नहीं आयी कि उस रोग के लिये एलोपैथिक इलाज सोचा गया हो और वह आखिर तक ठीक ही निकला हो। हर इलाज के बारे में आगे चलकर जब खोज हुई तो कोई न कोई उसमें कमी पाई गई और उसकी एफीशियेंसी पर सन्देह करके वह इलाज छोड़ दिया गया, इसलिये मैं इसका विरोध करता

हूं। इसलिये भी मैं इसका विरोध करता हूं कि यह एलोपैथिक व्यवस्था योरोप की जलवायु के अनुकूल भले ही हो सकती है लेकिन हमारे यहां की जलवायु के लिये वह अनुकूल नहीं है। इसके अलावा इसका सबसे ज्यादा विरोध मैं इसलिये करता हूं कि बावजूद आज अंग्रेजों को गये १० वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी ऐलोपैथिक व्यवस्था कायम रखने के लिये इस तरह की मांग मंत्री जी द्वारा पेश की गयी है, यह चीज इस बात की द्योतक है कि हमारे मंत्री जी के विचार में हमारी संस्कृति दिवालिया है, जैसे हमारे यहां कोई अपनी चिकित्सा पद्धति है ही नहीं, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

मैं आपके द्वारा श्रीमन्, इस सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण दिलाऊंगा। हमें आशा थी कि जिस तरह से हमने अपने देश से गुलामी के कलंक को दूर करने के लिये अंग्रेजों को विदा किया, अंग्रेजी संस्कृति को और अंग्रेजी वेशभूषा को विदा किया और आज भी हम अंग्रेजी भाषा के खिलाफ आन्दोलन कर रहे हैं तो उसी प्रकार हम इस अंग्रेजी इलाज पद्धति का भी विरोध करने के लिये कटिबद्ध हो जायंगे। आज से तीन-चार सौ वर्ष पहले का हमारा इतिहास बताता है कि यह ऐलोपैथिक पद्धति ही हमारे देश में अंग्रेजी शासन लाने का कारण बनी थी। कहा जाता है कि जहांगीर के दरबार में कोई रोगी हुआ था तो ईस्ट इंडिया कम्पनी के किसी अंग्रेज डाक्टर को इलाज के लिये बुलाया गया और उससे वह अच्छा हो गया। जब जहांगीर ने उससे इनाम के लिये कहा तो उसने देश भर में अंग्रेजों के लिये व्यापार का सुभीता मांगा। तो यह ऐलोपैथिक पद्धति वह कलंक है जिसके कारण हम गुलाम बने और अंग्रेजी राज्य यहां स्थापित हुआ। आज जब हम महात्मा गांधी के पुण्य-प्रताप से अंग्रेजों को यहां से विदा करने में समर्थ हुए हैं तो मुझे दुख है कि स्वतंत्र वातावरण के होते हुए भी, यहां पर मंत्री जी जैसे देश भक्त विराजमान होते हुए भी आज ऐलोपैथी के समर्थन का बजट सदन के सामने पेश किया जा रहा है, इसलिये भी मैं इसका विरोध करता हूं। हमारे देश की जो यूनानी और आयुर्वेदिक पुरानी पद्धतियां हैं, वह चाहें २०० वर्ष से ऐलोपैथी के कारण भले ही दबी रही हों, जिस ऐलोपैथी को अंग्रेज विरासत में छोड़ गये थे परन्तु उससे पहले हमारे यहां इन्हीं दो पद्धतियों से चिकित्सा होती थी। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे यहां सुश्रुत, वाग्भट्ट और चरक जैसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले वह बातें बतलायीं जिनको आजकल कोई काट न सका, संसार के किसी कोने में, कोई भी उनके मत को अपरिपक्व नहीं बता सका। ऐलोपैथी को सभी ने अपरिपक्व और अवैज्ञानिक बताया है। ऐसी परिस्थिति में भी अपनी सर्वमान्य चीजों का आदर न हो और ऐलोपैथी का आदर हो यह हमारा दुर्भाग्य ही है और इस कारण से मैं मंत्री जी को बधाई देने के लिये तैयार नहीं हूं। इस बजट में जो यह साढ़े ६ करोड़ रुपये की मांग है वह बहुत कम है, हमारे प्रान्त की आबादी भी करीब साढ़े ६ करोड़ के ही है।

इस प्रकार आप १ रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से सरकार की मांग आती है। मैं यह कहता हूं कि आपकी इस एलोपैथिक पद्धति से किसी भी प्रकार से प्रान्त के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती। यदि वास्तव में प्रान्त के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो आइये आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपने जो बजट में प्राविजन किया है उसमें १ करोड़ से अधिक आयुर्वेद और यूनानी के लिये नहीं रखा है। जब कि साढ़े पांच करोड़ एलोपैथी के लिये है। प्रान्त में १ करोड़ से ज्यादा आदमी नगरों में नहीं रहते। उनके लिये आप एलोपैथी भले ही रहने दें। और बाकी साढ़े ५ करोड़ रु० आप देहातों में आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के द्वारा खर्च करें। तभी प्रान्त के स्वास्थ्य की रक्षा आप कर सकेंगे। जैसा मंत्री जी ने अनेकों बार सदन में प्रश्नोत्तर के समय कहा है कि उनको डाक्टर नहीं मिल रहे हैं जो देहातों में जाकर काम करें। यदि आप आयुर्वेदिक पद्धति को अपनायेंगे तो हमारे आयुर्वेदिक कालेजों से जो लड़के निकलते हैं वह खुशी से देहातों में काम करेंगे और सस्ती दवाइयों से जनता के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेंगे।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—जनाब चेयरमैन साहब, जहां तक इस बजट का सवाल है यह जाहिर बात है कि यह विभाग ऐसा है कि पूरे प्रदेश के सेहत की जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी के सिर पर आती है। जिस देश और प्रदेश के लोगों की सेहत अच्छी होती है वहीं के लोगों की जिस्मानी, आर्थिक, रूहानी, तालीमी और सामाजिक तरक्की अच्छी हो सकती है इन सब का दारोमदार सेहत पर मुनहसिर है। जो शख्स इस जिम्मेदारी को अपने सिर पर लेता है उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाया करती है। मैं इस सिलसिले में अगर मंत्री जी को मुबारकबाद न दूं तो मेरा खयाल है कि एक किस्म की नाइंसाफी होगी। जब से आपने इस महकमे को संभाला है इससे यह साफ जाहिर है कि, दोनों तरफ के मेम्बरान करीब-करीब मुत्तफिक हैं, इस महकमे में काफी तरक्की हुई है। मंत्री जी ने इस १ साल के अर्से में जिसका दूसरा बजट पास हो रहा है प्राम्प्ट ऐक्शन, जिसे जल्द ऐक्शन कहा जा सकता है, आपने बड़ी खूबी के साथ उस तरफ तवज्जह की। इसी के साथ-साथ शुरू तकरीर में जो आपने आंकड़े पेश किये उनसे मालूम होता है यह महकमा कितनी तरक्की कर रहा है। जिस वक्त मंत्री जी ने आंकड़े पेश किये थे मैं समझता था इस पर ज्यादा वादविवाद नहीं होगा, कुछ थोड़ी सी बातचीत के बाद यह मांग स्वीकार कर ली जायगी। जैसा कि अभी एक मोहतरिम दोस्त ने कहा कि शायद इतनी मुबारकबादों से मंत्री जी को बदहजमी न हो जाय तो यह उन्होंने मुखालफत केवल मुखालफत के लिये की। अगर आपको मुखालफत करनी ही है तो आप ऐसे सुझाव दें जिससे यहां के रहने वालों की तरक्की हो सके, वह सुझाव उनके फायदे के लिये हों। लेकिन महज इख्तलाफ बर बिनाये इख्तलाफत किया जाय, मैं समझता हूं इससे कोई फायदा नहीं होगा। इख्तलाफ राय बर बिनाये इख्तलाफ किया जाय, यह मैं समझता हूं न हमारे लिये मुफीदे मतलब होगा और न प्रदेश के लिये मुफीदे मतलब होगा। इसी के साथ-साथ मैं गुजारिश यह करना चाहता हूं कि इसमें कुछ कमजोरियां भी हो सकती हैं, कमियां भी हो सकती हैं और जबकि हर साल बजट पेश होता है और तरक्की की तरफ हम कदम उठा रहे हैं तो जाहिर है कि जो कमी है वह कल या परसों तक पूरी हो जायगी। आपने देखा होगा कि अभी अस्पतालों में जहां पहले सिविल सर्जन हुआ करते थे अब मेडिकल एक्सपर्ट और सर्जिकल एक्सपर्ट के अलग-अलग विभाग हो गये हैं। इसके अलावा और भी जो जरूरियात हैं उनके लिये उनकी महारत रखने वाले लोग तकर्रुर होते जा रहे हैं। जहां तक अस्पतालों के फैलाव का ताल्लुक है वह भी अठगुने-दस गुने तक बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज मैं यह जरूर गुजारिश करूंगा कि अखलाकी तौर पर जब तक हमारे रोजमर्रा के जीवन में तरक्की नहीं होगी, हममें एहसास नहीं होगा कि हमारा काम अवाम की खिदमत करना है तब तक हम कितनी भी दवाइयां क्यों न रख दें वह बेकार साबित होंगी। जब तक काम करने वाले के दिल में दर्द नहीं होगा, खिदमत करने की भावना नहीं होगी तब तक ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जहां तक यह सवाल है कि हम पैसे को ही कीमत न दें बल्कि खिदमत को ज्यादा कीमत दें यह बिलकुल सही है और यह अगर भावना आ जाय तो बहुत हद तक वह सारी कमियां दूर हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि और सारे सरकारी मुलाजिम हैं उसी तरह से सिविल सर्जन और डाक्टर वगैरह भी अगर २४ घंटे के मुलाजिम समझे जायं और कम से कम ६ घंटे उन्हें देना जरूरी हो तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। आम तौर से देखा गया है कि राउन्ड एक-एक हफ्ते में होता है और बाज मर्तबे एक हफ्ते से भी ज्यादा बीत जाता है। सिविल सर्जन साहब जो हाईली पेड होते हैं अगर वह महज दफ्तर के काम में पूरा वक्त गुजारें तो जाहिर है कि वह तो एक हेडक्लर्क या सुपरिन्टेन्डेन्ट दफ्तर भी कर सकता है, उसके लिये एक तिब का माहिर अपना पूरा वक्त दे यह कहां तक मुनासिब हो सकता है। यह बात जरूर है कि वहां कागज इतने रहते हैं कि अगर उसकी एक मुहर बनवा ली जाय और उसको भी कोई लगाता जाय तब भी दो-तीन घंटे लग जायेंगे लेकिन बावजूद इसके कम से कम दो घंटे सिविल सर्जन दे और रोजमर्रा एक राउन्ड वह लगाये और इसके साथ-साथ वह यह भी देखे कि जो उसके मातहत लोगों ने मरीजों के सिलसिले में सिफारिशें की हैं उसमें उस मरीज को सिविल सर्जन की राय से फायदा उठाने का भी मौका

मिले। यह बहुत कम हो पाता है। इसी के साथ-साथ मेजर आपरेशंस की जहां तक बात है यह देखा जाय कि कितने मेजर आपरेशंस साल भर में किसी सिविल सर्जन ने किये हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जहां तक कि तरक्की का सवाल है उसमें क्वालीफिकेशंस की कैद लगा दी जाय और यह देखा जाय कि कम से कम इस क्वालीफिकेशन का आदमी हो तो सिविल सर्जन हो सकता है। मैंने देखा कि जो बहुत से एल० एम० पी० या और ऐसे डाक्टर हैं जो एम० बी०, बी० एस० नहीं हैं वह भी सिविल सर्जन हो सकते हैं हालांकि उनको महारत नहीं है किसी भी चीज में। उनकी तनख्वाह वगैरह में कोई कमी न हो लेकिन कम से कम यह प्रतिबन्ध जरूर लगाया जाय कि वह सिविल सर्जन या किसी हास्पिटल के इंचार्ज न हो सकें क्योंकि इससे जो क्वालीफाइड आदमी हैं वह एक डिजेक्शन महसूस करते हैं। इसलिये मेरी यह गुजारिश है कि जहां तक तनख्वाहों का सवाल है उसमें कोई रिस्ट्रक्शन न हो लेकिन जहां तक तरक्की का सवाल है उसमें यह रेस्ट्रिक्शन जरूर रहे।

अक्सर यह देखने में आया है कि लोग शहरों में ही रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि देहात में उनको न जाना पड़े। मैं यह समझता हूं कि कम से कम पांच साल या सात साल की मुद्दत जरूर होनी चाहिये कि इतने दिन देहात के शिफाखाने में वह जरूर रहें। हमारे प्रदेश की जनता बल्कि "पूरे" मुल्क की जनता ज्यादातर देहात की है। हम यह खिदमत उसी वक्त कर पायेंगे जब कि हम गांवों में रहने वालों की सही तरह से खिदमत करेंगे। शहरों में बिजली के पंखे के नीचे बैठकर यह नहीं समझ सकते कि देहात में लू में काम करने में कितनी तकलीफ होती है। बरफ का पानी पीने के बाद यह नहीं समझा जा सकता कि वहां कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। हमारे अस्पतालों का रुख देहातों की तरफ होना चाहिये।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि जो हमारा पुराना तरीका है आयुर्वेद और यूनानी वगैरह का, उसमें भी हमें कोशिश करनी चाहिये क्योंकि इनमें आसान नुस्खे होते हैं और हम एक तरीके से विरासतन और नस्ली तौर पर उसके आदी भी हो गये हैं। इसलिये इसमें भी रिसर्च की जाय, खोज की जाय। जहां तक मेरे जिले का सवाल है, मैं गुजारिश करूंगा कि मेरठ से लगाकर सहारनपुर तक एक लम्बा-सा गंगा का खादर है। यह बरसात के मौसम में जिले से बिलकुल कट-आफ हो जाता है और इसमें दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं हो सकता है। मैं जनाबवाला की मारफत वजीर मुअज्जिज से गुजारिश करूंगा कि इस खादर की तरफ तवज्जुह की जाय।

हमारे जिले में दस टाउन एरिया हैं जिनमें कुल चार में ऐलोपैथी के अस्पताल हैं। इसी के साथ-साथ जहां तक उनकी मांग का सवाल है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। जनाबवाला ने जो तवज्जह इस जानिब फरमाई है वह काबिले मुबारकबाद है। इसी तरह से अगर जिम्मेदारियों का अहसास किया जाय तो देश की काफी तरक्की हो सकती है। मैं इन अल्फाज के साथ इस महकमे मुताल्लिका के वजीर को मुबारकबाद पेश करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--माननीय राजनारायण जी, आपका समय केवल दस मिनट ही है, उसी में समाप्त करेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, जन-स्वास्थ्य चिकित्सा सम्बन्धी जो अनुदान माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है उस सम्बन्ध में काफी बातें हो चुकी हैं। कुछ छोटी-मोटी बातें हैं जिनकी ओर मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। पहली बात यह नहीं है कि किस पद्धति का अनुसरण किया जाय बल्कि बात यह है कि जिस पद्धति का अनुसरण किया जाय, वह कायदे से किया जाय, उसमें बेकायदगी न हो। मैं यह देखता हूं कि इस सरकार द्वारा जिस पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है, उसमें नियमों का उल्लंघन

[श्री राजनारायण]

हो रहा है। चाहे मंत्री जी ऐलोपैथी के पुजारी हों, चाहे होम्योपैथी के पुजारी हों, चाहे आयुर्वेद के पुजारी हों और चाहे यूनानी के पुजारी हों लेकिन सवाल यह है कि सरकार की ओर से जो भी चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है, वह हमारे प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रख पाई है या नहीं ? सही माने में लोगों तक दवा पहुंच पा रही है या नहीं ? सही माने में जो शिक्षा-दीक्षा विद्यार्थियों को दी जा रही है, वह ठीक से हो पा रही है या नहीं ?

मैं देखता हूं कि दो साल से चर्चा है। जब से माननीय मंत्री जी के कमलवत् हाथों में यह विभाग आया है, कमलवत् हाथ कहना चाहिए या दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिये, क्योंकि अब तो सभी के कमलवत् हाथ हो गये हैं। जब से यह विभाग इनके हाथ में आया है होम्योपैथी के कालेज का झगड़ा चल रहा है। साल भर से बिचारे विद्यार्थी परेशान हैं। जब इम्तहान का अवसर आता है तब हड़ताल होती है और विद्यार्थी कहते हैं हम इम्तहान नहीं देंगे। क्या यह कोई शोभनीय बात है ? मुझे याद है और १२ दिसम्बर की कार्यवाही की बात है, जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने यहां पर कहा है कि होम्योपैथी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की डिग्री की व्यवस्था की बात जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तब काम रोको प्रस्ताव इस पर नहीं आना चाहिये। आज इन तमाम बातों को लेकर मामला अटका हुआ है। यह विभाग के उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से काम करने का द्योतक है या अनुत्तरदायी तरीके पर काम करने का द्योतक है। इसी के साथ-साथ आज मामला अटका पड़ा हुआ है। सरकार विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाने के लिये चिंतित है। अगर आयुर्वेदिक तरीके से चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिये तो सरकार शुरू से ही स्पष्ट कहे कि आयुर्वेद पढ़ाई जायगी। यह नहीं कि प्रास्पैक्टस कुछ हो, विद्यार्थी किसी दूसरी पद्धति का अध्ययन करने के लिये भर्ती हुये हों और उनके सामने एकाएक कोर्स में तब्दीली कर दी जाय और उसमें दो-दो फैकल्टीज नियुक्त कर दी जायं और इस तरीके से काम करके सारे मामले को गड़बड़ी में डाल दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जितनी समस्यायें इस सरकार के सामने उपस्थित हुईं उनका समाधान आज तक नहीं हो पाया। मेरी समझ में यह नाम में हेरफेर की बात नहीं आई। यह सरकार इस प्रकार बौद्धिक परतंत्रता के चक्कर में चल रही है। एम० बी०, बी० एस० और बी० एम०, बी० एस० के क्या कोर्सेज हैं। ये समकक्ष हैं या नहीं। अगर समकक्ष हैं तो दोनों के विद्यार्थियों को समान सुविधा क्यों न हो और दोनों को समान पढ़ाई का अवसर क्यों न मिले और पढ़ाने के लिये प्रोफेसर्स, टीचर्स की एक-सी व्यवस्था क्यों न हो ? इन तमाम बातों को देखा जाय तो आप देखेंगे कि गड़बड़ ही गड़बड़ चारों तरफ है।

इस व्यवस्था के अन्दर केवल कुछ ऊपर के लोगों के लिये तो हिसाब-किताब है। उसमें भी बी० आई० पीज० आ जाते हैं। चाहे कहीं का अस्पताल ले लीजिये, लखनऊ का हो, काशी का हो या अन्य जिलों के अस्पताल हों, मैंने तो यहां तक देखा है कि ४-४वर्ष तक पंखा ही नहीं लगा है। अगर पंखा लग गया है तो बिजली ही नहीं है। मिर्जापुर जेल में जब मैं ७ दिन के लिये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गया तो वहां मैंने देखा कि चारपाई है तो बिस्तर नहीं और अगर बिस्तर है तो चारपाई नहीं। अगर ७ करोड़ से ऊपर की आबादी के लिये इस सरकार को स्वास्थ्य की फिक्र है तो हुकूमत बतलाये कि जो असहाय हैं, जिनके पास जीवन निर्वाह के लिये साधन नहीं हैं उनके लिये कौन सी व्यवस्था इस हुकूमत ने अब तक की है।

पुस्तिका जब मैंने पढ़ी तो उसमें परिवार नियोजन भी शामिल है। परिवार नियोजन किस प्रकार यह हुकूमत कर रही है इसको सभी जानते हैं और उसकी यहां मैं ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन क्या हरिजन बस्ती में हरिजनों को शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलना चाहिये या देहातों में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिये पाखानों का इन्तजाम नहीं होना चाहिये ? प्रदेश के स्वास्थ्य को देखना है तो हमको देहातों को देखना चाहिये। केवल शहरों में थोड़ी-

सी दवा का इन्तजाम कर देने से सही मानी में स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती। दिन प्रति दिन स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, इसकी ओर सरकार को विशेष रूप से सतर्क होना चाहिये।

आपने एक योजना बना ली। ठीक है, लेकिन उस योजना के मातहत नीचे के लोगों को लेकर चलना चाहिये, ऊपर के लोगों को लेकर चलने से काम नहीं चलेगा। मैं एक किस्सा फैजाबाद जिले में टांडा तहसील का है उसे सुना देना चाहता हूं। एक गरीब घर की स्त्री के कान में फोड़ा हो गया था। वह आकर बनिये की दूकान पर कह रही थी कि हमको काहू का इत्र दे दो। बनिया कहता है क्या करोगी। उसने कहा कि हमारे कान में दर्द है। बनिये ने जो देखा तो पाया कि उसमें भयंकर फोड़ा है। उसने कहा तुम तो मर जाओगी। औरत ने कहा कि डाक्टर साहब को दिखाया था उन्होंने सुई लगाने को कहा है लेकिन ढाई रुपया मांगते हैं। ढाई रुपया उसके पास नहीं था और कान में भयंकर पीड़ से वह परेशान थी और उसके लिये दवा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैं पूछता हूं कि जितने हरिजन हैं, पिछड़े लोग हैं, जो साधनों से वंचित हैं उनके लिये दवाई की क्या व्यवस्था है इस योजना में, यह सरकार जरा हमको बतला दे। केवल अस्पताल के लिये डेढ़ करोड़, सवा करोड़ या एक करोड़ रुपया इमारत पर खर्च कर देने मात्र से जन स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं। सही मानी में जन-स्वास्थ्य सुधारने के लिये परिवार नियोजन की योजना चलानी होगी और वहां पर जो गन्दगी रहती है उसको हटाने की भी योजना चलानी होगी। किसी सम्मानित सदस्य ने कह दिया कि मलेरिया का नाम ही नहीं आया लेकिन मुझे तो जेल में दो बार मलेरिया हुआ।

एक सदस्य—तब यह हालत है।

श्री राजनारायण—अब हम कैसे कहें। हमारे जेल में ५,००० कैदियों में से कोई नहीं बचा जिनको पलू न हो गया हो और कहा जाता है कि रोग ही नहीं। हर माने में यह स्वास्थ्य विभाग नाकामयाब रहा, यह हमारा दृष्टिकोण और ऐनेलेसिस है। अगर उनको ठीक करना है तो लम्बे-चौड़े लेक्चर से काम नहीं होगा, कौन डायरेक्टर रहे और कौन डिप्टी डायरेक्टर रहे, ऐसी तिकड़मबाजी से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि ठीक तरीके से बैठ कर पूरी आबादी और आबादी को जोड़ने के साधन आदि इन तमाम चीजों को देखना होगा। इसलिये हम बराबर कहते हैं, एक हमारे सम्मानित सदस्य ने कह दिया कि पोर्टफोलियोज डिवीजन असंगत हुआ है, कृषि, खाद्य-पदार्थ और स्वास्थ्य ये एक में मिलने चाहिये। लेकिन शिक्षा और पुलिस, इसकी कोई तुक है? स्वास्थ्य और उद्योग, इसकी कोई तुक है? तो जिस तरह से इनके विभाग में खामी है उसी तरह से सारे सरकार के विभाग में खामी है, कहां-कहां तक वर्णन किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—राजा वीरेन्द्रशाह जी। आप कुछ बोलना चाहते हैं?

राजा वीरेन्द्रशाह—यदि आपकी आज्ञा हो तो।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह अजीब सी पद्धति है कि बिना मंत्री जी के जवाब दिये वह दोबारा बोलने लगें। जब तक जवाब नहीं होगा मंत्री जी का तब तक जवाब देने वाला कैसे जवाब देगा? उनको प्रथम भाषण करने दीजिये और फिर ये उसका जवाब दें। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन न जाने क्यों इस बार एक अजीब प्रथा अख्तियार की जा रही है। यह कैसे मालूम हो कि मंत्री जी विरोधी पक्ष के सुझाव कहां तक मानते हैं।

श्री अधिष्ठाता—उनको दो बार बोलने का अधिकार है, लेकिन वह बोलने के लिये खड़े नहीं होना चाहते तो सारी बहस का उत्तर इकट्ठे दे देंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह जी आपके लिये ५ मिनट का समय है।

*राजा वीरेन्द्रशाह—सभापति जी, हमारे मंत्री ने जो हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है उसके लिये मैं बहुत बहुत आभारी हूं और जो जो सुझाव मंत्री जी को यहां भवन में रखे गये, मेरे खयाल से उनको दोहराना समय को बरबाद करना है। हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने काफी अच्छा भाषण और अच्छे सुझाव मंत्री जी के सामने रखे हैं, उनका वह जरूर खयाल करेंगे।

मुझे अन्त में यह कहना है कि यह बात तो जरूर ध्यान में रखने की है कि हमारा देश गरीब है और गरीब होने के नाते जो दवा हम गांव-गांव में देना चाहते हैं वह इस खर्चीली अंग्रेजी दवा से पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आयुर्वेदिक और यूनानी के लिए, जिसके लिए बहुत से मित्रों ने कहा है, हमको उसको मजबूरन कहिये या जो कुछ समझिये, अपने देश के हिसाब से उसको आगे करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसमें जो कर्मचारी और वैद्य लोग या कम्पाउंडर लोग जो रखे गये हैं उनमें भी जीवन आये और काम करने का शौक हो इसके लिये जो उनका ड्यू है वह उनको मिलना चाहिए। जैसे एक कम्पाउंडर को ४० रुपया देते हैं जबकि एक चपरासी भी उससे ज्यादा पाता है और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गयी है। तो इस तरह से कोई भी पद्धति हो, इलाज जब उसका करते हैं तो एक समानता को लाने का प्रयास होना चाहिये जिससे उन लोगों में उत्साह पैदा हो और वह नये-नये आविष्कार करें, यह नहीं कि वह यह समझें कि हमने उनको एक साइड-ईश्यू के तौर पर रख छोड़ा है। हम देखते हैं कि आयुर्वेद के बहुत से लोग होशियार हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है। वह साधन उनको मिलने चाहिये, जैसा कि हमारे मित्रों ने बतलाया। दूसरे उनको और सुविधाएं मिलनी चाहिए। वह किसी के किराये के घर में रहते हैं। छोटी तनख्वाह पाते हैं जो सारी किराये में ही चली जाती है। तो उनके मकान का भी प्रबन्ध होना चाहिये। उनके एलाउन्सेज का भी प्रबन्ध होना चाहिये। इन सब बातों पर भी सरकार ध्यान दे।

इसके अलावा डाक्टरों और वैद्यों का जो तबादला आप रोटीन में करते हैं हर साल या तीन साल में, तो यह नहीं होना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि उनका तबादला तबतक न किया जाय जबतक जनता या वहां के लोग न चाहें। अगर वहां के लोग चाहते हैं तब तो तबादला किया जाय वरना वे सेवा तो कर ही रहे हैं चाहे वहां करें या और कहीं करें। बार-बार तबादला होने का मुझे अपने यहां का अनुभव है कि तीन बार डाक्टर बदल चुके हैं मगर ठीक डाक्टर अभी तक वहां नहीं पहुंचा।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय चेयरमैन महोदय, सबसे पहले मैं अपने तमाम माननीय सदस्यों का जो इस तरफ बैठे हैं और उस तरफ बैठे हैं और खासकर के उस तरफ के बैठने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने—कम से कम मेरे ऊपर यह असर है—कि बड़ी सावधानी के साथ इस ग्रांट के सम्बन्ध में वाद-विवाद किया। हां, इतना कह देना मैं आवश्यक समझता हूं कि कुछ सुझाव तो ऐसे हैं जिनमें कुछ तत्व है और कुछ ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ लाजवाब कहते हैं और कोई बात उस सम्बन्ध में मैं कहना नहीं चाहता।

श्रीमन्, मैं कोई एलोपैथी का वकील नहीं हूं। एलोपैथी ने किसी वजह से जहांगीर के वक्त से या किसी वक्त से हिन्दुस्तान में कदम रखा और वाकई उसके लिये काफी देख रेख रही। विदेशी शासन था, जब किसी पद्धति पर किसी राज्य का हाथ हो जाता है तो वह अवश्य प्रगति करती है। एलोपैथी बढ़ी, उसने तरक्की की। मैं तो अपने को इस योग्य नहीं समझता कि उसको यह कह दूं कि यह अनसाइन्टिफिक है। लोगों में उसका प्रचार हुआ और खासतौर से बड़े लोगों में प्रचार हुआ क्योंकि उस वक्त का जमाना दूसरा था, बड़ों का हाथ ऊंचा था, छोटों का कोई पुरसां हाल नहीं था, बड़ों के पास पैसा था, उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने पैसे से फायदा उठाया । यह वस्तुस्थिति है, इसको कोई छिपा नहीं सकता, नजर-अन्दाज कर नहीं सकता ।

मैं आयुर्वेद पद्धति का पक्षपाती हूं, मैं होम्योपैथी का भी पक्षपाती हूं और नैचरोपैथी का भी पक्षपाती हूं । जितनी पुरानी पद्धतियां हमारे यहां की हैं मैं उनमें विश्वास रखता हूं । उनकी उपेक्षा काफी जमाने तक हुई जिसके फलस्वरूप उनकी पोजीशन जरा नीची हो गयी । इतना मैं स्वीकार करता हूं । लेकिन मैं यह नहीं स्वीकार करता कि आयुर्वेद की दवाइयां बड़ी सस्ती हैं इसलिये उसको उन्नतिशील बनाया जाय । यह इन्फीरियारिटी कम्प्लेक्स जिनमें है वही ऐसा विचार रखते हैं । हमारे आयुर्वेद में भी बहुमूल्य दवायें हैं और ऐसी दवायें हैं जो रोग को जड़-मूल से दूर करती हैं । लिहाजा ऐसा कहना कि वे बड़ी चीप हैं, सही नहीं है । अगर चीपनेस के दृष्टिकोण से हम किसी चीज को अपनाते हैं तो हम उसका पूरा सम्मान नहीं करते और एक मसल है कि "महंगा रोये एक बार और सस्ता रोये बार बार" अभी ऐसी कहावत भी हमारे देहातों में है ।

एक बात यहां पर होम्योपैथिक कालेज और आयुर्वेदिक कालेजों के बारे में कही गयी । मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं । जहां तक आयुर्वेदिक कालेज का सम्बन्ध है । यूनिवर्सिटी ने एक सिलेबस तैयार किया । यह कहना कि बीच में उसको तब्दील कर दिया, यह बिलकुल गलत है, कोई तब्दीली नहीं की गयी । उस सिलेबस के मुताबिक जितना सम्भव हो सकता था उतनी शिक्षा देने की कोशिश की गयी । उसमें हमने कालेज भी बनाया और वह बन रहा है । उसकी पहली स्टोरी बन चुकी है और दूसरी भी तैयार होने के करीब है । लाखों रुपया सर्फ किया गया है । सरकार ने जो नीति निर्धारित की है उसमें आयुर्वेदिक को प्रधान जगह दी गयी है । चूंकि माडर्न साइन्स की, जिसकी तरफ लोगों का बड़ा रुझान है, उसकी भी उसमें कुछ चीजें हैं । तो अगर उनकी जानकारी भी उन विद्यार्थियों को हो जाय तो वे हमारे बहुत अच्छे वैद्य निकलेंगे । इसलिए इस तरह से यह सिस्टम रखा गया है जिससे हमारे फुल फ्लेज्ड वैद्य निकल सकें । जैसा मैंने कहा हमारे कुछ विद्यार्थियों ने हमारे सामने कुछ मांगें रखी हैं कि हमको वैद्य न कहा जाय जब वे पास कर के निकलें । कालेज के नाम से आयुर्वेद का शब्द निकाल दिया जाय । इस कालेज का नाम आयुर्वेद कालेज न रखकर कालेज आफ मेडिसिन एन्शियन्ट एन माडर्न रख दिया जाय । अगर हमको आयुर्वेद का नाम रखना न होता तो फिर हमारे लिये आगरा, लखनऊ और कानपुर के मेडिकल कालेज ही काफी थे जो हमारे सूबे के लिये काफी डाक्टर पैदा कर सकते थे । हम से कहा जाता है कि हमको वैद्य न कहा जाय तो हम यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं.....

श्री राजनारायण—वैद्य किसको कहते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो दूसरों की तकलीफ हरे वही वैद्य है । साधारण जो मांगें हो सकते हैं वही मैंने बतलाये । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी मांगें हैं जिनको मन्जूर करने को कहा जाता है । हमसे कहा जाता है कि एक करोड़ रुपया खर्च किया जाय और फुल फ्लेज्ड मेडिकल कालेज उसको कर दिया जाय । इसका दो दिन के अन्दर निर्णय किया जाय । अगर दो दिन के अन्दर निर्णय नहीं किया जायगा तो हम हड़ताल करेंगे । ऐसी मांगें हैं । क्या इनकी कोई पूर्ति कर सकता है ? जब तक कि आप हमको इस बात की सलाह न दें कि आयुर्वेदिक की तरफ सरकार ने जो कदम उठाया है वह हम पीछे हटा लें, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं । मुझे आशा है कि कोई भी सदस्य हमको इस बात के लिये सलाह नहीं देगा कि हम इन मांगों को पूरा करें । मैंने यह निश्चय कर लिया है ।

जहां तक होम्योपैथिक नेशनल कालेज का सम्बन्ध है कई मांगें पारसाल आई थीं । उसमें होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिये सर्टिफिकेट को बन्द करने की मांग थी । वह हमने बन्द करदी है.

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

लेबोरेटरी को मुकम्मिल करने की मांग पूरी कर दी । इसी तरह से और कई मांगें थीं । एक मांग यह थी कि यह डिग्री कालेज कर दिया जाय और किसी यूनिवर्सिटी से एफीलियेट कर दिया जाय । वह सरकार के हाथ की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार ने इसको होम्योपैथिक बोर्ड और यूनिवर्सिटी के पास भेज दिया है और वहां यह चीज इक्जामिन हो रही है । उसके बाद जो निश्चय होगा उस हिसाब से कार्यवाही की जायगी । डिप्लोमा और डिग्री में अवश्य कुछ फर्क होगा, लेकिन जो कंडीशन्स होंगी वह बीच में तो बदल नहीं सकती । To change the horse in the mid of the street बड़ा कठिन है । बीच में हम कैसे बदल सकते हैं ? जो विद्यार्थी हैं वह डिप्लोमा के इम्तहान में बैठें और उसके पास करने के बाद जो सिलेबस होगा डिग्री का अगर वह उसको पास कर लेंगे, तो वह दी जायगी । हम इस बात को देखेंगे । इस पर विचार किया जायगा लेकिन तरीके से, हड़ताल से विचार नहीं किया जा सकता । यह जो मांग है कि उनको डिग्री दी जाय इम्तहान दिये बगैर, मैं समझता हूं कि इसमें उन बच्चों का नुकसान हो अगर वह इम्तहान नहीं देंगे तो मुझे दुःख होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा कर नुकसान के भागी होने वाले हैं । मैं करूं क्या, जबानी ही कह सकता हूं । तो मेरी प्रार्थना है कि उन बच्चों को सही सलाह दे कर उनसे कहिये कि कालेज अटेंड करें, इम्तहान दें और आगे चलें ।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि यह तीतर-बटेर का मामला है । इस एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सब स्कीमों को हम रिओरियेन्टेट करना चाहते हैं । दवे कमेटी की रिपोर्ट थी और अभी बंगलौर में भी नेशनल कौंसिल की बैठक में यह प्रश्न आया था । उन्होंने सब स्टेटों को स्वतंत्र कर दिया है कि जहां पर जैसी आवश्यकता हो और जो उचित हो, वह उस सिस्टम को एडाप्ट करें । तो यह कुल चीजें विचाराधीन हैं और यह ऐसा आसान काम नहीं है कि हम जल्दी में कोई राय कायम कर लें और फिर बाद में हम उसमें कोई तब्दीली करें । उसमें लड़कों का भी नुकसान होगा और आपका भी । लिहाजा वह सब विचाराधीन है और जब हम कुछ निश्चित कर लेंगे तो उस के हिसाब से अपना सिलेबस रखेंगे और उस हिसाब से पढ़ाई शुरू करेंगे । जो मौजूदा सिलेबस ले कर पढ़ रहे हैं उनको उसी हिसाब से इम्तहान देना चाहिये ।

अभी हमारे देवनारायण जी ने कहा कि यह बजट अमीरों का बजट है, गरीबों का नहीं । यह एलोपैथी का बजट है और किसी पद्धति का नहीं । वह स्वतंत्र हैं, कह सकते हैं । इस बजट में हम ने दिखाया है कि देहातों में १३६९ डिस्पेंसरियां खोलने का हमने प्रबन्ध किया है । क्या देहातों में गरीब नहीं रहते हैं ? वह शाहजहांपुर या लखनऊ में नहीं रहते, देहातों में ही रहते हैं जहां हमने इन डिस्पेंसरियों को खोलने का इंतजाम किया है । प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स एन० ई० एस० ब्लाक्स में खुलने जा रहे हैं । उसमें एक हास्पिटल होगा, चार जच्चा-बच्चा केन्द्र होंगे, एक सेनीटरी इंस्पेक्टर होगा और एक हेल्थ विजिटर होगा । यह सब भी देहातों में ही खुलने की व्यवस्था है । तो उनकी बात मेरी समझ में नहीं आयी । ९० लाख रुपया इसके अलावा मलेरिया की रोकथाम के लिये, जो गड्ढे बताये गये हैं देहातों में, जहां मलेरिया के मच्छरों की ब्रीडिंग होती है, उनको पाटने के लिये और ठीक करने के लिये रखे गये हैं, हम को तो यह बहुत बड़ी रकम मालूम होती है । मलेरिया के काम देहात में ही ज्यादा है । हजरतगंज या दारुलशफा में नहीं है । अगर दारुलशफा में होता तो ये शकलें यहां दिखाई नहीं पड़तीं । हमें फेमिली प्लानिंग के सेंटर भी खोलने हैं और हम एन० ई० एस० ब्लाक्स के सेंटर भी गांव में खोलेंगे । हम लेप्रसी के भी यूनिट्स खोलने जा रहे हैं । हमारे यहां बदकिस्मती से यह रोग बढ़ता नजर आता है । हम मानते हैं कि जो उपाय हम कर रहे हैं वे भले ही नाकाफी हों लेकिन माननीय सदस्यों को

देखना है कि उस तरफ हमारी तवज्जह है या नहीं। यदि हमारी तवज्जह नहीं है तो हम अपने कर्तव्य पालन में नाकामयाब रहे हैं। एक मित्र ने कहा कि यह रकम बहुत कम है। हम तस्लीम करते हैं कि कम है लेकिन फिर वह क्यों १ रुपये की कटौती करके इसे और कम करना चाहते हैं और राजा-महाराजा के बेटे १ रुपये मांगने या काटने लगें तब तो और भी ताज्जुब की बात है।

हम चाहते हैं कि हम आयुर्वेद को आगे बढ़ावें। मैं अपनी कमजोरी भी कहूंगा। जब जगम्मनपुर का किला गिर जाता है, बड़ा पुराना किला, तो उसकी तामीर अजसरेनौ धीरे-धीरे ही तो होगी। शुरूआत हमेशा छोटे से होती है। हर शख्स बच्चे की हालत में, १० पौंड या १२ पौंड का होता है। अगर इतना बड़ा पैदा होने लगे तो मालूम नहीं क्या हो।

आयुर्वेद और होमियोपैथी के बारे में सरकार ने कदम उठाये। लेकिन कदम उठाते ही रास्ते में रोड़े और अड़ंगे लगाये गये। मैं तो सब कुछ करदूं लेकिन पढ़ने वाले भी तो मुझे मिलें। हजारों वर्ष के गुलामी के जमाने में आयुर्वेद की उपेक्षा हुई है लेकिन इसने अपना अस्तित्व कायम रखा, इसकी जड़ पाताल में थी। यह ऐसी परिपक्व चीज है कि इसे मिटाया नहीं जा सका। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि अब हमको खतरा है और उन लोगों से है जो इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि आयुर्वेद को प्रोत्साहन देना चाहिये। लेकिन प्रोत्साहन जबानी यहां लैक्चर देने से नहीं होगा। भगवान न करे आप बीमार पड़ें। लेकिन जब पड़ें तो बलरामपुर अस्पताल न जाइये, आयुर्वेद के अस्पताल में जाइये मैं देखता हूं कि जितने लोग आयुर्वेद का नारा लगाते हैं, सब बलरामपुर जाते हैं। जब भी मुझे अस्पताल जाने का मौका मिला बहुत से एम० एल० एज० वहां मौजूद मिले। झारखंडेराय जी भी उनमें से एक हैं। जब भी देखा बेंच पर लेटे हैं। आयुर्वेदिक अस्पताल में भी इनडोर बेड्स हैं। लेकिन एम० एल० ए० साहबान बलरामपुर अस्पताल जाते हैं और मंत्री भी जाते हैं, मैं कहता हूं मैं भी जाता हूं। इस तरह से हमें इसको प्रोत्साहन देना होगा तभी काम चल सकता है। क्या वह बेचारे गरीबों के लिये ही है। देहात में आयुर्वेद की डिसपेंसरीज हैं और खोली जा रही हैं यही इस बात का सबूत है कि हम आयुर्वेद और यूनानी दवाओं को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। होमियोपैथी के प्राईवेट प्रेक्टिस करने वाले लोगों को भी हम कुछ देते हैं। तो सबका उत्थान करने के लिये सरकार देती है। इसलिये सरकार की बोनाफाइडीज के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। बहुत से माननीय सदस्यों ने हमारे काम को एप्रीशियेट भी किया है लेकिन कुछ ऐसे साहबान भी हैं जो एप्रीशियेट करना ही नहीं जानते। मैं इस बात का मुस्तहक नहीं हूं कि आप मेरी तरफदारी करें।

और भी बहुत सी बातें कही गयीं। तमाम- माइनर डिटेल्स में जाना तो संभव नहीं होगा। हमारे दोस्त राजनारायण जी ने कहा कि स्वास्थ्य गिर रहा है। अगर कोई मरीज कहे कि स्वास्थ्य गिर रहा है तो उस पर यकीन भी किया जा सकता है। लेकिन आप का भी स्वास्थ्य गिर रहा है और मेरा भी गिर रहा है, केवल यही दो आदमी हैं, जिनका स्वास्थ्य गिर रहा है। ऐसी बात कहिये जो सुनने में भी अच्छी लगे और देखने में भी माकूल मालूम हो। इसी प्रकार से जब मदन पांडेय जी और रऊफ लारी साहब खड़े होते हैं तो कहते हैं कि देवरिया में भुखमरी है, यह है भुखमरी का नमूना। ऐसे मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। यह वाकया है कि मलेरिया रोग बिलकुल कम होता जा रहा है और जो बाकी है उसको हम इस प्रोग्राम के द्वारा खत्म करने जा रहे हैं। आप आशीर्वाद दें कि हम अपने इस प्रोग्राम में सफल हों। इसमें तो कोई दाम खर्च नहीं होता।

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

फेमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में भी बात कही गयी । हम उसकी यूनिट देहात में भी खोलने जा रहे हैं । शहरों में तो पढ़े लिखे हैं ही, वे खुद ही एकोनामिक प्रेशर महसूस करते हैं, लेकिन हमारे गांव के आदमी एकोनामिक समस्या को समझते ही नहीं, बस इतना ही समझते हैं कि वे दुखी हैं, उसमें हमारी ओर से डाक्टर भी रहेंगे और लेडी डाक्टर भी रहेंगी । डाक्टर मर्दों को समझायेंगे और लेडी डाक्टर स्त्रियों को समझायेंगी, क्योंकि मेरा ऐसा खयाल है कि "मैन इज दी वर्स्ट इन दिस रेसपेक्ट ।" लेकिन हमें हताश नहीं होना है बल्कि प्रयास करना है । चीज बिलकुल नयी है और कानून के जरिये से रायज नहीं की जा सकती । हमारे ऊपर न जाने कितने इल्जाम लगेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ा सख्त होगा ।

एक सदस्य--इस बुढ़ापे में भी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--आजमा लीजिये । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मुंह से यह बात शोभा नहीं देती, मैं इस बात को महसूस करता हूं क्योंकि जितने नौजवान यहां बैठे हैं, वे तड़पने लगें कि इस बुड्ढे ने यह बात कैसे छेड़ दी । मेरे मुंह से यह बात शोभा देती नहीं लेकिन अगर आप मुझे स्वास्थ्य मंत्री न बनाये होते तो मैं अपनी जबान भी नहीं खोलता । और न कुछ करूं तो राज नारायण जी कह सकते हैं कि हुकुम सिंह कुछ करता नहीं, बिलकुल निकम्मा आदमी है । मैं आखिर में यही कहूंगा कि हम अपने को धीरे-धीरे आदी करें । अगर आप नौजवान हैं, तो आपको कोई तजुर्बा नहीं है, जितने बुड्ढे बैठे हैं, उनको तजुर्बा है, एक-एक फौज पैदा कर चुके हैं । उनके ऊपर इतना इकनामिक प्रेसर है कि वे सब के लिये खाने का इन्तजाम नहीं कर पाते हैं, सबों के लिये कपड़े का इन्तजाम नहीं कर पाते हैं, सब के लिये पढ़ने का इन्तजाम नहीं कर पाते हैं, सब के लिये दवा-दारू का इन्तजाम नहीं कर पाते हैं, तो उनके तजुर्बे से फायदा उठाना है । नहीं तो मैं कहता हूं कि जिस तरह से हम आज रो रहे हैं, वैसे ही आप भी रोयेंगे, इसमें जरा भी शक व शुबहा नहीं है ।

एक सदस्य--कनफेस कीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं कनफेस करता हूं, मैं भी उसके लिये रिस्पांसिबिल हूं । तो मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि आपको इस तरफ कदम बढ़ाना है । देहली में जब हेल्थ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भी यह सवाल रखा गया था कि फैमिली प्लानिंग के सिलसिले में ज्यादा आगे कदम नहीं बढ़ा । तो मैं जिस ढंग से बात करता हूं, देहात का आदमी हूं, ऐंच पेंच जानता नहीं, मैंने यह कह दिया कि जब तक मिनिस्टर्स, एम० पीज० और एम० एल० एज० उदाहरण नहीं सेट-अप करेंगे, देहात के लोग उसको सेटअप नहीं कर सकेंगे । महज लेक्चर देने से यह बात नहीं होगी । माननीय सदस्य गांव के रहने वाले हैं, और उनकी मान-मर्यादा है, जनता उनको अपना लीडर समझती है, मेरा यह नम्र निवेदन है कि हमारे माननीय सदस्य गांव में जाकर, जिस क्षेत्र से वह नुमाइन्दा होकर आये हैं वहां के लोगों को ऐसी शिक्षा दें, उनको इस तरफ रागिब करें। सेल्फ रेस्ट्रेंट से भी ज्यादा काम हो सकता है । यह बहुत सख्त काम है, अगर इस काम में हम नाकामयाब रहे तो इसकी जिम्मेदारी सब के ऊपर रहेगी, तनहा हमारे ऊपर नहीं ।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यह विभाग ऐसा है जिसका ताल्लुक हर आदमी से जो इस प्रान्त में रहता है, किसी न किसी शक्ल में, है मैं भाई गोविन्दसहाय जी से बिलकुल सहमत हूं कि सारी चीजें पढ़ गये, बी० ए०, एम० ए० पास कर लिया लेकिन डायटिक्स के ऊपर कोई किताब कोर्स में पढ़ने को नहीं मिली, जो जीवन के लिये एक निहायत जरूरी चीज है । उसकी शिक्षा के लिये शासन की तरफ से भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । होता भी क्यों, वह तो विदेशी हुकूमत थी, जो चाहती थी कि यहां के लोग कमजोर बने रहें जिससे उनको वह हमेशा गुलाम बनाये रख सके । वह कभी नहीं चाहती थी कि भारतवर्ष के लिये बलवान, पुष्ट और नौजवान

हों । वे तो अंग्रेजी वातावरण में रहते थे, इस तरफ उनका कभी ध्यान ही नहीं गया । इसलिये मैं तो अर्ज करता हूं कि एजुकेशन विभाग और खासतौर से मैं डाक्टरों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस काम को अपने हाथ में लें और जो उनके सम्पर्क में आवें उनको इस सम्बन्ध में कुछ शिक्षा दें कि क्या चीज उनके स्वास्थ्य के लिये मुफीद होगी और क्या चीज मुजिर होगी और क्या-क्या चीज खाना जरूरी है । मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गुरबत के आलम में बहुत से लोगों को मयस्सर नहीं होती, लेकिन अगर उनको जानकारी करा देंगे तो उनकी गुरबत दूर होगी, दूर होगी, दूर होगी । वह जानकारी फौरन नहीं करायी जा सकती लिहाजा यह तरीका अख्तियार करना चाहिये कि उनकी जानकारी में इस तरह की वृद्धि हो ।

एक बात यह भी कही गयी कि डाक्टरों में एक दूसरे प्रकार की सेवा भाव की अप्रोच होनी चाहिये । मैं इससे अक्षरश: सहमत हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारे राज्य के सभी डाक्टर जो इस पेशे से ताल्लुक रखते हैं उनमें सहृदयता की भावना बढ़ेगी और जब भी कोई पीड़ित उन के पास आयें तो वह ऐसा समझें कि जैसे उनका लड़का ही तकलीफ में है या वह स्वयं ही तकलीफ में हैं जब इस भावना से उनका मरीज के साथ व्यवहार होगा तो मैं समझता हूं उसके मर्ज में स्वयं ही बड़ी भारी कमी हो जायगी । मुझे तो हंसता हुआ डाक्टर पसन्द है, रोता हुआ नहीं, उसकी तो शक्ल से ही मर्ज बढ़ जाता है और हंसते हुए डाक्टर को देखकर ही मर्ज कम हो जाता है, यह ह्यूमेन साइकालोजी है । मैं चाहता हूं कि हमारे डाक्टर इस तरफ तवज्जह करें । अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । आखिर में मैं बगैर किसी एक्सेप्शन के इस तरफ और उस तरफ के सभी माननीय सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा के अन्तर्गत १ रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा--लेखा शीर्षक: ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत ४,०६,११,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--जन-स्वास्थ्य, लेखा शीर्षक: ३९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत २,४९,११,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
१० मार्च, १९५८ ।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३० पर)

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तथा मुहम्मदाबाद तहसीलों में सन् १९४७ से १९५७ तक घरेलू उद्योग हेतु दिये धन व ऋण की सूची

क्रम-संख्या	सहायता पाने वाले का नाम	उद्योग का नाम	धनराशि ऋण	धनराशि अनुदान
१	२	३	४	५
	१९४८–४९		रु०	रु०
१	श्री विन्दबासनी प्रसाद, ग्राम जगदीशपुर, पत्रालय सवाली, तहसील मोहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़ ।	आयल प्रेसिंग	१,०००	७५०
	१९४९–५०			
२	श्री इन्द्रसेन सिंह, ग्राम भबोवा, रोनापुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ ..	घनी व बैल ..		१,५००
३	श्री विश्वनाथ सिंह, ग्राम तुलसीपुर जहांगंज, तहसील मोहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़	बर्धा, घनी व बैलों के क्रय-हेतु ..		७५०
४	श्री सन्तू तेजी, ग्राम भोटोपारा, पत्रालय कप्तानगंज, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़	आयल प्रेसिंग ..		५००
५	श्री रामानुज गिरि, ग्राम पदरी, पत्रालय खाजा, तहसील मोहम्मदाबाद, जिला-आजमगढ़	आयल प्रेसिंग ..		७५०
६	श्री उमाशंकर मिश्र, ग्राम भवानपुर, पत्रालय तिरही, तहसील मोहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़	आयल प्रेसिंग ..		७५०
	योग ..		१,०००	५,०००

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३२ पर)

दूसरी पंचवर्षीय योजना-काल में जिला बुलन्दशहर में चर्म उद्योग, पाटरी उद्योग, चूड़ी उद्योग, हथकरघा उद्योग तथा अम्बर चर्खा उद्योग के विकास का आयोजन है। इसके अलावा ट्यूशनल क्लासेज योजना, इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव योजना, इन्टेन्सिव डेवलपमेंट योजना तथा पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत भी विभिन्न उद्योगों के केन्द्र खोले जाने तथा विकास करने का आयोजन है।

गृह उद्योगों के विकास के लिये कितना धन अनुदान के रूप में दिया जायगा यह निश्चित नहीं है, क्योंकि अनुदान प्रार्थना-पत्रों की जांच के बाद ही दिया जाता है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १०६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३४)

सरकारी धन से दिये गये ऋण की सूची

क्रम-संख्या	कम्पनी के नाम	उद्योग का विवरण	स्वीकृत धनराशि
१	२	३	४
१	सर्व श्री स्पूल कोआपरेटिव कम्पनी (इन्डिया), कानपुर	वस्त्र	४०,०००
२	सर्वश्री नेशनल इम्पोरियम, रुड़की	ताला	४०,०००
३	सर्वश्री सलूजा इन्डस्ट्रीज, कानपुर	मशीन तथा पुर्जा	२०,०००
४	सर्वश्री भारत धर्मशाला, आगरा	कपड़ा तथा जूता	१५,०००
५	सर्वश्री आईडियल काटेज इन्डस्ट्रीज, कानपुर	मशीन तथा पुर्जा	३०,०००
६	सर्वश्री सेलीटेव वर्क्स, कानपुर	रासायनिक पदार्थ	३०,०००
७	सर्वश्री पर्ल्स एन्ड बीड्स (इन्डिया), अलीगढ़	मोती	३०,०००
८	सर्वश्री धिंग्रा इन्जीयरिंग वर्क्स, कानपुर	रेलवे ट्रैक तथा सामान	२५,०००
९	सर्वश्री इन्डिया पावर प्रोडक्ट्स, अलीगढ़	तार बनाना	५०,०००
१०	सर्वश्री इम्पीरियल एलेक्ट्रिक ट्रेडिंग कम्पनी, अलीगढ़ ।	बिजली का सामान	२५,०००
११	सर्वश्री माडर्न इन्जीनियरिंग कम्पनी, कानपुर	बिजली का सामान	३०,०००
१२	सर्वश्री ईस्ट इन्डिया इन्जीनियरिंग, कारपोरेशन, कानपुर	रेलवे ट्रैक तथा सामान	४०,०००
१३	सर्वश्री वी० एस० एन्ड सन्स, कानपुर	मशीन तथा पुर्जे	२५,०००
१४	सवश्री प्रीमियर इनेमल वर्क्स, अलीगढ़	इनेमल	३०,०००
१५	सर्वश्री इम्पायर इन्जीनियरिंग वर्क्स, कानपुर	मशीन तथा पुर्जे	२०,०००
१६	सर्वश्री अनिल मेटल वर्क्स, कानपुर	तार बनाना	१२,०००
१७	संसार आयल मिल्स एन्ड ग्लास वर्क्स, शाहगंज, जौनपुर	शीशा	३०,०००
१८	सर्वश्री हिन्दुस्तान इन्डस्ट्रीज एन्ड मशीन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, वाराणसी	मशीन तथा पुर्जे	४०,०००
१९	सर्वश्री एसोसियेटेड केमिकल इन्डस्ट्रीज, कानपुर	रासायनिक पदार्थ	२५,०००

क्रम-संख्या	कम्पनी के नाम	उद्योग का विवरण	स्वीकृत धनराशि
१	२	३	४
२०	सर्वश्री पायनियर इन्डस्ट्रीज, इलाहाबाद १९५७–५८	साइकिल के पुर्जे	३०,०००
२१	सर्वश्री आगरा रबर इन्डस्ट्रीज , आगरा	रबर	२०,०००
२२	सर्वश्री प्रतापसिंह राजेन्द्रसिंह, गोरखपुर	धुलाई तथा ब्लीचिंग	४०,०००
२३	सर्वश्री डारनी शुगर वर्क्स, बिलारी, मुरादाबाद	चीनी	२५,०००
२४	सर्वश्री कार्माशियल टेनरी, कानपुर	चमड़ा	३०,०००
२५	सर्वश्री महाराज नारायण संत कुमार, फर्रुखाबाद	छपाई	२५,०००
२६	सर्वश्री बी० डब्लू लारिस एन्ड कम्पनी, लखनऊ	छपाई तथा लेखन सामग्री	५०,०००
२७	सर्वश्री गौड़ ट्वाय फैक्ट्री, कानपुर	खिलौने	३०,०००
२८	सर्वश्री सेन्ट्रल ग्रेनाइट क्रशिंग कम्पनी, झांसी	स्टोन ग्रिट	२०,०००
२९	सर्वश्री गोयल गुड़ एन्ड शुगर इन्डस्ट्रीज, आगरा	चीनी	२०,०००
३०	सर्वश्री नूर मोहम्मद खां एन्ड सन्स, कानपुर	छाता की कड़ी	५०,०००
३१	सर्वश्री यासीन ब्रदर्स, अमरोहा, मुरादाबाद	चीनी	२५,०००
३२	सर्वश्री चैम्पियन साइकिल इन्डस्ट्रीज, नैनी, इलाहाबाद	साइकिल	४०,०००
३३	सर्वश्री अयोध्या आयरन फाउन्ड्री,इलाहाबाद	कल तथा पुर्जे	४०,०००
३४	सर्वश्री बाबूलाल हरिशंकर, एटा	गिलेट के आभूषण	२०,०००
३५	सर्वश्री इन्डस्ट्रियल क्रिस्टल शुगर फैक्ट्री, फर्रुखाबाद	चीनी	५०,०००
३६	सर्वश्री श्यामलाल राममूर्ति लाल, उझानी, बदायूं	दाल, चावल तथा तेल मिल	२०,०००
३७	सर्वश्री सिंघासिनी इन्जीनियरिंग वर्क्स, कानपुर	कल तथा पुर्जे	२०,०००
३८	सर्वश्री राधेश्याम फैक्ट्री, मुजफ्फरनगर	चीनी	५०,०००
३९	सर्वश्री इन्डियन इन्जीनियरिंग कम्पनी, वाराणसी	रेलवे ट्रैक तथा सामान	३०,०००
४०	सर्वश्री यूनाइटेड केमिकल मेटल वर्क्स, कानपुर	ट्रंक बनाना	३०,०००

क्रम-संख्या	कम्पनी के नाम	उद्योग का विवरण	स्वीकृत धनराशि
१	२	३	४
४१	सर्वश्री यूनीवर्सल स्ट्रक्चरल कारपोरेशन, कानपुर	लकड़ी का सामान	५०,०००
४२	सर्वश्री प्रिंस टेक्सटाइल स्टोर, कानपुर	कल तथा पुर्जे	१५,०००
४३	सर्वश्री हिन्दुस्तान बोन मिल्स, मुरादाबाद	हड्डी तथा खाद	५०,०००
४४	सर्वश्री आर० के० जिलेटिल एन्ड बोन मिल्स, हापुड़, मेरठ	हड्डी तथा खाद	५०,०००
४५	सर्वश्री बुधसिंह धीमन कम्पनी, रुड़की, सहारनपुर	गणित विषयक यंत्र	१८,०००
४६	सर्वश्री हालीम ब्रदर्स, इलाहाबाद	ट्रंक बनाना	३०,०००
४७	सर्वश्री क्रिस्टल शुगर वर्क्स, बिसौली, बदायूं	चीनी	४०,०००
४८	सर्वश्री बी० एल० गुप्त आइरन टूल फैक्टरी, कानपुर	कल तथा पुर्जे	५०,०००
४९	सर्वश्री पी० के० इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, कानपुर	कल तथा पुर्जे	३०,०००
५०	सर्वश्री नन्दन लाल एन्ड सन्स, झांसी	साइकिल	२५,०००
५१	सर्वश्री स्टेन्डर्ड एन्ड कम्पनी, कानपुर	साइकिल	४०,०००
५२	सर्वश्री कैलाश ब्रदर्स, कानपुर	कटन वेस्ट	५०,०००
		योग ..	१६,७०,०००

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३५ पर)

देवरिया जिले में १९५२ से १९५६ तक कर्घा उद्योग हेतु दी गयी धनराशि से हुई प्रगति का विवरण

"ऋण तथा अनुदान योजना" के अन्तर्गत ५,००० रुपये की धनराशि पाने वाले श्री राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता ने यह कार्य आरम्भ नहीं किया।

"हस्तकर्घा विकास योजना" के अन्तर्गत देवरिया जिले की जिन समितियों को धनराशि दी गयी उनके उत्पादन व बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित विवरण से विदित है :

	१९५४–५५		१९५५–५६		१९५६–५७	
	उत्पादन (गजों में)	बिक्री (गजों में)	उत्पादन (गजों में)	बिक्री (गजों में)	उत्पादन (गजों में)	बिक्री (गजों में)
१–डिस्ट्रिक्ट बीवर्स कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, देवरिया	९,९०७	८,६०५	३२,७१६	३१,४०६	३४,६७७	३२,६६९
२–गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, मोमिनाबाद	..	..	४०,७०८	४५,६०८	४६,९७८	४५,४१८
३–गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, सेवानजी पट्टी	..	..	..	..	८,४६७	९,६२८,

डिस्ट्रिक्ट बीवर्स कोआपरेटिव फेडरेशन, देवरिया तथा गृह उद्योग सहकारी समिति सेवानजी पट्टी ने सरकार द्वारा दिये गये अनुदान से देवरिया, कसिया और पडरौना में बिक्री केन्द्र खोले हैं जिनकी बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३६ पर)

तालिका (अ)

Serial number क्रम संख्या	Name of the Factory फैक्ट्री का नाम	Date of start चालू होने की तारीख		Date of start		Total quantity of cane crushed in lac. mds. कुल कश किया गन्ना लाख मनों में		Quantity of cane crushed (lac. mds.) कश किये गये गन्ने की मात्रा लाख मनों में	
		1954-55	1955-56	1954-55 Continued after May 1, 1955 १ मई, १९५५ के बाद जारी रही	1955-56 Continued after May 8, 1956 ८ मई, १९५६ के बाद जारी रही	1954-55 Continued after May 1, 1955 १ मई, १९५५ के बाद जारी रही	1955-56 Continued after May 8, 1956 ८ मई, १९५६ के बाद जारी रही	From May to the close (during season 1954-55)	From May 8 to the close (during season 1955-56)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	West U. P.								
1	Iqbalpur इकबालपुर ..	8.2.55	4.12.55	28.5.55	11.7.56	17·353	50.606	3·62	9·38
2	Doiwala दोइवाला ..	23.12.54	12.12.55	5.6.56	2.7.56	17·598	20·654	2·73	4·97
3	Deoband देवबन्द ..	12.11.54	10.1.55	23.6.55	13.7.56	55·674	59·444	11·07	13·32
4	Laksar लक्सर ..	26.11.54	2.12.55	18.6.55	22.7.56	54·233	60·718	11·65	17·40
5	Saharanpur सहारनपुर..	5.11.54	1.12.55	29.5.55	18.7.56	53·770	59·672	7·40	16·58
6	Mansurpur मंसूरपुर ..	15.11.54	22.11.55	30.5.55	5.7.56	62·228	84·701	8·51	17·03
7	Khatauli खतौली ..	12.11.54	17.11.55	28.5.55	29.6.56	57.494	61·335	6·95	12·45
8	Rohana रोहाना ..	12.11.54	17.11.55	9.6.55	8·7.56	60·366	63·676	10·27	13·06

9	Shamli ..	शामली ..	27.11.54	17.11.55	19.6.55	24.5.56	64·857	68·592	16·03	4·55
10	Sakhoti ..	सखोती ..	20.11.54	2.12.55	8.6.55	13.6.56	34·358	35·134	5·81	5·54
11	Daurala	दौराला ..	30.10.54	21.11.55	8.6.55	11.6.56	63·370	52·698	8·48	7·83
12	Jaswant ..	जसवन्त ..	27.10.54	31.10.55	31.5.55	21.6.56	58·069	60·770	7·38	9·34
13	Mohiuddinpur	मोहिउद्दीनपुर	13.11.54	8.12.55	31.5.55	19.6.56	42·715	37·246	5·38	7·11
14	Begamabad	बेगमाबाद ..	4.11.54	20.11.55	22.5.55	25.6.56	41·730	43·052	3·54	8·04
15	Simbhaoli	सिमभौली ..	24.11.54	30.11.55	1.6.55	25.6.56	47·798	52·484	7·23	9·96
16	Mawana	मवाना ..	28.10.54	28.12.55	9.6.55	1.7.56	46·966	52·350	7·18	10·75
17	Bulandshahr	बुलन्दशहर ..	28.1.55	24.11.55	14.5.55	19.5.56	15·153	37·326	1·67	0·99
18	Kashipur	काशीपुर ..	3.12.54	20.11.55	26.5.55	30.6.56	31·961	40·434	3·42	7·93
19	Neoli ..	निओली ..	..	4.12.55	..	11.6.56	..	45·750	..	6·34
20	Amroha	अमरोहा ..	15.11.54	24.11.55	12.5.55	7.7.56	53·428	73·294	2·47	16·10
21	Bilari ..	बिलारी ..	15.11.54	23.11.55	5.5.55	2.7.56	48·670	57·071	0·86	12·92
22	Baheri ..	बहेड़ी ..	22.11.54	4.12.55	17.5.55	3.7.56	49·543	56·844	3·88	13·94
23	Bareilly ..	बरेली ..	..	19.11.55	..	18.6.56	..	49·548	..	8·02
24	Pilibhit	पीलीभीत ..	30.11.54	4.12.55	25.5.55	12.6.56	70·084	70·652	7·70	10·37
25	Dhampur	धामपुर ..	23.11.54	22.11.55	8.6.55	12.7.56	45·652	49·646	7·52	11·98
26	Seohara ..	शिवहारा ..	16.11.54	17.11.55	26.5.55	15.7.56	95·527	121·547	9·93	29·17
27	Bijnor ..	बिजनौर ..	13.11.54	14.11.55	10.6.55	12.7.56	55·519	62·770	9·63	15·05
28	Rosa ..	रोजा ..	..	5.12.55	..	23.6.56	..	35·154	..	6·11
29	Buland	बुलन्द ..	15.11.54	1.12.55	11.5.55	2.7.56	35·073	55·227	2·28	12·30
30	Raza ..	रजा ..	25.12.54	1.12.55	20.5.55	22.6.56	35·806	55·334	4·42	10·28
31	Hardoi	हरदोई ..	..	17.11.55	..	2.6.56	..	66·424	..	7·23
32	Hargon	हरगांव ..	..	18.11.55	..	19.6.56	..	105·260	..	17·42
33	Mohali ..	मोहाली ..	12.11.54	20.11.55	25.5.55	19.6.56	56·507	28·605	6·25	10·15
34	Gola	गोला ..	15.11.54	7.11.55	11.5.55	18.6.56	93·971	123·040	3·38	17·35
35	Aira ..	ऐरा ..	..	9.12.55	..	31.5.56	..	31·501	..	3·73

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२२ उत्तर पीछे पृष्ठ ५३६ पर)

तालिका (ब)

उन फैक्टरियों के नाम जिनको १९५४--५५ और १९५५--५६ के दौरान में क्रमशः १ मई, १९५५ और ८ मई, १९५६ से मासिक औसत रिकवरी के आधार पर गन्ने की कीमत का भुगतान करने की उस दशा में अनुमति दी गई जबकि पूरे सीजन में कुल रिकवरी ९.६ प्रतिशत से अधिक थी ।

Name of Factories allowed payment of Cane price on monthly average recovery basis during the seasons 1954-55 and 1955-56 from May 1, 1955 and May 8, 1956 respectively when their overall recovery was above 9·6 per cent during the whole of the seasons

क्रम सं० Serial no.	मिल का नाम Name of mills		रिकवरी Recovery per cent 1954-55	रिकवरी Recovery per cent 1955-56
1	2		3	4
1	Deoband	देवबन्द ..	9·96	10·18
2	Lhaksar	लक्सर ..	9·68	9·78
3	Mansurpur	मंसूरपुर ..	9·61	(below) 9·6
4	Khatauli	खतौली ..	9·80	10·18
5	Shamli	शामली ..	9·75	10·33
6	Jaswant	जसवन्त ..	9·64	9·86
7	Mohiuddinpur	मोहिउद्दीनपुर ..	9·84	9·84
8	Simbhaoli	सिम्भौली ..	9·72	9·91
9	Bulandshahr	बुलन्दशहर ..	(below) 9·6	10·13
10	Amroha	अमरोहा ..	9·88	9·93
11	Dhampur	धामपुर ..	9·84	(below) 9·6
12	Seohara	शिवहारा ..	9·69	9·72
13	Bijnor	विजनौर ..	9·77	9·70
14	Buland	बुलन्द ..	(below) 9·6	9·71
15	Raza	रजा ..	(below) 9·6	9·82
16	Maholi	महोली ..	9·74	(below) 9·6
17	Gola	गोला ..	10·42	9·83

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३१४ एल० ए०--१९५८--८३५ ।